


56TH
ANNUAL REPORT
2015-2016

५६ वीं
वार्षिक रिपोर्ट
२०१५-२०१६



**NATIONAL COOPERATIVE AGRICULTURE & RURAL
DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LTD.**

**राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
महासंघ मर्यादित**

BOARD OF MANAGEMENT

Chairman

Shri Sukhdarshan Singh Mrar
Chairman, Punjab SCADB

Managing Director

Shri K. K. Ravindran

Vice Chairpersons

Shri K. Sivadasan Nair, MLA
Director, Kerala SCARDB

Shri Dalip Singh Yadav
Director, Haryana SCARDB

Shri Bijay Kumar Singh
Chairman, Multi SCLDB (Bihar-Jharkhand)

Shri B.H. Jadeja
Director, Gujarat SCARDB

Directors

Shri P. Venkateswara Rao
President, Andhra Pradesh SCB

Shri R.S. Dahiya
Managing Director, Delhi SCB

Shri Ulhas B. Phal Dessai
Chairman, Goa SCB

Pt. Shiv Lal
Chairman, Himachal Pradesh SCARDB

Shri K. Shadakshari, MLA
President, Karnataka SCARDB

Shri M. Syiem
Chairman, Meghalaya CAB

Shri B. Shahul Ameer
Chairman, Tamil Nadu CSARDB

Shri Konduru Ravinder Rao
President, Telangana SCAB

Shri Rash Bihari Datta
President, Tripura CARDB

Shri Alok Dixit
Managing Director, Uttar Pradesh SGVB

Shri Y.C. Nanda
Coopted Member

Shri G.S. Mangat
Coopted Member

प्रबन्ध समिति

अध्यक्ष

श्री सुखदर्शन सिंह म्रार
अध्यक्ष, पंजाब एससीएडीबी

प्रबन्ध निदेशक

श्री के. के. रविन्द्रन

उपाध्यक्ष

श्री के. शिवदासन नायर, एमएलए
निदेशक, केरल एससीएआरडीबी

श्री दलीप सिंह यादव
निदेशक, हरियाणा एससीएआरडीबी

श्री बिजय कुमार सिंह,
अध्यक्ष, बहुराज्यीय सीएलडीबी (बिहार —झारखण्ड)

श्री बी. एच. जडेजा
निदेशक, गुजरात एससीएआरडीबी

निदेशक गण

श्री पी. वेंकटेश्वर राव
अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश एससीबी

श्री आर. एस. दहिया
प्रबन्ध निदेशक, दिल्ली एससीबी

श्री उल्हास बी. फल देसाई
अध्यक्ष, गोवा एससीबी

पं. शिव लाल
अध्यक्ष, हिमांचल प्रदेश एससीएआरडीबी

श्री के. शदाक्षरी, एमएलए
अध्यक्ष, कर्नाटक एससीएआरडीबी

श्री एम. सियेम
अध्यक्ष, मेघालय सीएबी

श्री बी. शाहुल अमीद
अध्यक्ष, तमिलनाडु सीएसएआरडीबी

श्री कोण्डुरु रविन्द्र राव
अध्यक्ष, तेलंगाना एससीएबी

श्री राश बिहारी दत्ता
अध्यक्ष, त्रिपुरा सीएआरडीबी

श्री आलोक दीक्षित
प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश एसजीवीबी

श्री वाई. सी. नन्दा
सहयोजित सदस्य

श्री जी. एस. मंगत
सहयोजित सदस्य

FIFTYSIXTH ANNUAL REPORT 2015-16



NATIONAL CO-OPERATIVE AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LIMITED

701, A-wing, BSEL Tech Park, Plot No. 39, Sector 30 A, Opp. Railway Station
Vashi, Navi Mumbai 400 703 (Maharashtra)

Tel. (022) 27814 114 / 226 / 426 Fax : (022) 2781 4225
E-mail : nafcard.org@gmail.com Website : www.nafcard.org

**NATIONAL CO-OPERATIVE AGRICULTURE & RURAL
DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LTD.**

ANNUAL GENERAL MEETING OF THE FEDERATION

NOTICE

Notice is hereby given, that the Annual General Meeting of the National Co-operative Agriculture and Rural Development Banks' Federation Ltd., for the year 2015-16 will be held **at 12.30 PM on Friday, September 23, 2016 in the Conference Hall of Hotel Supreme Heritage, Plot No.L-2, Sector-19 on Palm Beach Road near APMC Truck terminal, Vashi, Navi Mumbai 400 703**, to transact the following business.

1. To confirm the proceedings of the Annual General Meeting of the Federation held on 24th August 2015 in Lucknow.
2. Consideration of Audited Statement of Accounts for the year 2015-16.
3. Disposal of surplus for the year 2015-16.
4. Consideration of the Statutory Report of Auditors for the year ended 31.3.2016.
5. Consideration of Compliance Report on Auditor's remarks in Audit Report as on 31.3.2016.
6. Consideration of Annual Report for the year 2015-16.
7. Appointment of Statutory Auditors for the year 2016-17 and fixing Audit Fees.
8. Consideration of Annual Budget for the year 2017-18.

In accordance with the provisions of Multi State Cooperative Societies Act, 2002 and the Byelaws of the Federation, the General Body shall consist of one representative of each member bank of the Federation who shall be either Chairman/President or the Chief Executive or a member of the Board of the member bank nominated by the Board of Directors of the respective Bank by a resolution, or the Administrator, by whatever name called, of a member bank where there is no Board. Accordingly, member banks are advised to inform the Federation the name of their representative to the General Body along with the resolution of the Board at least 10 days before the General Body Meeting.

By Order of the Board of Management

Sd/-

**(K.K. Ravindran)
Managing Director**

**Place : Navi Mumbai
Date : 24th August, 2016**

BOARD OF MANAGEMENT

OFFICE BEARERS



Shri Sukhdarshan Singh Mrar
Chairman



Shri K. Sivadasan Nair
Vice Chairman



Shri Dalip Singh Yadav
Vice Chairman



Shri Bijay Kumar Singh
Vice Chairman



Shri B.H. Jadeja
Vice Chairman



Shri K. K. Ravindran
Managing Director

DIRECTORS
(As of 31st March 2016)



Shri P. Venkateswara Rao
President - Andhra Pradesh SCB



Shri R. S. Dahiya
Managing Director - Delhi SCB



Shri Ulhas B. Phal Dessai
Chairman - Goa SCB



Pt. Shiv Lal
Chairman -
Himachal Pradesh SCARDB



Shri K. Shadakshari, MLA
President - Karnataka SCARDB



Shri Marchynna Syiem
Chairman - Meghalaya CAB



Shri B. Shahul Ameer
Chairman - Tamil Nadu CSARDB



Shri Konduru Ravinder Rao
President - Telangana SCAB



Shri Rash Bihari Datta
President - Tripura CARDB



Shri Alok Dixit
Managing Director - Uttar Pradesh SGVB



Shri Y.C. Nanda
Co-opted Member



Shri G.S. Mangat
Co-opted Member

MEMBER BANKS

Chairman & Chief Executives
(As of September 2016)

Andhra Pradesh State Co-operative Bank Ltd.



Shri P. Venkateswara Rao
President



Ms. K.S.M. Lakshmi
Managing Director

Multi State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd. (Bihar - Jharkhand)



Shri Bijay Kumar Singh
Chairman

Delhi State Co-operative Bank Ltd.



Dr. Bijender Singh
President



Smt. Anita Rawat
Managing Director

Goa State Co-operative Bank Ltd.



Shri Ulhas B. Phal Dessai
Chairman



Shri Suresh V Lotlikar
Managing Director

Gujarat State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri Dhirenbbhai B. Chaudhari
Chairman



Shri D. B. Trivedi
Managing Director

Haryana State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Smt. Rajni Sekhari Sibbal
Addl. Chief Secretary- Chairperson



Shri Satbir Sharma
Managing Director

Himachal Pradesh State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Pt. Shiv Lal
Chairman



Shri Ravinder Nath Sharma
Managing Director

Jammu & Kashmir State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri Mohammad Aslam Bhat
Chief Executive Officer

Karnataka State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri K. Shadakshari
President



Shri A. C. Diwakara
Managing Director

Kerala State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd.



Shri Soloman Alex
President



Smt. Aparna Prathap
General Manager (I/C)

Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd.



Shri Marchynna Syiem
Chairman



Shri Osmanat E J Nongbri
Managing Director

Odisha State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd.



Shri Jogendra Swain
President



Shri Nityananda Rout
Managing Director

MEMBER BANKS

Chairman & Chief Executives
(As of September 2016)

Pondicherry Co-operative Central Land Development Bank Ltd.



Shri G. Madhurai
Administrator-Managing Director

Punjab State Co-operative Agricultural Development Bank Ltd.



Shri S. S. Mrar
Chairman



Shri H. S. Sidhu
Managing Director

Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd.



Shri Surendra Singh
Administrator



Shri Vijay Kumar Sharma
Managing Director

Tamil Nadu Co-operative State Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri B. Shahul Ameer
Chairman



Shri M. Senthamilselvan
Managing Director

Telangana State Co-operative Apex Bank Ltd.



Shri Konduru Ravinder Rao
President



Dr. Nethi Muralidhar
Chief Executive Officer

Tripura Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri Rash Bihari Datta
President



Shri Dipak Rn. Das
General Manager

Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd.



Shri Shivpal Singh Yadav
Chairman




Shri Shrikant Goswami
Managing Director

West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri Ashis Kumar Mondal
Gen. Manager (Admn/Oprn/BD)

Assam State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Photograph
not received

I. ECONOMIC SCENE

- Indian economy is estimated to have grown 7.6% in 2015-16 and has been the fastest growing among major economies in the world surpassing China, for the second consecutive year. The growth rate projected by the Govt for 2016-17 is in the range of 7 & 7.5%.
- According to World Bank, India's growth prospects remain strong as a result of improvement in its economic fundamentals, faster pace of Govt reforms, Reserve Bank of India's inflation focus and benign global commodity prices.
- The growth rate of the economy indicates that India could withstand to a considerable extent the weakening trend of growth in world output and successive monsoon failures in the last two years. The country also could improve macro economic parameters like inflation, fiscal deficit and current account balance. It is also seen that the growth of the economy in the last few years was driven largely by domestic demand as demand for India's exports has been falling continuously.
- India's share in world GDP has increased from an average of 4.8% during 2001-2007 to 6.1% during 2008-2013 and rose further to an average of 7% during 2014-15 in current purchasing power parity terms (PPP).
- Growth in agriculture sector in 2015-16 continued to be lower than the average of last decade mainly on account of it being the second successive year of lower than normal monsoon. Growth in the services sector moderated slightly but still remains robust, while the acceleration in manufacturing growth compensated for it.
- Services sector accounts for more than half of the economy. The sector contributed 69% of the total growth during 2011-12 to 2015-16 and expanded its share in the economy from 49% to 53%.
- The size of economy was US\$ 2 trillion in nominal terms at the exchange rate of ₹67.5 against dollar as on 31st March 2016.
- Per capita GDP during 2015-16 was ₹1,05,746 equivalent to US\$ 1600 as against global average per capita income equivalent to roughly US\$ 10,000.
- Though India's economy is 7th largest in the world in nominal terms and 3rd largest in terms of purchasing power, in terms of per capita income it ranked only 131st in the world in nominal terms and 121st in terms of purchasing parity.
- In spite of achieving significant economic growth in recent past, the economy faces serious problems which lag the country far behind developed nations. Backwardness in education, health care, infrastructure, coupled with inadequate fresh investments in these areas, severe disparity among States as well as segments of people in terms of income, literacy rate, life expectancy and living conditions which in fact is widening over time are some of the major challenges before the country.
- Trade deficit continues to be a major problem. Though trade deficit declined to US\$ 118.5 billion during 2015-16 from US\$ 137 billion in 2014-15, India's exports continued to contract for the 16th straight month in March 2016. India's exports fell 15.9% to US\$ 261.1 billion in 2015-16 while imports contracted by 15.3% to US\$ 379.6 billion.
- Stagnation in the rate of investments and slow down of manufacturing sector in the last few years were the main factor pulling back growth in exports.
- The country also faces the challenge of generating enough jobs for 8 million new job market entrants every year. The initiative of 'Make in India' aim to promote India as a major manufacturing hub. The success of the scheme, however, depends on broad based policy actions in enhancing human capital as well as access to inputs and finance.



II. AGRICULTURE – GENERAL SCENARIO

- The contribution of agriculture and allied sectors to the Gross Value Addition has been declining. According to the new series of national income released by the Central Statistics Organisation at 2011-12 prices, the share of agriculture in Gross Value Addition has declined from 18.5% in 2011-12 to 17.4% in 2014-15. Agriculture growth has also been highly fluctuating at 1.5% in 2011-12, 4.2% in 2013-14 and (-0.2) in 2014-15 and likely growth of 1.1% in 2015-16.
- The share of agriculture in GDP is progressively declining due to higher growth rate of services and manufacturing sectors in the last 3 decades. However, almost 70% of country's population still lives in rural India and about 60% of them depend almost entirely on agriculture for livelihood. Agricultural growth, therefore, is central to India's efforts to improve the standard of living of rural population and for achieving food security of growing population with rising incomes.
- As per estimates released in February 2016, foodgrains production during 2015-16 is 253.16 million tons over the production of 252.02 million tons during 2014-15 but still far below 265.0 million tons in 2013-14. Economic survey 2015-16 stated that there are multifarious issues and challenges faced by the agriculture sector and suggested following measures to revive the sector.
 - Need to scale up investments to expand water efficient irrigation to achieve 'more crop per drop' to improve productivity in agriculture. The low and skewed distribution of irrigated area needs to be corrected through appropriate policy measures.
 - Effective use of other inputs like fertilizers, quality seeds and pesticides along with irrigation, to reach optimal agricultural potential of India.
 - The success of dairy, an allied sector, has been the result of an integrated cooperative system of milk collection, transportation, processing and distribution. Diversification of the produce through value added products in the dairy industry has minimized the seasonal impact on suppliers, which is a strategy that needs to be emulated by other allied sectors in agriculture.
 - There is tremendous potential to increase availability of agricultural produce by reducing wastage in the post-harvest value chain. Reducing post-harvest losses through investments in storage facilities and drying facilities will also help to ensure food security for the population.
- Indian Agriculture has two major challenges of enhancing productivity and reducing rural poverty. Agricultural Productivity of India, i.e. crop production per ha., is one of the lowest in the world. Raising agricultural productivity per unit of land is the only way to increase production as virtually all cultivable land is already farmed. Increasing yields, diversification to higher value crops and developing efficient supply chains to reduce marketing cost are some of the measures required to accelerate agricultural growth.

- Further, farmers not getting remunerative prices due to limited reach of MSP and an agricultural marketing system dominated by middlemen resulting in only a small fraction of the final price reaching the farmer.
 - Adopting a socially inclusive strategy that comprises both agriculture as well as non farm employment is needed for reducing poverty. Development should benefit poor, landless, women, scheduled castes and tribes.
 - Majority of India's poor live in rain-fed areas in the Eastern Indo gangetic plains which is most backward in terms of infrastructure for growth. There should be special programmes to develop these regions at par with other parts of the country.
 - The rate of reduction in rural poverty in the last 15 years has been just 1% per year, which is too insignificant to eradicate poverty in the foreseeable future.
 - India's agricultural growth has slowed down considerably, after Green Revolution of 70s and agricultural intensification in the 80s. The faster growth of agriculture in the 70s and 80s could reduce rural poverty due to rising rural wages on account of increased demand for rural labour and declining food prices. However, agricultural growth declined in the 90s and 2000s averaging only about 3.5% per annum and Cereal yields slowed down to 1.4% per annum in the 2000s. Rice yields of India are just 1/3rd of China and about half of those in Vietnam and Indonesia. Same is true for most other agricultural commodities. Policy actions and public programmes are required to build a solid foundation for making Indian agriculture more productive, diversified and globally competitive.
 - Govt of India approved the National Policy for Farmers in 2007. The policy envisages asset reforms in respect of land, water, livestock, fisheries and bio resources, support services and inputs like application of frontier technologies, agricultural and bio security systems, supply of good quality seeds and disaster free planting material, improving soil fertility and health, integrated pest management systems, support services for women like child care centres, nutrition and health training etc, easy reach of institutional credit at reasonable interest rates and farmer friendly insurance instruments, use of information and communication technology in agriculture, revitalising agricultural extension, effective implementation of Minimum Support Prices across the country, development of agricultural market infrastructure and rural non farm employment initiatives for farm households, integrated approach for rural energy etc. However, the action points recommended under National Policy on Farmers are yet to be fully operationalised.
 - Govt. has recently announced a number of measures to modernise the sector and remove structural weaknesses. Scheme to issue soil health cards to all farmers along with establishment of mobile soil testing laboratories, introduction of Pradhanmantri Krishi Sinchai Yojana to improve irrigation facilities, setting up price stabilisation fund for cereals and vegetables to reduce price volatility in perishable agricultural commodities, setting up of National Agri Tech Infrastructure Fund to create common e-market platform as the first step towards creation of a national market for agricultural commodities, are some of these new initiatives.
 - Another important initiative is setting up National Adaptation Fund to address impact of climate change on agriculture. Continued focus is also being given for technology driven Second Green Revolution including Protein Revolution and developing indigenous cattle breeds and Blue Revolution to develop inland fisheries.
- Union Budget 2016-17 has placed focus on following programmes in agriculture sector.
- Increase in production**
Budgetary provision for irrigation has been

increased. Govt policy is focused on water preservation and irrigation to increase the production of other crops along with paddy and oil seeds aiming at 'more crop per drop'.

More income less input

The objective is to attain higher productivity by using better quality seeds along with right amount of nutrients. Soil health card scheme and information dissemination to farmers are given importance.

Reducing marketing expenditure

Government aims to connect 585 agricultural mandis under the National Agricultural E-market. This is expected to substantially increase the farmer's share in the final price with minimum interference of mediators.

Agricultural risk security

Farmers are expected to be compensated adequately their losses on account of natural

calamities, under Prime Minister's Fasal Bima Yojana.

Reducing post production losses

India ranks 2nd in the world in horticultural crops after China. The Govt proposes to promote region based strategies according to the climatic diversity of every State and region to develop horticulture sector as a whole.

Value addition

Thrust will be given on food industry so as to boost value addition to agricultural produce. Govt also is chalking out programmes to increase the production of fruits and vegetables and its processing through fresh initiatives being taken by Ministry of Food Processing Industry.

Auxiliary activities

Covering livestock, dairy, poultry, bee keeping, agricultural ponds and fishing are being given thrust.



III. RURAL CREDIT SCENARIO

The flow of credit to agriculture and rural sectors is reported to have registered year on year average growth rate of more than 20% during the last one decade, as given in the following table :

Financial Services (DFS) to check the authenticity of figures reported by banks as agricultural lending. These aberrations also lead to absence of linkage between credit growth and agricultural production in any year.

Year	Target	Achievement (₹ Crs)
2004-05	1,05,000	1,25,309
2005-06	1,41,000	1,80,486
2006-07	1,75,000	2,29,400
2007-08	2,25,000	2,54,658
2008-09	2,80,000	2,87,149
2009-10	3,25,000	3,84,514
2010-11	3,75,000	4,68,291
2011-12	4,75,000	5,10,029
2012-13	5,75,000	6,07,375
2013-14	7,00,000	7,35,000 (estimate)
2014-15	8,00,000	(Actuals not announced so far though it is estimated that target has been achieved.)
2015-16	9,00,000	

It is estimated that 75% of the total credit to agriculture has been contributed by Commercial Banks and balance by Cooperatives and RRBs with a share of 15% and 10% respectively. The reported growth in credit, however, is hardly reflected in the field. Nearly half of India's 1540 million farming households are excluded from the formal credit system. Ordinary farmers still find it difficult to access credit from banking system. Under these circumstances, one can genuinely doubt the correctness of figures reported as credit flow to agriculture. In fact, there is no mechanism at any level including RBI/NABARD/Department of

In spite of domination of Commercial Banks in the statistics of agricultural lending, cooperatives continue to be the source of credit for 60% of borrowing farmers. RRBs have significantly increased their share in agriculture lending accounting for 10% of the total credit and about 20% of total borrowers. The fact that Cooperatives and RRBs together cover nearly 80% of borrowing farm households leaves Commercial banks to finance just 20% of borrowing farmers. Evidently, the direct loans of Commercial Banks to farmers should be much less than what is reported. This over counting of agricultural lending by Commercial Banks has caused to vitiate Govt policies

in rural credit and drastically diminished the importance of cooperatives in Govt policies and programmes to augment credit flow to the sector.

Another major issue in agricultural credit is the steep decrease in the proportion of investment credit in the total credit flow since 90s. This has considerably slowed down capital formation in agriculture. The share of public investments in agriculture being only 25%, bulk of investments in this sector takes place through private initiative facilitated mostly through bank loan. Average rate of gross capital formation in agriculture in the last 5 years comes to only 15%, which goes down to half of that when adjusted to inflation. The capital formation in agriculture in real terms does not even fully cover the replacement needs of worn-out assets, which leaves net capital formation negative. Gross capital formation needs to be stepped up by an additional 10% to avoid negative net capital formation.

However, the policies of Govt continue to be highly unfavourable for improving this situation. In the first place, Govt continues to ignore the potential role of Long Term Cooperative Structure, which is the only specialized agency for investment credit to farmers. The revamping of LTCCS is badly delayed affecting its ability to meet the Long Term credit needs of farmers. Govt should implement the revival package for LTCCS recommended by VTF II without further delay.

High interest rates payable by farmers for investment credit is another issue that should be addressed on priority. Central Govt has taken steps for keeping interest rate of crop loans at affordable rates. After the interest subvention of 3% the maximum interest rate on crop loans is 4% per annum. With additional interest subvention by State Governments crop loans are now available at zero interest rate in some states. However, none of these measures to reduce the cost of agriculture credit has been extended to loans given for farm investments. NABARD's refinance support to banks for investment credit carries interest rates of about 9% per annum, making

the cost of loans at ultimate borrower level in the range of 13-14% per annum. The huge gap between interest rates of crop loans and investment loans has become a major disincentive for farm investments.

Govt has set up Long Term Rural Credit Fund with NABARD out of deficit in commercial banks' lending to agriculture with an allocation of ₹5,000 crores for 2014-15. NABARD has been using this Fund for giving investment credit refinance at a lower rate for a maximum period upto 5 years. The outlay of this fund for 2015-16 was increased to ₹15,000 crores. However, SCARDBs got only a small share of LTRCF as their loans are mostly of larger term than 5 years.

Financing agriculture, especially under rain-fed conditions, which accounts for 63% of the total area under cultivation, involves high risk. At present, the entire risk involved in farm financing is borne by lending institutions resulting in high level of NPAs with them. For large number of institutions in the cooperative credit structure including ARDBs which cater mainly to small and marginal farmers, the NPAs are beyond tolerable level.

Implementation of Debt Waiver Scheme by Central and State Govts, which benefitted only delinquent borrowers have further vitiated the climate of loan recovery. Govt support to farmers for agriculture insurance should be extended for insuring farm assets also apart from crops. Govt should also refrain from actions that vitiated recovery climate and restrain from interference in the recovery process of ARDBs.

Most part of the institutional credit goes to a few developed states in the South and North-west regions of India. Consequently, rural areas in Eastern and North-eastern states with huge potential for agricultural growth are not getting adequate credit. Addressing the skewed distribution of credit between various regions as well as between rural communities within each region is another major challenge for rural financial system.



IV. COOPERATIVE LONG TERM CREDIT STRUCTURE – OVERVIEW

Rural Cooperative Credit System in India evolved into two separate streams for ST credit and LT credit. The Long Term Credit Structure had its beginning in the early 1920s with the establishment of Land Mortgage Banks to provide long term loans to farmers to redeem debts on land. The first Land Mortgage Bank was established in 1920 in Punjab followed by establishment of a large number of such banks in all provinces. The first Central Land Mortgage Bank started functioning in Madras to centralize the issue of debentures and to coordinate the working of Primary Land Mortgage Banks. The Bombay Banking Enquiry Committee (1930) mentioned about the inadequacy of resources of primary credit societies to undertake long term lending and advocated formation of Land Mortgage Banks to meet long term credit needs of farmers. The 1930s and 40s witnessed mushroom growth of Land Mortgage Banks throughout the country without any uniform pattern with regard to their size and operations. The All India Rural Credit Survey Committee recommended reorganization of Land Mortgage Banks with a State level apex body and Primary Land Mortgage Banks at taluka level affiliated to it. The Committee also recommended diversifying their operations into investment credit for agriculture. Central Land Mortgage Banks were established in almost all States during the IIInd Five Year Plan which came to be known as State Cooperative Land Development Banks which were renamed as State Cooperative Agriculture & Rural Development Banks with further diversification into rural non-farm sector in the 80s.

The contributions of Agriculture & Rural Development Banks (ARDBs) to the development of Indian agriculture have been quite significant in the post Independence era. ARDBs played a very important role in improving the productivity of land especially through development of minor irrigation

and facilitating farm mechanization in the 60s and 70s. While continuing to promote capital formation in agriculture, these banks started financing rural non-farm sector projects in a big way in the 80s and 90s which helped rural families to increase their incomes substantially through value addition to their produce apart from providing opportunities for alternate employment. It will not be out of place to mention that till the 1980-1990 the ARDBs were effectively the only banks which were engaged in providing investment credit for agriculture. The role of the commercial banks was limited primarily to financing corporate sector in plantation, commercial poultry and dairy units.

The Long Term Cooperative Credit Structure comprises of SCARDBs in 17 States operating either through their own branches at ground level or through Primary Agricultural and Rural Development Banks affiliated to the state level Apex. In Andhra Pradesh, the SCARDB was merged with Andhra Pradesh State Cooperative Bank in 1995 to form an integrated structure. Chhattisgarh State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank was also merged with Chhattisgarh State Cooperative Bank in October 2014. In most of the states formed after 1960, State Cooperative Banks also perform investment credit operations in agriculture and rural sectors in the absence of separate structure for Long Term credit.

At present the structure comprises of 17 SCARDBs of which only 13 are fully functional with a network of 1,716 PCARDBs/branches of SCARDBs at ground level. These banks have a total membership of 1,08,05,766 rural households of which 64,14,198 have outstanding loans. Outstanding loans and outstanding borrowings of these banks as on 31.3.2016 were ₹19,439.30 crs and ₹14,421.70 crs respectively. Fully functional SCARDBs have registered remarkable growth in deposits and

lending during 2015-16. Total deposits outstanding of these banks on 31.3.2016 were ₹2,051.41crs against ₹1,573.95 crs as on 31.3.2015 while their total lending stood at ₹5,260.89 crs against ₹5,098.94 crs

during the previous year. Aggregate recoveries of these banks stood at 52.84% , at ground level as on 30 June 2015.

Growth of Long-Term Cooperative Credit Structure as on 31 March (₹ Lakh)

Sr. No.	Particulars	2014-15	2015-16
1.	No. of SCARDBs		
	i Fully Functional	13	13
	ii Others	4	4
2.	Network of outlets		
	i Branches of SCARDBs	610	616
	ii PCARDBs and its branches	1,084	1100
	TOTAL	1,694	1716
3.	Membership of individuals		
	i Borrowing	62,55,665	64,14,198
	ii Non-borrowing	44,75,526	43,91,568
	TOTAL	1,07,31,191	1,08,05,766
4.	Loans Outstanding	18,14,165.28	19,43,930.08
5.	Loans Disbursed	5,09,893.64	5,26,089.44
6.	Borrowings Outstanding	13,60,379.03	14,42,170.17
7.	Deposit Outstanding	1,57,394.89	2,05,141.40
8.	Loan Recovery Position		
	i Demand	10,66,691.01	10,42,880.50
	ii Recovery	5,82,820.66	5,51,071.01
	iii Recovery %	54.64	52.84
9.	Amount of Profit	10,934.66	11,945.77
	In Profit (no.)	9	10
10.	Amount of Losses	5,058.38	3,254.66
	In Loss (no.)	4	3
11.	Staff Position		
	i SCARDB Level	4,512	5,064
	ii PCARDB level	5,575	5,366
	TOTAL	10,087	10,430

Issues and Challenges in the Long Term Cooperative Credit Structure (LTCCS)

The LTCCS is primarily designed as non resource based specialized term lending agency. The structure consists of Agriculture and Rural Development Banks at State and Primary levels. These institutions are not given license to function as Banks coming under the purview of Banking Regulations Act. Hence they are not allowed to take deposits from public like other Rural Financial Institutions (RFIs). As a result, they are dependent heavily on borrowed funds for advancing loans. Before Independence, Government was the main source of funds for their operations. In 1961, Agriculture Refinance Corporation (ARC) was established to mobilize Long Term resources for the operations of Land Development Banks (LDBs). In 1963, ARC was renamed as ARDC. Till formation of NABARD in 1982, Agricultural Refinance and Development Corporation (ARDC) and Agricultural Credit Department (ACD) of RBI together provided funds for the operations of LTCCS. In July 1982, NABARD was formed by merging ARDC and ACD. Since then, NABARD is the main source of funds for the structure for carrying out its lending operations. The refinance support of NABARD, however, has been steadily declining since the beginning of 2000s. This has severely restricted the lending operations of SCARDBs. Moreover, SCARDBs in some States which could not access NABARD's refinance due to non-availability of Govt guarantee or failure to meet the eligibility conditions for refinance had to suspend lending operations for want of resources.

Inability to meet Short Term production credit/working capital needs of Long Term borrowers has been another major deficiency in the working of ARDBs. Because of restrictions in the Act, SCARDBs in general, were unable to diversify lending to short term purposes until recently. In recent years, ARDBs in most of the States are also meeting short term credit needs of long term borrowers out of funds

mobilized as deposits from members and short term borrowings from NCDC and banking system. However, ARDBs still are unable to advance crop loans at 7% interest p.a. as crop loan interest subvention scheme of Government of India is not extended to ARDBs.

The financial performance of institutions in the structure started declining since 90s due to heavy overdues and losses in Govt sponsored schemes, long regime of regulated interest rates without allowing adequate margins to meet their transaction and risk costs and implementation of debt waiver scheme in 1990 by Central Govt without fully reimbursing the loans written off under the scheme. In fact, all rural financial institutions including Commercial banks, RRBs and Short Term Cooperative Credit Structure also incurred heavy financial losses due to the above reasons. While such losses of the Commercial banks, RRBs and STCCS have been compensated by the government through various revamping processes, the losses of ARDBs continue to remain uncompensated. Even though Task Force No.2 for LTCCS headed by Prof.Vaidyanathan recommended a revival package comprising of one time assistance by Central and State Govts for recapitalisation of ARDBs in 2006, it has not been operationalised so far.

The undue delay in implementing the revival package has considerably affected the ability of the structure to meet the credit needs of its members. In spite of these setbacks, the structure continues to be relevant and needs to be strengthened to arrest the rapid fall in the proportion of investment credit in the total flow of farm credit. The revitalization of the structure involves transformation of SCARDBs and PCARDBs into self-reliant member driven organizations capable of delivering financial services to the rural sector effectively, in a competitive environment with focus on capital formation in agriculture.

V. FEDERATION DURING 2015-16

A significant event in the history of agriculture and rural development banking sector has been the establishment of the National Co-operative Agriculture and Rural Development Banks' Federation Ltd (NCARDBF) in 1960. Since its inception, the Federation has been playing an important role in the growth of institutions in the sector. It has established effective coordination and promoted understanding among member banks and liaison with Central and State Governments, NABARD and financing agencies of SCARDBs.

Other activities of the Federation include organizing Seminars and Workshops, undertaking research studies and formulation of Plans and programmes through its Planning, Research and Development Cell, compilation and publishing of statistics of member banks' operations, sponsoring of study teams, co-coordinating investments in debentures, undertaking special training programmes, publicity work, providing guidance and advice on issues relating to operations and governance. The quarterly Land Bank Journal published by the Federation since the last 54 years has gained considerable popularity. The Federation is also assisting member banks in business development and expansion by designing new products.

Lobbying with the Government for implementing revival package comprising of recapitalisation and reforms, guiding SCARDBs in self-driven reform initiatives and guidance and support to member banks in resource mobilization, recovery and NPA management and business expansion and diversification continued to be the thrust areas of Federation's activities during the year.

Lobbying

Revival package for ARDBs

Demand for revival package has been the main focus of Federation's lobbying with Central Govt in the last

few years. Vaidyanathan Task Force recommended revival package for LTCCS in 2006 and Government announced its implementation in the Union Budget for 2008-09. Subsequently, a revival scheme was also approved by Union Budget 2009 which, however, could not be circulated to Lok Sabha election of 2009 was notified soon after that. After elections, Ministry of Finance appointed a Committee headed by Shri Chaturvedi, then Additional Secretary (Finance) to review the revival scheme in the light of implementation of Agricultural Debt Waiver & Debt Waiver Scheme of 2008. Chaturvedi Committee submitted its report in February 2010 recommending implementation of this revival scheme for long term cooperative credit structure with certain minor modifications. However, no further action was taken to implement this scheme thereafter. Federation has been taking up this matter with various authorities in the Government including Prime Minister and Finance Minister from time to time. Federation has also convened Meetings of Parliamentarians on this issue in 2012. Federation has submitted fresh memorandum on this issue to Hon'ble Prime Minister in the eve of this year's Union Budget pointing out the need to revive institutions in the long term cooperative credit structure to boost capital formation in agriculture and to address the credit crisis faced by their member farmers. A delegation from the Federation consisting of Shri Sukhdarshan Singh Marar, Chairman, Vice Chairpersons Shri K. Sivadasan Nair, Shri B.H. Jadeja and Shri Dalip Singh Yadav, Shri K.K. Ravindran, Managing Director and Shri H.S. Sidhu, Managing Director, Punjab SCADB had also met Shri Arun Jaitley, Hon'ble Finance Minister on 8 March 2016 to apprise the need for implementing the package without further delay. Recently, NABARD has also taken up with the Govt the need for reviving ARDBs in order to step up the rate of capital formation in agriculture. Further most of the State Govts have

also written letters to Union Finance Minister before this year's budget requesting for operationalising the revival scheme for LTCCS.

The delay in implementing the package aggravated financial weakness of ARDBs and drastically reduced their capacity to meet the credit requirements of about 98 lakh farmers (members of ARDBs with outstanding loans as on 31.3.2015) who by and large are unable to access credit from other agencies since their land is already mortgaged with ARDBs. Implementation of the proposed revival package is the only solution to address credit crisis faced by them. The structure which is present in all major states with a network of 2600 outlets has the potential of expanding its annual lending at least by 5 times in the short run from the present level of about ₹5000 crs, if revived.

Restructuring of ARDBs into Banks

RBI constituted a Working Group in 2002 to evolve norms for licensing of ARDBs as banks which, however, did not favour conversion of ARDBs into fullfledged banks in accordance with the policies of RBI at that time. However, RBI has recently issued guidelines for establishing small finance banks in the private sector for supply of credit to micro and small enterprises, agriculture and providing banking services in unbanked and underbanked regions in the country. Although there is a provision in these guidelines to convert Non Banking Financial Companies and Micro Financial Institutions into small finance banks, there is no such provision to convert cooperative entities into small finance banks. In the context of changing banking architecture in the country, there is a strong case for licensing ARDBs as banks as either small finance banks in the cooperative sector or treating them at par with primary cooperative banks (urban cooperative banks).

There is growing consensus among all its stakeholders that ARDBs should be able to brought within the purview of Banking Regulation Act 1949 to address the deficiency in their design as non resource based lender dealing in a single product. Vaidyanthan Task Force also endorsed the need to

transform these institutions as banks and recommended that the regulator may consider giving banking licence to entities in the structure which fulfil the conditions necessary for the same. We have moved Govt of India and Reserve Bank of India for taking steps to evolve appropriate norms for giving banking licence to ARDBs.

Crop loan interest subvention scheme

The interest subvention scheme for crop loans implemented by Govt of India is presently not extended to farmers who avail crop loans from ARDBs. The Federation has been persistently taking up with Ministry of Finance to address this issue by including SCARDBs in the list of institutions through which the crop loan interest subvention scheme is implemented.

Subventing cost of investment credit to agriculture

Federation has also moved Govt to introduce an interest subvention scheme for investment credit to agriculture in the pattern of crop loan interest subvention scheme in order to reduce the cost of long term loans for capital formation in agriculture.

Reform initiatives

Core Group for Reform Initiatives (CGRI)

Core Group for Reform Initiatives constituted by SCARDBs continue to have regular meetings in most of the banks. CGRI has been concentrating on deepening of self-driven reforms at the ground level. CGRI also reviews the impact of new avenues for raising resources including deposit mobilisation and introduction of new products, identifying crucial areas and taking corrective actions to improve the rating of SCARDBs, preparation of manuals on functional areas with a view to evolve consistent policies and well documented procedure specifying authority and accountability at various levels as well as recovery and NPA management. Federation has issued separate guidelines for self-driven reforms covering the following areas.

Deposit mobilisation

- ▶ Deposit mobilisation from members under

schemes approved by the Management of SCARDBs including compulsory thrift deposit accounts by borrowing members, in addition to accepting public deposits as per the 1997 guidelines of NABARD.

- Substantial growth in deposits achieved in the first two years.
- However, the tempo of growth could not be maintained in some States.
- Lack of sustained publicity and promotion affects progress.

Loan recovery and NPA management

- Guidelines were issued in 2013 based on the recommendations of IYC National Conference. Comprehensive guidelines issued recently for launching Accelerated Recovery Drive based on the recommendations of the National Workshop.
- The objective is to achieve a jump in recovery rate by revamping loan and repayment systems to increase the rate of voluntary repayment and by pursuing strict legal recovery measures against wilful defaulters for improving the recovery climate.
- Banks are expected to launch Accelerated Recovery Drive and intensive NPA reduction drive during the current financial year. However, SCARDBs are yet to report actions taken in this regard.

Introduction of short loan products

Following short term products were suggested to take care of short term credit needs of members and to achieve viable business levels.

- Sanctioning cash credit limit to long term borrowers who are regular in repayment on the security already given for long term loan.
- Jewel loans.
- Traders loans.
- Consumer durable loans to employed persons.

- Out of this, thrust needs to be given to cash credit scheme which can be sanctioned for a three year period subject to payment of quarterly interest on outstanding drawals and repayment of principal at the end of three year period unless renewed.
- Since cash credit is a medium term facility, even SCARDBs which are not permitted to advance short term loans, can introduce the same.
- Cash credit limit help ARDBs to increase contacts with borrowers and substantially improve repayment rate as borrowers to avoid default in any loan account for continuing to avail this facility.

Diversifying avenues for borrowing

- Resources of SCARDBs need to be augmented by diversifying avenues for borrowings in addition to securing higher allocation from NABARD and mobilising deposits.
- Banks were advised to approach NCD, STCCS to finance short term loan products.
- Commercial banks are also a potential source subject to rating by an accredited credit rating agency.
- However, most of the banks are yet to introduce short term loan products and make efforts to diversify sources of funds.

Computerisation

- Banks to frame a time frame for technology adoption. Punjab, Haryana and Gujarat also engaged NIC for introducing CBS.
- It is advisable that SCARDBs who have not yet finalised a vendor, to engage NIC for introducing CBS for the sake of uniformity and in view of affordability of cost.

HRD and training

- Severe shortage of staff is a common problem in all States as recruitments have not taken place in most of the banks during the last two decades.

- Fresh recruitment is also necessary to induct new talents and bring vitality to the system.
- Banks should give top priority for filling up vacancies in their approved staff pattern.
- Banks who have no training centres of their own should make use of training facilities available with other agencies including NCCT till own JLTCs are revived.
- Banks should also consider sending their staff to JLTCs of neighbouring States for training.

Follow-up with State Govts for enhancing policy support to SCARDBs

The two Conferences of Principal Secretaries of Cooperation and Registrars of Cooperative Societies organised by the Federation in 2012 and 2014 made several important recommendations for improving legal and policy environment of ARDBs and improving their working in general. Priority to SCARDBs in giving govt guarantee along with simplifying the procedure thereto and waiving guarantee fee or keeping such fees at lower rate in case waiver not possible, making adequate budget allocations for making matching contributions with Govt of India to meet shortfall in refinance given by NABARD, waiver of stamp duty and registration fee which is yet to be done in some States, introducing the system of loan documents being executed by the bank and sending the same to sub registrar directly by the bank without involving the borrower which also needs to be introduced in a few more States, removing restrictions on legal recovery measures with regard to wilful defaulters, vesting sale powers with bank officials which also has not yet been implemented in some States, giving permission for accepting deposits by ARDBs in a couple of States where it has not been done so far,

amendment in the ARDB/State Cooperative Societies Act to enable ARDBs to meet short term credit needs of members, doing away with separate approval by the Govt for recruitment of staff as per the approved staff pattern etc were among the important recommendations relating to State Govts made by the above Conferences.

Publications

Land Bank Journal

Publication of Land Bank Journal is an important work of the PRD Cell. Four issues of Land Bank Journal i.e. March 2015, June 2015, September 2015 & December 2015 have been published and circulated during the year and March 2016 is under compilation.

Annual Statistical Bulletin

Collection and compilation of statistics relating to member banks' operations and publication of Annual Statistical Bulletin is also undertaken by the Cell. Statistical Bulletin for the year 2013-14 was published during the year. The Bulletin for 2014-15 is under compilation. Federation is trying to make this important publication upto date by streamlining the reporting system relating to ground level data relating to the operations of ARDBs.

Monthly Progress Report of ARDBs

Federation collects and compiles data on member banks' key operations on a monthly basis for review at its level and reporting to Govt of India. Loans disbursements, Recovery performance, Borrowings and Deposit Mobilisation are the main areas covered in the monthly progress report. 10 consolidated monthly reports from April 2015 to January 2016 were brought out during the year 2015-16. February 2016 report is under compilation.



VI. DEVELOPMENTS DURING 2015-16: HIGHLIGHTS

Proposal to promote a banking company

There is consensus among various stakeholders of ARDBs including State Govts, NABARD that SCARDBs with its present business model cannot sustain in the long run and need to be transformed into banking institutions offering a range of financial services in the rural sector. However, such a transformation will be possible only if RBI evolves norms for converting SCARDBs into banks and SCARDBs enhance their preparedness to become banks in terms of capital adequacy, asset quality, technology, governance and other core competencies. In this context, it was felt that the guidelines of RBI for licensing small finance banks (SFB) for undertaking basic banking activities in the unorganised sector which SCARDBs have been performing for decades strengthen their case to obtain licence to function as small finance bank in the cooperative sector. While moving for policy reforms to enable SCARDBs to get SFB licence, a proposal to promote a company to obtain licence for setting up SFB under extant guidelines of RBI is under active consideration of the Federation. Promoting a SFB is expected to help ARDBs as well as their members in the following ways.

- (i) To render basic banking services to members and to meet their short term production and working capital needs as business correspondents.
- (ii) SFB will particularly help SCARDBs in routing crop loans of borrowers to investment credit with interest subvention of Govt of India.
- (iii) SFB with direct access to money and capital markets will help SCARDBs to manage their investments and surplus funds profitably.
- (iv) As promoters, SCARDBs will get opportunity to gain experience in bank governance which help them to restrict

their operations when they are converted into banks in due course.

It has been decided that the Federation should initiate necessary steps to form a company and apply for SFB licence as and when RBI calls for applications for SFB licence again.

Performance Awards to SCARDBs for the year 2014-15

Federation revived performance awards to member banks during the year 2013-14 under revised norms. The second annual awards based on performance during the year 2014-15 were presented on 4 December 2015 in conjunction with 147th Board Meeting of the Federation at Shanku's Water Park & Resort, Mehsana (Gujarat). Awards and award winning banks are listed below.

- (1) **Government of India Trophy for Best All-round Performance**
Kerala State Cooperative Agricultural & Rural Development Bank Ltd.
- (2) **Federation Trophy for Second Best All-Round Performance**
Punjab State Cooperative Agricultural Development Bank Ltd.
- (3) **Meloth Narayanan Nambiar Memorial Trophy for Best Performance in Lending**
Kerala State Cooperative Agricultural & Rural Development Bank Ltd.
- (4) **Punjab Chief Minister's Trophy for Best Performance in Loan Recovery**
Kerala State Cooperative Agricultural & Rural Development Bank Ltd.
- (5) **Federation Trophy for Best Performance in Deposit Mobilisation**
Kerala State Cooperative Agricultural & Rural Development Bank Ltd.

(6) **Federation Trophy for Outstanding Turn-around Performance**

Gujarat State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd. (joint winner)

(7) **Federation Trophy for Outstanding Turn-around Performance**

Karnataka State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd. (joint winner)

Accelerated Recovery Drive

ARDBs in as many as 6 States became non functional since 2000 mainly due to high overdue loans. Majority of remaining 13 SCARDBs which are fully functional at present have also not been successful in improving recovery to a comfortable level. While SCARDBs are aware of the need to improve recovery and stepped up efforts in that direction it is seen that in the absence of proper systems and procedures based on constant policies such efforts are not yielding expected results. In this context, the Board of Management of the Federation during the previous year decided that SCARDBs should launch accelerated recovery drive which involves revamping of their repayment and recovery systems based on sound policies and practices which are generally found effective. Based on experiences of banks which are successful in loan recovery, Federation prepared draft guidelines for strengthening repayment and recovery systems in ARDBs as part of the proposed programme of accelerated recovery drive. These guidelines were circulated among member banks for their views and suggestions. Federation also organised National Workshop on Accelerated Recovery Drive on 25 September 2015 in Mumbai to finalise the guidelines based on feedback from member banks as well as the best practices of ARDBs in loan recovery studied and documented by the Federation as listed below.

- High weightage for repayment track record of loans already taken by loan applicants from any source as well as their overall repaying capacity in sanctioning loans.
- Difficulties encountered by borrowers including undue delay and wasteful expenditure in getting the loan are found to have strong adverse impact on repayment.

- Completing most part of processing of loan applications at the place of the applicant or at a contact point convenient to him and avoid visits to the bank by the applicant in connection with loan processing unless it is absolutely required are some of the measures taken by these units to make the loan procedure hassle free.
- Studies also reveal that repayment schedule based on equal instalment system is favourable for better recovery compared to equated instalments.
- Similarly, introduction of monthly/quarterly demand relying on repaying capacity based on borrowers' income from all sources instead of yearly/half yearly demand have helped to improve voluntary repayment to a great extent.
- Offering saving products to members especially thrift and recurring deposits helped borrowers to aggregate routine savings for lumpsum uses including loan repayment.
- Intensive pre due date follow-up through telephone calls and SMS increases the rate of repayment on due date substantially.
- ARDBs which are strict and consistent in taking legal recovery measures against wilful defaulters are seen to have created a healthy recovery climate contributing to a high rate of repayment before due dates.
- High rate of due date repayment is also seen in banks which obtain post-dated cheques towards repayment instalments.
- Banks which are also meeting short term credit needs of borrowers and providing recurring facilities cash credit have also high rate of repayment.
- Another important factor affecting branch performance in recovery is the monitoring system followed in the bank.
- Micro level data/information about the borrower, his occupation, income sources and frequency of income stream etc., in the command of the bank/officers concerned with recovery, is seen to have significant impact on the recovery performance of the branch/PCARDB.

- The objectives of accelerated recovery drive is to achieve a substantial jump in recovery performance and to bring down gross NPAs at SCARDB and PCARDBs levels to below 10% within two years.
- Following are the broad strategies suggested for achieving these objectives:-
 - (i) Increasing the rate of repayment on or before due dates by reorienting loan system, establishing frequent contacts with borrowers by offering saving products and short term loan facilities and enhanced pre due date follow-up.
 - (ii) Classification of defaulters into wilful, likely wilful and non wilful for focused action based on reasons for default.
 - (iii) Improving general recovery climate through direct legal recovery actions against wilful defaulters by completing various stages in the procedure for legal recovery actions culminating to sale of security property under timely notices without breaking continuity of action at any stage.
- The next step is to start a special recovery drive from October every year to ensure collection of at least such minimum amount before 31st March to avoid classification of account as NPA.
- Such a special drive to reduce NPA will also make the recovery target for the year ending June much easier than to achieve than otherwise.
- In the federal structure, similar measures need to be taken to reduce gross NPAs of SCARDB by continuous follow-up with PCARDBs and monitoring overdue accounts with PCARDBs so that the remittances from the PCARDBs are adjusted in the order of instalments which will become past due as on 31st March.
- The SCARDB should also ensure that the entire credit balance of PCARDBs in their advance repayment account should be completely adjusted against overdue instalments which will become past due on 31st March.
- PCARDBs also should be advised to use their other sources of funds to clear past due instalments as on 31st March every year.

NPA management

- While ARDBs do a lot of planning and employ various strategies to bring down overdues as on 30th June every year, such planning and concerted efforts are seen lacking for bringing down NPAs as on 31st March.
- The belief generally held by ARDBs that when overdues are brought down NPAs also will come down proportionately does not come true because of the difference in cut off dates in assessing NPAs and overdues.
- Banks, therefore, need to have a separate recovery drive starting from September/October every year centred around loan accounts which are likely to be classified as NPAs at the end of the financial year i.e. 31st March.
- The first step in this regard is to take a list of loan accounts which will have to be classified as NPA on 31st March and the minimum amount to be collected in each of such accounts to avoid its classification as NPA.

SCARDBs have been requested to issue detailed working instructions to PCARDBs/branches for launching accelerated recovery drive on these guidelines and to hold state level workshops for concerned officers to explain guidelines and finalising an action plan on accelerated recovery drive with targets for recovery improvement and reduction in gross NPAs.

NCDC line of credit to SCARDBs

NCDC provides a line of credit to SCARDBs since 2005 for financing short term credit needs of investment credit to their members. However, only a few SCARDBs could avail this facility on a regular basis due to difficulties in fulfilling the conditions relating to security requirement. NCDC stipulated govt guarantee or pledge of fixed deposits as security for SCARDBs' drawals from NCDC. Since NCDC funds ideally suits to finance short term products like cash credit limit to borrowers of long term loans, jewel loans, vehicle loans, working capital loans etc., many of the SCARDBs including

Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh which have not introduced short term lending so far could not avail this line of credit. At the request of the Federation, NCDC has recently agreed to review the terms and conditions of NCDC line of credit to SCARDBs with enhanced allocations. SCARDBs having strong financials and high recovery percentage are now qualified for loans from NCDC against receivables without govt. guarantee or collaterals. NCDC has also simplified procedure for sanctioning and disbursing loans. Further, these loans are not linked to specific purposes and suitable for financing all kinds of short term credit needs of members.

Computerisation and introduction of Core Banking Solutions (CBS)

Technology is the main driving force of business development and competition in the banking sector today. Application of Information Communication Technology (ICT) in banks resulted in significant improvement in customer service, quality and ability of banks in product offerings according to the convenience and changing needs of clients while bringing down their cost of operations substantially. Risk management is another area which has become more efficient and reliable with the application of ICT. Adoption of ICT improves banks' image and leads to wider, faster and efficient market. While significant progress has been achieved in ICT application in cooperative banks in the last few years, Agriculture & Rural Development Banks generally have not made much headway in technology adoption. Only a few States like Kerala and Punjab have fully computerised their operations. One of the issues faced by ARDBs in computerisation is absence of common software. In the absence of freely usable common software, each SCARDB is required to develop separate software for their use. This not only increases cost of computerisation but also deprives uniformity in the process and systems among ARDBs in different States. Similarly, CBS applications based on the requirements of ARDBs were yet to be developed. ARDBs being non banking financial institutions do not require most of the features of CBS introduced by banks. On this background, the Federation has

been trying to identify a common agency for introducing CBS in ARDBs. Most of these issues have now been resolved with the development of CBS applications specifically for ARDBs by National Information Centre (NIC). NIC has successfully implemented these applications in Punjab SCADB and hosted the same in their national data centre which can be used through secured internet channels. The applications developed by NIC are found to be not only appropriate for the requirements of ARDBs but also most cost effective compared to other providers. Federation has recommended these applications to member banks. It is expected that computerisation and CBS applications can be implemented in all SCARDBs by the end of 2016-17.

Internal Committee constituted by NABARD to study the working of ARDBs

Chairman, NABARD has constituted an internal Committee of NABARD with the following terms of reference to study the status of ARDBs and to suggest measures to strengthen them.

- 1) To assess the financial position of ARDBs with respect to their business, loan advance, its purposes, diversification into non agriculture etc.
- 2) Borrowings - Sources from which ARDBs are generating.
- 3) Level of accumulated losses and profitability - A status analysis is being done.
- 4) Issues relating to restructuring of ARDBs as Small Finance Banks based on representation by the Federation.
- 5) HRD issues Quality and adequacy of staff, age profile, technical, skilled and specialised manpower.
- 6) Action plan for operational efficiency of the structure - Structure in different places, geographical coverage for each branch, computerisation, accounting systems, internal cheques and control systems.

The Members of the Committee visited Federation's office on 7th January 2016 for detailed discussions on its terms of reference.

The Federation submitted a detailed note containing suggestions on terms of reference.

Income tax exemption to SCARDBs - Judgement of High Court of Kerala in Kerala State Cooperative Agricultural & Rural Development Bank Ltd. vs The Commissioner of Income Tax, Thiruvananthapuram

Section 80(P) of Income Tax Act 1961 gives income tax exemption to cooperatives. In 2008 Government amended this section by adding subsection 4 to it. The new subsection states that provisions in section 80(P) shall not apply to a 'cooperative bank' within its meaning as given in the BR Act 1949 except in the case of a Primary Agricultural Credit Society and a Primary Cooperative Agriculture & Rural Development Bank with jurisdiction not more than one taluk. Obvious purpose of subsection 4 is to exclude cooperative banks from the benefit of tax exemption as provided under section 80(P). However, when this subsection states that cooperative banks except a Primary ARDB with jurisdiction not more than one taluk, it implies that a Primary ARDB is also a cooperative bank coming under BR Act which is not correct. It appears that those who drafted this provision committed the mistake of presuming that ARDB is also a bank like a State Cooperative Bank, District Cooperative Bank or an Urban Cooperative Bank and therefore made an exception in the case of Primary ARDB only. It is an error of giving exception from a sector to an entity which does not belong to that sector. In other words, when subsection 4 deals with cooperative banks, an exception to this provision can be given only to an entity which is part of cooperative banks. BR Act defines a cooperative bank either as a State Cooperative Bank, District Central Cooperative Bank or a Primary Cooperative Bank (Urban Cooperative Banks). Moreover, BR Act itself makes a distinction between a Cooperative Bank and a Land Mortgage Bank (by which name ARDBs were known at the time of enacting BR Act). Section 56(c) of BR Act says that cooperative credit societies also include land mortgage banks. This implies that every Land Mortgage Bank irrespective of primary or apex is a cooperative credit society as defined in section 5

(cci) of BR Act. Though the Federation had pointed out the drafting error in subsection 4 giving exception to Primary ARDB from cooperative banks as defined in BR Act to which a Primary ARDB does not belong, soon after the Budget, no action was taken by the Government to rectify the error. This has led to a large number of disputes between Income Tax Department and ARDBs across the nation. Income Tax Department started sending assessment notice to SCARDBs taking a view that all types of ARDBs except Primary ARDBs with jurisdiction not more than one taluk belong to the category of cooperative banks as per subsection 4 and therefore are excluded from tax exemption under section 80(P). SCARDBs in most of the States could convince income tax department of their status as cooperative credit society as per the definition of the cooperative credit society given in BR Act. However, in Kerala the matter could not be settled at the level of Department or Tribunal and went to the High Court which equated Kerala SCARDB with State Cooperative Bank for the purpose of applicability of subsection 4 in its final judgement.

The Kerala High court in its judgement in Kerala State Cooperative Agricultural & Rural Development Bank vs the Commissioner of Income Tax, Thiruvananthapuram states as below:-

“The CARD Bank Act provides for the Kerala State Cooperative Agricultural & Rural Development Bank Ltd as the principal cooperative society in the State for the purpose of agricultural credit facility. The provisions of CARD Bank Act provides an operational mechanism through the primary banks and primary agricultural credit societies as defined in clauses G and H of section 2 of the CARD Bank Act. These provisions would show that the appellant falls within the term cooperative bank in clause cci of section 5 of the BR Act and thereby is a cooperative bank for the purpose of section 80(P) of Income Tax Act.”

Apparently the High Court of Kerala declared Kerala SCARDB as a state cooperative bank within the meaning of section 5 of BR Act on the basis of the provision in the CARD Bank Act that the SCARDB is the principal cooperative society in the State for the

purpose of agricultural credit facility without considering the essential requirements of declaration by the State Govt and issue of banking licence by RBI on that basis for a cooperative society to become a state cooperative bank.

The Kerala SCARDB has now filed an appeal petition in the Supreme Court against the judgement of Kerala High Court. The Supreme Court admitted the appeal and issued interim order restraining income tax department from taking coercive steps to recover tax from the bank.

The meeting of SCARDBs convened by the Federation on 18th March 2016 decided to obtain legal opinion on the implications of the judgement of High Court of Kerala in the dispute between Kerala SCARDB and Commissioner of Income Tax and further action to be taken by the Federation as well as member banks in the matter.

Accordingly, Federation sought legal opinion on this matter from Supreme Court Advocate Shri SudhirWalia who had successfully contested income tax cases of Punjab SCADB in the Supreme Court. Mr. Sudhir Walia has advised against other SCARDBs intervening in the appeal petition of Kerala SCARDB in the Supreme Court in the unlikely event of an adverse decision by Supreme Court in the appeal will

apply to them also without opportunity for any legal recourse.

In view of the above, as advised by the Advocate, the Federation has intervened in the appeal petition before Supreme Court on behalf of all other SCARDBs.

Refinance allocations to SCARDBs by NABARD during 2015-16

NABARD has allocated ₹3,200 crs. to 9 SCARDBs as refinance against their long term lending during 2015-16. The total refinance draws from NABARD by these banks during 2014-15 were ₹2923.95 crs. Allocations during 2015-16 have increased by 11% compared to draws during previous year.

The statement showing SCARDB-wise allocations for refinance during 2015-16 along with the draws during 2013-14 and 2014-15 is given below.

Union Budget 2016-17

The Finance Minister presented Union Budget for 2016-17 in the Parliament on 29th February 2016. The budget was presented on the background of growth of economy accelerated to 7.6% in 2015-16 and Indian economy emerging as the fastest growing in the world surpassing the growth rate of China in spite of

(₹ Crores)

Sr.No	Name of SCARDB (fully functional)	Refinance Allocations during 2015-16	Refinance drawn during	
			2013-14	2014-15
1.	Gujarat	150.00	89.00	80.00
2.	Haryana	125.00	67.97	124.81
3.	Himachal Pradesh	25.00	40.00	45.00
4.	Jammu & Kashmir	0.00	0.00	0.00
5.	Karnataka	250.00	99.98	236.36
6.	Kerala	1,250.00	778.00	1154.79
7.	Pondicherry	0.00	0.00	0.00
8.	Punjab	625.00	430.00	532.00
9.	Rajasthan	200.00	180.00	171.00
10.	Tamil Nadu	0.00	00.00	0.00
11.	Tripura	0.00	0.00	0.00
12.	Uttar Pradesh	450.00	0.00	450.00
13.	West Bengal	125.00	129.99	129.99
	TOTAL	3,200.00	1,814.94	2,923.95

unfavourable global conditions and two consecutive years of shortfall in monsoon. At the same time, the country faces the risks of getting affected by further global slow down and turbulence.

Ensuring macro economic stability and prudent fiscal management, increasing domestic demand and maintaining the pace of economic reforms and policy initiatives are the goals set for the year 2016-17. The budget heavily relies on development of agriculture and rural sectors for maintaining the pace of economic growth. Thrust also was given in the budget for social sector including health care, education, skill development, job creation and infrastructure.

It has been announced that the fiscal deficit target of 3.9% for the current year has been achieved and the Govt sticks to the target of 3.5% for the coming year. This is appreciable in the background of anticipated expenditure pressures of over ₹1 lakh crore in implementing pay commission report and ₹7500 crore to implement one rank one pension scheme. While high debt to GDP ratio is not considered good for macro economic stability, a faster GDP growth is the preferred solution to address the issue rather than drastic reduction in expenditure which will be counter-productive through its impact on demand. This is relevant in the Indian context with debt GDP ratio coming from 83.3% in 2003-04 to 67.1% in 2013-14.

Following are the highlights of proposals relating to agriculture and rural sectors and banking.

- Thrust on irrigation by increasing the irrigated area by 28.5 lakh hectares under 'Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana' and additional 80.6 lakh hectares by completing 89 medium and major irrigation projects during 2016-17.
- Setting up Long Term Irrigation Fund with a corpus of ₹20,000 crs in NABARD, in order to support private investment in irrigation development.
- The budget targets to cover entire 14 crore farm holdings under the soil Health Card Scheme during 2016-17.
- The budget also proposes to create a common e-platform for wholesalers in order to unify agricultural marketing system at national level.
- Prime Minister's Crop Insurance Scheme with an allocation of ₹5,500 crs during the year is expected to step up the coverage of the scheme to more farmers and crops.
- It has been announced that the crop loan interest subvention scheme will continue during 2016-17 with an allocation of ₹15,000 crores.
- Promoting organic farming through 'Parmparagat Krishi Vikas Yojana' and 'Organic Value Chain Development in North East Region'.
- Allocation to Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana increased to ₹19,000 crores and is expected to connect remaining 65,000 habitations by 2019.
- Allocation to rural sector increased to ₹87,765 crores. Further, Gram Panchayats and Municipalities will receive grant in aid of ₹2.87 lakh crores during 2016-17 as per the recommendations of 14th Finance Commission.
- Every block affected by drought and rural distress will be taken up for special support under Deen Dayal Antyodaya Mission.
- Rural employment Scheme of MGNREGS will continue with an allocation of ₹38,000 crores.
- Budget proposes to achieve 100% village electrification by 1st May 2018.
- District level Committees will be set up under the chairmanship of senior most Lok Sabha MP from the district for monitoring and implementation of designated Central Sector and Centrally Sponsored Schemes.
- Monetary incentives to villages to become free from open defecation.
- Introducing Digital Library Mission Scheme to cover 6 crore rural households within next three years.
- Revamping of National Land Record Modernisation Programme etc.
- Target for banks lending to agriculture enhanced to ₹9 lakh crore.
- Allocated ₹25,000 crore for recapitalization of public sector banks.
- Banking Board Bureau will be set up to help the Govt in appointing heads of public sector banks and advice on banking reforms.

VII. AFFILIATIONS

At National level

Federation is affiliated to the following organizations at the national level.

National Cooperative Union of India (NCUI)

Federation is a member of NCUI and associates actively with its programmes. Shri K. Sivadasan Nair, Vice Chairman, is Federation's representative in the General Body of NCUI, who has been elected unanimously to NCUI Governing Council.

Federation is also affiliated to the following other national level organizations/associations.

Cooperative Bank of India (COBI)

Federation is one of the founder members of COBI. The Chairman of the Federation is also one of the Directors of COBI.

During the year, the Seminar on Recent Trends in Banking Sector in India during 12-15 September 2015 at Hanoi, Vietnam, attended by Shri K.K. Ravindran, Managing Director from Federation and representatives from member banks included Shri Soloman Alex, President and Smt. Aparna Prathap, General Manager (I/c), Kerala SCARDB.

National Film and Fine Arts Cooperatives Ltd. (NAFFAC)

MD, Federation is a member in its General Body and Board.

National Cooperative Development Corporation (NCDC)

Shri K.K. Ravindran, MD, Federation has been nominated as a Member of General Council of NCDC by Govt of India under Section 3(4)(XVII) of NCDC Act 1962.

Federation is also holding associate membership with the following organizations.

- Indian Merchants Chamber (IMC)
- Indian Banks' Association (IBA)
- Indian Society for Studies in Cooperation
- Indian Tourism Cooperative Ltd. (ITC)

Centre for International Cooperation and Training in Agricultural Banking (CICTAB)

MD, Federation is a member of its General Council. Federation regularly nominates officials and non-officials from member banks to the programmes of CICTAB.

At International level

International Cooperative Alliance (ICA)

Federation is a member of ICA global as well as ICA Asia-Pacific Region. Federation also associates with the various Committees of ICA.

Shri K. Sivadasan Nair, as a representative of the Federation, continues to be the Chairman of Regional Cooperative Banking Association under ICA-AP. The representatives of the Federation participated in the following programme of ICA during the year.

- The Global Conference on "Cooperatives Empowering People for Sustainable Development and Zero Hunger" in Milan, Italy during 12 to 14 July 2015 Participated by Shri K. Sivadasan Nair, Vice Chairman, Shri Arunjit Singh Miglani, RCS, Punjab, Shri G.S. Mangat, Former Managing Director, Punjab SCADB, Shri Soloman Alex, President, Kerala SCARDB and Shri K.K. Ravindran, Managing Director, Federation.

Asia and Pacific Regional Agricultural Credit Association (APRACA)


Federation is a founder member of APRACA. Shri K.K. Ravindran, MD, Federation is a member of its General Body since 1996. Representative of the Federation attended the following programme/meeting of APRACA during the year.

- FAO-APRACA International Trainers Training Programme during 15-18 February 2016 in Bangkok, Thailand participated by Shri D.B. Trivedi, Managing Director, Gujarat State Cooperative Agri. & Rural Development Bank Ltd., Ahmedabad.

International Raiffeisen Union (IRU)

Federation is a member of IRU. Shri Sukhdarshan Singh Marar, Chairman represents the Federation in the General Body of IRU. Representatives of the Federation attended the following programme/meeting of IRU during the year.

- 1st IRU Marketing Workshop during 11-12 November 2015 in Zurich, Switzerland participated by Shri S.S. Marar, Chairman, Shri Dalip Singh Yadav, Vice Chairman and Shri K.K. Ravindran, Managing Director, NCARDBF.



VIII. MANAGEMENT OF THE FEDERATION

General Body

The General Body consists of members of the Federation, represented by the Delegates nominated by the Board of Directors of the respective bank.

Following is the list of members of the Federation.

1. Andhra Pradesh State Co-operative Bank Ltd., Hyderabad.
2. Assam State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Guwahati.
3. Multi State Co-operative Land Development Bank Ltd. (Bihar-Jharkand), Patna.
4. Gujarat State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Ahmedabad.
5. Haryana State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Panchkula.
6. Himachal Pradesh State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Shimla.
7. Jammu & Kashmir State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Srinagar.
8. Karnataka State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Bangalore.
9. Kerala State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Thiruvananthapuram.
10. Madhya Pradesh State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Bhopal.
11. Orissa State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Bhubaneshwar.
12. Pondicherry Co-operative Central Land Development Bank Ltd., Pondicherry.
13. Punjab State Co-operative Agricultural Development Bank Ltd., Chandigarh.
14. Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd., Jaipur.
15. Tamil Nadu Co-operative State Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Chennai.
16. Tripura Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Agartala.
17. Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd., Lucknow.
18. West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Kolkata.
19. Delhi State Cooperative Bank Ltd., New Delhi.
20. Goa State Co-operative Bank Ltd., Panaji.
21. Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd., Shillong.
22. Telangana State Cooperative Apex Bank Ltd., Hyderabad.

Board of Management

As per Byelaw No.20 (iii), the Board of Management of the Federation consists of 20 Directors elected by the General Body, 1 Director being nominated by the Central Govt., 2 Directors co-opted by the Board apart from Managing Director, who is ex-officio member of the Federation.

The Board of Management as on 31.3.2016 consisted of the following persons:-

Sr.No.	Name of Board Member	Member Bank representing
1.	Shri Sukhdarshan Singh Mrar Chairman	Punjab State Cooperative Agricultural Development Bank Ltd.
2.	Shri K. Sivadasan Nair, MLA Vice Chairman	Kerala State Cooperative Agricultural & Rural Development Bank Ltd.
3.	Shri Dalip Singh Yadav Vice Chairman	Haryana State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

Sr.No.	Name of Board Member	Member Bank representing
4.	Shri Bijay Kumar Singh Vice Chairman	Multi State Cooperative Land Development Bank Ltd. (Bihar-Jharkhand)
5.	Shri B.H. Jadeja Vice Chairman	Gujarat State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
6.	Shri P. Venkateswara Rao	Andhra Pradesh State Cooperative Bank Ltd.
7.	Shri R.S. Dahiya	Delhi State Coop. Bank Ltd.
8.	Shri Ulhas B. Phal Dessai	Goa State Cooperative Bank Ltd.
9.	Shri K. Shadakshari, MLA	Karnataka State Coop. Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
10.	Shri M. Syiem	Meghalaya Cooperative Apex Bank Ltd.
11.	Shri B. Shahul Ameen	Tamil Nadu Co-op. State Agriculture & Rural Dev. Bank Ltd.
12.	Pt. Shiv Lal	Himachal Pradesh State Cooperative Agriculture & Rural Dev. Bank Ltd.
13.	Shri Rash Behari Datta	Tripura Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
14.	Shri Konduru Ravinder Rao	Telangana State Cooperative Apex Bank Ltd.
15.	Shri Alok Dixit	Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd.
16.	Shri Y.C. Nanda	Co-opted Member
17.	Shri G.S. Mangat	Co-opted Member
18.	Shri K.K. Ravindran	Ex-officio

Note: As on 31.3.2016, there were 18 members on the Board consisting of 15 elected Directors against 20 Directors to be elected by the General Body, 2 Co-opted Directors and the Managing Director.

Executive Committee

As per Byelaw No.26(a), Executive Committee shall consist of Chairman, 4 Vice Chairmen, Managing Director and 5 Board members elected by the Board.

- (1) **Shri Sukhdharshan Singh Marar**, Chairman (Punjab State Cooperative Agricultural Development Bank Ltd.)
- (2) **Shri K. Sivadasan Nair, MLA**, Vice Chairman (Kerala State Cooperative Agricultural & Rural Development Bank Ltd.)
- (3) **Shri Bijay Kumar Singh**, Vice Chairman (Multi State Land Dev. Bank Ltd. – Bihar-Jharkhand)
- (4) **Shri Dalip Singh Yadav**, Vice Chairman (Haryana State Cooperative Agri & Rural Development Bank Ltd.)

- (5) **Shri B.H. Jadeja**, Vice Chairman (Gujarat State Cooperative Agri. & Rural Development Bank Ltd.)
- (6) **Shri P. Venkateswara Rao** (Andhra Pradesh State Cooperative Bank Ltd.)
- (7) **Shri K. Shadakshari, MLA** (Karnataka State Cooperative Agri. & Rural Dev. Bank Ltd.)
- (8) **Shri B. Shahul Ameen** (Tamil Nadu Coop. State Agriculture & Rural Dev. Bank Ltd.)
- (9) **Shri M. Syiem** (Meghalaya Cooperative Apex Bank Ltd.)
- (10) **Shri K.K. Ravindran**, Managing Director, NCARDBF

(One position remained vacant as on 31.3.2016.)

Administrative Committee

As per Byelaw No.27(a), the Administrative Committee consists of Chairman, 4 Vice Chairmen and the

Managing Director. Following are the members of Administrative Committee as on 31.3.2016.

1. **Shri Sukhdarshan Singh Marar**, Chairman
2. **Shri K. Sivadasan Nair, MLA**, Vice Chairman
3. **Shri Bijay Kumar Singh**, Vice Chairman
4. **Shri Dalip Singh Yadav**, Vice Chairman
5. **Shri B.H. Jadeja**, Vice Chairman
6. **Shri K.K. Ravindran**, Managing Director

Meeting of General Body, Board and Executive Committee during the financial year 2015-16

The Meetings of the General Body, Board and Executive Committee during the year under report with dates and venues are listed below :

Meetings	Place	Date
(a) Annual General Meeting (55 th)	Lucknow (U.P.)	24 Aug. 2015
(b) Board of Management		
145 th Board	Thiruvananthapuram (Kerala)	30 April 2015
146 th Board	Lucknow (U.P.)	24 Aug. 2015
147 th Board	Mehsana (Gujarat)	04 Dec. 2015
148 th Board	Cochin (Kerala)	12 Feb. 2016
(c) Executive Committee	Srinagar (J & K)	10 Oct. 2015

Important issues discussed in Board Meetings

The Board Meetings continued to be the main forum for discussing the policy and operational issues related to rural credit apart from reviewing the operations of member banks.

During the year under report, the Board, besides discussing the regular items related to business operations of member banks and periodical review of performance under NABARD refinance, advances, recovery etc. also considered and discussed the following subjects in its meetings.

1. Promoting a Banking Company by SCARDBs.
2. Restructuring of ARDBs – discussions with Rabo International Advisory Services and NABARD.
3. Accelerated Recovery Drive.
4. Policy Guidelines for financing PCARDBs as Multi Service Centres by NABARD.
5. Union Budget 2015-16.

6. 2nd Conference of Principal Secretaries & Registrars of Cooperative Societies held on 20th November 2014 at Thiruvananthapuram – Follow-up of Recommendations.
7. Programme of Activities of the Federation during 2015-16.
8. Performance of SCARDBs during April 2015 – September 2015 in key operational areas.
9. Reforms in LTCCS – Review of progress.
10. Refinance allocations by NABARD to SCARDBs for 2015-16.
11. NCDC line of Credit to ARDBs.
12. The calendar of Programmes for the period September 2015 to March 2016.
13. Guidelines for launching Accelerated Recovery Drive.

14. Performance awards to SCARDBs for the year 2014-15.
15. Revamping of JLTCs.
16. Meeting with NCDC on 29th October 2015 in New Delhi.
17. New provisions of Tax deduction at source on interest paid by co-operative banks on deposit to its members.
18. Internal Committee constituted by NABARD to study the working of ARDBs.
19. Sanction of term loans to State Govts under section 27 of the NABARD Act, 1981 for contribution to share capital of cooperative credit institutions – Policy for the year 2015-16.
20. Revival package for LTCCS.
21. Lobbying for revival support and favourable policy decisions.
22. Internal reforms initiatives by SCARDBs.
23. Meeting with Members of Internal Committee of NABARD on LTCCS.



IX. FINANCE AND ACCOUNTS

The summary of Assets and Liabilities and Income & Expenditure Accounts for the year 2015-16 are given below:

ASSETS AND LIABILITIES

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	LIABILITIES	As on		Sr. No.	ASSETS	As on	
		31.3.16	31.3.15			31.3.16	31.3.15
1.	Reserves & Other Funds	1967.97	1868.25	1.	Cash & Bank Balances	0.63	15.83
2.	Secured Loans	2.76	30.40	2.	Investments	1673.97	1573.97
3.	Other Liabilities & Provisions	44.68	30.83	3.	Fixed Assets	248.19	260.38
4.	Surplus transferred from Income & Exp.A/C	10.47	9.41	4.	Sundry Debtors & Receivables	90.67	77.69
				5.	Loans & Advances	6.80	6.08
				6.	Sundry Deposits & Prepaid Exps.	5.38	4.94
				7.	TDS Receivable	0.24	0.00
	TOTAL	2025.88	1938.89		TOTAL	2025.88	1938.89

INCOME AND EXPENDITURE

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Amount	
		2015-16	2014-15
	INCOME		
1.	AMS & Additional contributions from member banks	86.50	86.75
2.	Interest Incomes	83.35	80.45
3.	Grants received (GOI & NCU)	0.00	8.00
4.	Miscellaneous Income / Dividend / Guest House service charges	0.26	0.35
5.	Recovery from BDRR	9.80	27.27
	TOTAL (1 to 5)	179.91	202.82
	EXPENDITURE		
1.	Management Cost	84.45	83.67
2.	Other Office Expenses	23.03	21.47
3.	Meetings/Seminar/Conference Expenses	5.04	12.20
4.	Premises Maintenance Expenses	9.10	9.88
5.	Provisions /Reserves	47.82	66.25
	TOTAL (1 to 5)	169.44	193.47
	Surplus	10.47	9.41



X. BRIEF PROFILE OF MEMBER BANKS

Fully Functional SCARDBs

Gujarat State Cooperative Agriculture & Rural Dev. Bank Ltd.			
489, Ashram Road, Near Nehru Bridge, Navrangpura, Ahmedabad - 380 009			
Email gscardb@gmail.com		Telephone Nos. 079-26585365/70/71	
Chairman Shri Dhirenkumar B. Chaudhari		Managing Director Shri D.B. Trivedi	
Staff Position At SCARDB (HO & Branches) : 395		Interest Rate On Loans : 11.00% to 13.50% On Deposit Collection : 8.00% to 8.50%	
Key Financial Parameters (₹ Lakh)			
Particulars	2012-13	2013-14	2014-15
Loans Outstanding	57,989.36	58,247.75	57,805.85
Loans Disbursed	19,008.81	17,750.83	17,762.15
Total Paid up Capital	4,448.47	4,543.13	4,562.10
Free Reserves	46,745.57	49,746.65	51,290.16
Capital to Asset Ratio (%)	44.93	44.80	45.86
Deposit Outstanding	20,558.79	22,019.30	24,283.20
Borrowings Outstanding	27,491.14	35,276.65	42,288.42
Net Profit	3,751.60	2,349.97	2,406.15

Haryana State Cooperative Agriculture & Rural Dev. Bank Ltd.			
Sahkarita Bhawan, Bay No. 31-34, Sector 2, Panchkula – 134 112			
Email – contact@haryanacardbank.com		Telephone No. 0172-2587040	
Chairperson Smt. Rajni Sekhari Sibbal, IAS		Managing Director Shri Satbir Sharma	
Staff Position At SCARDB : 84 At PCARDB : 1046		Interest Rate At Ultimate Borrowers' Level : 13.25% SCARDBs to PCARDBs : 10.75%	
Key Financial Parameters (₹ Lakh)			
Particulars	2012-13	2013-14	2014-15
Loans Outstanding	2,19,363.61	2,09,570.65	2,07,538.19
Loans Disbursed	16,887.53	6,606.20	13,081.54
Total Paid up Capital	4,174.30	4,384.30	4,539.36
Free Reserves	21,245.77	32,031.09	40,721.19
Capital to Asset Ratio (%)	9.42	11.50	15.37
Borrowings Outstanding	21,6357.52	1,93,852.59	1,82,403.14
Net Loss	(698.82)	(3,613.37)	(4,314.60)

Himachal Pradesh State Cooperative Agri. & Rural Dev. Bank Ltd.

Block No. D-3, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171 009

Email md@hparadb.org

Telephone No. 0177-2621437

Chairman
Pt. Shiv Lal

Managing Director
Shri Ravinder Nath Sharma

Staff Position
At SCARDB (HO & Branches) : 108
At PCARDB : 59

Interest Rate
At Ultimate Borrowers' Level : 11.00% to 14.50%
SCARDBs to PCARDBs : 7.70% to 10.30%
On Deposit Collection : 5.00% to 9.00%

Key Financial Parameters (₹ Lakh)

Particulars	2012-13	2013-14	2014-15
Loans Outstanding	29,720.24	28,693.70	30,427.85
Loans Disbursed	2,713.95	2,577.42	7,007.68
Total Paid up Capital	1,625.95	1,585.16	1,685.88
Free Reserves	17.21	17.21	17.21
Capital to Asset Ratio (%)	4.78	4.42	4.43
Deposit Outstanding	3,533.34	5,429.18	5,852.23
Borrowings Outstanding	18,440.84	18,292.70	19,255.02
Net Profit	1.05	240.93	958.86

Jammu & Kashmir State Cooperative Agri. & Rural Dev. Bank Ltd.

House No.12, Post Office Lane, Hyderpora, Near Mubarak Hospital, Srinagar - 190 014

Email – scardjk@rediffmail.com

Telephone No. 0194-2431892

Chief Executive Officer
Shri Mohammad Aslam Bhat

Staff Position
At SCARDB (HO & Branches): 248

Interest Rate
On Loans : 11.00% to 14.50%
On Deposit Collection : 9.00% to 9.50%

Key Financial Parameters (₹ Lakh)

Particulars	2012-13	2013-14	2014-15
Loans Outstanding	1,995.23	2,799.72	4,047.26
Loans Disbursed	679.69	1,051.39	1,741.90
Total Paid up Capital	798.19	1,847.58	2,910.92
Free Reserves	5.09	9.70	13.43
Capital to Asset Ratio (%)	60.52	79.26	79.99
Deposit Outstanding	2,163.45	3,586.78	6,020.73
Borrowings Outstanding	616.00	616.00	616.00
Net Loss	(383.16)	(478.00)	(525.51)

Karnataka State Cooperative Agriculture & Rural Dev. Bank Ltd.

Tippu Sultan Palace Road, Chamrajpet, P.O. Box No.1811, Fort, Bangalore - 560 018

Email – kscardbank@yahoo.com

Telephone No. 080-26702024

Chief Executive Officer

Shri K. Shadakshari

Managing Director

Shri H. Balashekar

Staff Position

At SCARDB : 297

At PCARDB : 775

Interest Rate

At Ultimate Borrowers' Level : 13.50% to 14.00%

SCARDBs to PCARDBs : 11.75% to 12.00%

On Deposit Collection : 7.00% to 10.75%

Key Financial Parameters (₹ Lakh)

Particulars	2012-13	2013-14	2014-15
Loans Outstanding	1,36,080.90	1,39,251.67	1,49,558.91
Loans Disbursed	21,771.76	22,564.45	33,270.99
Total Paid up Capital	5,517.87	5,800.02	5,996.33
Free Reserves	9,758.87	10,129.85	10,176.46
Capital to Asset Ratio (%)	6.12	6.20	5.89
Deposit Outstanding	9,254.83	12,383.12	13,506.36
Borrowings Outstanding	1,46,635.70	1,39,741.80	1,44,188.42
Net Profit	4.73	5.78	9.67

Kerala State Cooperative Agricultural & Rural Dev. Bank Ltd.

P. B. No.56, Statue Junction, Thiruvananthapuram - 695 001

Email – ho.cardbank@gmail.com

Telephone No. 0471-2460595

President

Shri Solomon Alex

General Manager (I/C)

Smt Aparna Prathap

Staff Position

At SCARDB : 261

At PCARDB : 1166

Interest Rate

At Ultimate Borrowers' Level : 11.00% to 16.50%

SCARDBs to PCARDBs : 9.35% to 13.00%

On Deposit Collection : 6.50% to 9.25%

Key Financial Parameters (₹ Lakh)

Particulars	2012-13	2013-14	2014-15
Loans Outstanding	3,26,474.36	4,13,342.12	4,81,409.00
Loans Disbursed	1,62,109.95	2,01,407.73	2,04,756.56
Total Paid up Capital	9,987.84	12,178.83	14,212.05
Free Reserves	30,082.17	33,722.05	35,079.39
Capital to Asset Ratio (%)	9.19	9.16	9.77
Deposit Outstanding	10,421.09	16,590.10	50,862.72
Borrowings Outstanding	2,83,867.69	3,17,102.15	3,89,696.27
Net Profit	2,065.32	2,110.66	2,341.18

Pondicherry Cooperative Central Land Dev. Bank Ltd.,

No. 24, Colas Nagar, Uppalam, Puducherry - 605 001

Email – pcclodb@dataone.in

Telephone Nos. 0413-2357985/2358827

Administrator
Thiru. G. Madhurai

Staff Position
At SCARDB (HO & Branches) : 31

Interest Rate
on Loans : 13.00% to 15.00%
on Deposit Collection : 9.25% to 10.00%

Key Financial Parameters (₹ Lakh)

Particulars	2012-13	2013-14	2014-15
Loans Outstanding	1,931.72	1,906.11	1,962.43
Loans Disbursed	1,658.86	1,642.40	1,744.87
Total Paid up Capital	366.69	390.90	414.75
Free Reserves	30.66	33.28	32.21
Capital to Asset Ratio (%)	18.98	20.51	21.14
Deposit Outstanding	1,096.72	1,138.85	1,306.61
Borrowings Outstanding	791.98	757.77	708.98
Net Loss	(21.06)	(74.55)	(59.27)

Punjab State Cooperative Agricultural Development Bank Ltd.

SCO No.51-54, Bank Square, Sector 17-B, Chandigarh-160 017

Email – sadbmd@gmail.com

Telephone Nos. 0172-2727253/5011708

Chairman
Shri Sukhdarshan Singh Mrar

Managing Director
Shri Harinder Singh Sidhu

Staff Position
At SCARDB : 289
At PCARDB : 850

Interest Rate
At Ultimate Borrowers' Level : 11.80% to 12.80%
SCARDBs to PCARDBs : 9.80% to 10.30%
On Deposit Collection : 8.00% to 8.50%

Key Financial Parameters (₹ Lakh)

Particulars	2012-13	2013-14	2014-15
Loans Outstanding	2,14,633.44	2,39,135.44	2,47,084.38
Loans Disbursed	46,554.90	55,347.39	58,958.24
Total Paid up Capital	7,173.95	7,295.65	7,452.15
Free Reserves	26,039.62	27,254.85	28,549.59
Capital to Asset Ratio (%)	17.41	16.72	16.56
Deposit Outstanding	13,471.61	15,866.71	16,038.00
Borrowings Outstanding	2,12,306.44	2,16,314.83	2,27,779.20
Net Profit	2,877.85	2,566.95	2,493.34

Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd.

Nehru Sahakar Bhawan, Western Block 22, Godam Circle, B.S. Road, Jaipur - 302 005

Email – rajslbjaipur@yahoo.co.in

Telephone Nos. 0141-2740440/2740335

Administrator
Shri Surendra Singh Rathod

Managing Director
Shri Vijay Kumar Sharma

Staff Position
At SCARDB : 102
At PCARDB : 483

Interest Rate
At Ultimate Borrowers' Level : 12.60%
SCARDBs to PCARDBs : 10.10%

Key Financial Parameters (₹ Lakh)

Particulars	2012-13	2013-14	2014-15
Loans Outstanding	1,28,230.20	1,27,876.82	1,25,726.10
Loans Disbursed	23,765.42	26,425.16	24,661.92
Total Paid up Capital	3,678.81	3,729.85	3,810.79
Free Reserves	24,089.32	17,935.83	21,696.73
Capital to Asset Ratio (%)	14.25	14.44	12.47
Borrowings Outstanding	1,25,936.64	1,23,625.60	1,19,676.14
Net Profit	306.84	215.30	369.78

Tamil Nadu Cooperative State Agriculture & Rural Dev. Bank Ltd.

No. 181-183, Luz Church Road, Mylapore, Chennai - 600 004

Email – sldbchn@yahoo.co.in

Telephone No. 044-24993854

Chairman
Thiru. B. Shahul Ameen

Managing Director
Thiru. M. Senthamilselvan

Staff Position
At SCARDB : 129
At PCARDB : 497

Interest Rate
At Ultimate Borrowers' Level : 12.00% to 14.00%
SCARDBs to PCARDBs : 11.00%
On Deposit Collection : 9.25% to 11.00%

Key Financial Parameters (₹ Lakh)

Particulars	2012-13	2013-14	2014-15
Loans Outstanding	69,546.33	78,692.10	77,483.84
Loans Disbursed	87,366.62	95,974.90	95,202.90
Total Paid up Capital	4,037.11	4,037.11	4,037.11
Free Reserves	5,261.75	5,489.80	6,198.07
Capital to Asset Ratio (%)	2.10	1.90	1.90
Deposit Outstanding	17,712.77	29,177.95	17,840.31
Borrowings Outstanding	16,101.65	14,031.57	16,538.55
Net Profit	229.20	267.00	313.53

Tripura Cooperative Agriculture & Rural Dev. Bank Ltd.

Office Lane, Agartala - 799 001

Email – tcardsbld.2012@gmail.com

Telephone No. 0381-2323972

President
Shri Rash Bihari Datta

General Manager
Shri Dipak Ranjan Das

Staff Position
At SCARDB (HO & Branches) : 39

Interest Rate
On Loans : 14.25% to 16.25%

Key Financial Parameters (₹ Lakh)

Particulars	2012-13	2013-14	2014-15
Loans Outstanding	3,034.79	2,579.41	2,392.59
Loans Disbursed	641.70	107.88	229.06
Total Paid up Capital	859.13	846.53	938.31
Free Reserves	-	-	-
Capital to Asset Ratio (%)	-	-	-
Borrowings Outstanding	3,344.97	2,986.98	2,422.85
Net Loss	(87.05)	(16.67)	(24.65)

Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd.

10, Mall Avenue, Lucknow - 226 001

Email – upsgvb@yahoo.in

Telephone Nos. 0522-3056350/460

Chairman
Shri Shivpal Singh Yadav

Chief Executive Officer
Shri Alok Dixit

Staff Position
At SCARDB (HO & Branches) : 2434

Interest Rate
On Loans : 14.00% to 14.50%
On Deposit Collection : 5.50% to 7.75%

Key Financial Parameters (₹ Lakh)

Particulars	2012-13	2013-14	2014-15
Loans Outstanding	3,05,710.00	2,81,493.00	3,09,082.00
Loans Disbursed	5,581.26	40,653.06	59,033.91
Total Paid up Capital	28,380.21	29,295.47	30,773.06
Free Reserves	20,959.41	23,477.21	23,476.97
Capital to Asset Ratio (%)	16.21	31.16	30.61
Deposit Outstanding	5,487.08	5,568.07	5,802.25
Borrowings Outstanding	2,03,390.65	1,55,313.24	1,55,687.87
Net Profit	8,179.34	1,811.47	2,000.34

West Bengal State Coop. Agriculture & Rural Dev. Bank Ltd.

25-D, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 017

Email – wbcardb@gmail.com

Telephone Nos. 033-22871786/22871787

Officer In-Charge
Shri Ashis Kr. Mondal

Staff Position
At SCARDB (HO & Branches) : 112
At PCARDB : 555

Interest Rate
At Ultimate Borrowers' Level : 11.95% to 12.30%
SCARDBs to PCARDBs : 10.20% to 10.70%
On Deposit Collection : NR

Key Financial Parameters (₹ Lakh)

Particulars	2012-13	2013-14	2014-15
Loans Outstanding	1,06,045.79	1,02,511.17	1,07,019.55
Loans Disbursed	16,053.18	5,277.53	19,211.65
Total Paid up Capital	3,755.60	3,798.81	3,862.43
Free Reserves	2,484.23	1,470.23	1,586.24
Capital to Asset Ratio (%)	3.15	3.13	3.08
Deposit Outstanding	12,686.91	14,386.43	15,458.59
Borrowings Outstanding	85,289.88	84,624.27	83,645.73
Net Profit/Loss *	5.86	(2,420.75)	41.81

*Figures in bracket indicate Loss.

Other SCARDBs

Assam State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

Ashram Road, Ulubari, Guwahati – 781 007

Email – ascadbanktdgghy@gmail.com

Telephone No. 0361-2522201

Chairman
Shri A. B. Das

Chief Executive Officer
Shri J. Sarma

Staff Position
At SCARDB (HO & Branches) : 210

Interest Rate
On Loans : 12.00% to 15.00%
On Deposit Collection : 6.00% to 8.50%

Key Financial Parameters (₹ Lakh)

Particulars	2012-13	2013-14	2014-15
Loans Outstanding	842.12	865.46	845.67
Loans Disbursed	18.67	81.62	35.68
Total Paid up Capital	618.32	620.95	620.48
Free Reserves	961.39	1,011.39	-
Capital to Asset Ratio (%)	25.01	23.39	23.30
Deposit Outstanding	18.70	73.49	95.33
Borrowings Outstanding	2,952.17	2,952.17	2,952.17
Net Loss	(281.95)	(533.05)	(16.34)

Multi State Cooperative Land Development Bank Ltd. (Bihar - Jharkhand)

Budh Marg, Patna – 800 001

Email – ldbpat@gmail.com

Telephone No. 0612-2226222

Chairman
Shri Bijay Kumar Singh

Managing Director
Shri Binod Prasad Singh

Staff Position
At SCARDB (HO & Branches) : 428

Key Financial Parameters (₹ Lakh)

Particulars	2012-13	2013-14	2014-15
Loans Outstanding	5,700.14	5,344.80	5,013.05
Loans Disbursed	4.05	54.85	35.80
Total Paid up Capital	2,930.92	2,903.33	2,878.60
Free Reserves	2,475.74	2,531.87	2,370.87
Capital to Asset Ratio (%)	-	-	-
Borrowings Outstanding	1,653.32	1,498.75	1,316.27
Net Profit/Loss *	154.45	(2,207.86)	(1,793.84)

*Figures in bracket indicate Loss.

Madhya Pradesh State Cooperative Agri. & Rural Dev. Bank Ltd.

8, Arera Hills, Old Jail Road, Bhopal - 462 004

Email – mpvikasbank@rediffmail.com

Telephone No. 0755-2550280

Administrator
Shri Ajit Kesari, I.A.S.

Managing Director
Shri P.S. Nargesh

Staff Position
At SCARDB : 221
At PCARDB : 1229

Key Financial Parameters (₹ Lakh)

Particulars	2012-13	2013-14	2014-15
Loans Outstanding	1,08,178.61	1,05,351.70	1,03,269.89
Loans Disbursed	41.73	0.00	0.00
Total Paid up Capital	3,732.55	3,559.39	3,495.98
Free Reserves	4,281.42	4,279.57	4,282.68
Capital to Asset Ratio (%)	-	-	-
Deposit Outstanding	6,396.46	4,659.25	3,617.47
Borrowings Outstanding	1,25,575.53	1,24,411.43	1,20,610.02
Net Loss	(13,987.82)	(19,763.56)	(13,154.60)

Odisha State Cooperative Agricultural & Rural Dev. Bank Ltd.

A/34, Jawaharlal Nehru Marg, Post Box No.56, Unit – 3, Bhubaneswar - 751 001

Email – oscarbank6@gmail.com

Telephone Nos. 0674-2390947/2390142

Management (I/C)
Shri Brahmananda Bhue

Managing Director
Shri Nityananda Rout

Staff Position
At SCARDB : 59
At PCARDB : 75

Key Financial Parameters (₹ Lakh)

Particulars	2012-13	2013-14	2014-15
Loans Outstanding	2,174.24	2,163.03	NR
Loans Disbursed	0.00	0.00	0.00
Total Paid up Capital	862.84	862.84	NR
Free Reserves	45.54	45.54	NR
Capital to Asset Ratio (%)	-	-	-
Deposit Outstanding	116.63	122.48	NR
Borrowings Outstanding	6,590.23	6,590.23	6,590.23
Net Loss	(1,120.60)	(1,124.79)	NR

NR-Not Reported

State Cooperative Banks

Andhra Pradesh State Cooperative Bank Ltd.

3-4-447/448, Sahakar Bhavan, Opp. YMCA, Barkatpura, Hyderabad - 500 027

Email – mdoffice@apcob.org

Telephone No. 040-27687480/85

President
Shri P. Venkateswara Rao

Managing Director
Mrs. K. S. M. Lakshmi

Key Financial Parameters (₹ Lakh)

Particulars	2012-13	2013-14	2014-15
Loans Outstanding	8,32,020.00	9,52,676.00	9,06,500.00
Loans Disbursed	32,417.50	55,978.10	34,922.00
Total Paid up Capital	27,435.00	31,596.00	31,789.00
Free Reserves	1,45,541.00	1,50,516.00	1,55,516.00
Deposit Outstanding	4,05,983.00	4,63,078.00	5,20,844.00
Borrowings Outstanding	6,01,501.00	6,98,080.00	6,16,917.00
Net Profit	6,948.00	5,443.24	5,984.98

Source: Annual Reports of APCOB

Delhi State Cooperative Bank Ltd.

31, Netaji Subhash Marg, Darya Ganj, New Delhi – 110 002

Email – dscb.bkg@gmail.com

Telephone No. 011-23270375

President
Dr. Bijender Singh, MLA

Managing Director
Shri R. S. Dahiya

Key Financial Parameters (₹ Lakh)

Particulars	2012-13	2013-14	2014-15
Loans Outstanding	45,047.35	44,872.79	51,511.15
Loans Disbursed	35,065.46	32,655.59	39,912.92
Total Paid up Capital	730.14	744.61	773.38
Free Reserves	12,547.41	14,439.25	15,312.27
Deposit Outstanding	83,279.74	88,150.40	94,167.93
Borrowings Outstanding	2,432.50	2,650.50	3,112.50
Net Profit	1,975.69	804.50	784.21

Goa State Cooperative Bank Ltd.

Sahakar Sankul, EDC Complex, Patto Plaza, P.O. Box No. 183, Panaji – 403 001

Email – gscbpln@gscbgoa.com

Telephone No. 0832-2437641

Chairman
Shri Ulhas B. Phaldessai

Managing Director
Shri Suresh V. Lotlikar

Staff Position
At SCARDB : 114
At PCARDB : 553

Interest Rate
On Loans : 5.00% to 15.00%
On Deposit Collection : 5.50% to 8.25%

Key Financial Parameters (₹ Lakh)

Particulars	2012-13	2013-14	2014-15
Loans Outstanding	63,636.47	82,983.15	1,11,352.42
Loans Disbursed	42,575.69	57,887.58	64,248.57
Total Paid up Capital	2,268.43	3,411.30	4,325.05
Free Reserves	0.00	0.00	0.00
Capital to Asset Ratio (%)	1.62	2.13	2.38
Deposit Outstanding	1,24,975.16	1,43,312.25	1,62,596.73
Net Profit/Loss *	4,243.12	(1,135.75)	(812.86)

Lending to Agriculture & Allied Sector during 2014-15 ₹ 4000.14 Lakh

*Figures in bracket indicate Loss.

Meghalaya Cooperative Apex Bank Ltd.

M. G. Road, Shillong – 793 001

Email – apexbank@sancharnet.in

Telephone Nos. 0364-2224160/66

Chairman
Shri M.S. Syiem

Managing Director
Shri O. E. J. Nongbri

Key Financial Parameters (₹ Lakh)

Particulars	2012-13	2013-14	2014-15
Loans Outstanding	55,320.00	69,491.00	NR
Loans Disbursed	4,686.00	13,655.00	NR
Total Paid up Capital	600.00	699.00	NR
Free Reserves	5,706.00	9,930.00	NR
Deposit Outstanding	1,33,496.00	1,48,241.00	NR
Borrowings Outstanding	1,763.00	3,869.00	NR
Net Profit	1,452.00	1,934.00	NR

Source: NAFSCOB Website
NR-Not Reported

Telangana State Cooperative Apex Bank Ltd.

Dr. Y.S. Rajasekhar Reddy Sahakara Bhavan, 4-1-441, H.O. Troop Bazar, Hyderabad - 500 001

Email – mdoffice@tscab.org

Telephone Nos. 040-23443818/21/90/98

President
Shri Konduru Ravinder Rao

Managing Director
Dr. Nethi Muralidhar

Interest rate
On Deposit Collection : 5.00% to 7.80%

Key Financial Parameters (₹ Lakh)

Particulars	2014-15
Loans Outstanding	NR
Loans Disbursed (Long Term)	3,43,543.00
Total Paid up Capital	10,198.00
Free Reserves	45,404.00
Deposits	2,87,157.00
Borrowings	2,90,910.00

Source: NAFSCOB Website
NR-Not Reported



XI. REPORT ON MEMBER BANKS' OPERATIONS DURING 2015-16

1. General Information

The Long Term Cooperative Credit Structure as on 31-03-2016 comprises of 17 SCARDBs and 5 SCBs as against 17 SCARDBs and 4 SCBs as on 31-03-2015. Of the 17 SCARDBs, 8 have federal structure operating through affiliated PCARDBs and 7 are unitary, operating through their branches and the remaining 2 SCARDBs have a mixed structural pattern serving through PCARDBs in some areas and through own branches in other areas of State. The general administrative data is compiled for 13 fully functional SCARDBs for the year 2015-16, based on the information available at the time of finalizing this report. The position as on 31-03-2016 is considered for review. The Unitary/Mix structure fully functional SCARDBs were operating through 616 branches. The Federal structure had 601 PCARDBs which in turn had 491 branches. The total membership of 13 fully functional SCARDBs as on 31-03-2016 was 108.06 Lakh of which the borrowing members were 64.14 Lakh. Out of 13 fully functional banks 9 had elected board, at state level and 531 out of 601 PCARDBs also

had elected boards. Overall information on structure, membership, staff and elected boards are furnished below in the table.

2. Loans advanced

Total loans advanced by 13 SCARDBs (fully functional) during the year 2015-16 amounted to ₹5260.89 crore as against ₹5098.94 crore during 2014-15 showing a growth of 3.18% over the previous year. Fully functional SCARDBs except Gujarat, Jammu & Kashmir, Karnataka, Tamil Nadu SCARDBs registered growth in advances over the previous year. The aggregate loans outstanding of these banks at Apex Bank level stood at ₹19439.30 crore for the year 2015-16 as against ₹18141.65 crore for the previous year.

3. Borrowings

Total borrowings by 13 SCARDBs (Fully functional) during 2015-16 decreased to ₹3783.91 crore from ₹3791.97 crore during 2014-15. NABARD continued to be the main source of borrowings during the year, with total refinance support of ₹3347.26 crore accounting for 88.46% of total borrowings by the Banks.

Sr. No.	Particulars	As on 31-03-2015	As on 31-03-2016
1)	Number of SCARDBs (Federal)	8	8
2)	Number of SCARDBs (Unitary)	7	7
3)	Number of SCARDBs with mixed Structural pattern	2	2
4)	Number of Branches of SCARDBs (Unitary)	610	616
5)	Number of PCARDBs (Federal)	589	601
6)	Number of Branches of PCARDBs (Federal)	495	499
7)	Total Membership (in Lakh)	107.31	108.06
8)	Of item 7, Borrowing members (in Lakh)	62.56	64.14
9)	Number of SCARDBs having Elected board	9	9
10)	Number of PCARDBs having elected board	539	531
11)	Staff in SCARDBs (Number)	4512	5064
12)	Staff in PCARDBs (Number)	5575	5366

Remaining 11.54% of borrowings by these SCARDBs were sourced from Govt., NCDC, NHB and various SCBs. SCARDB-wise borrowings declined during the year in the case of Haryana, Punjab and Tamil Nadu.

The Borrowings Outstanding of 13 SCARDBs as on 31-03-2016 (Fully functional) stood at ₹14421.70 crore as against ₹13603.79 crore as on 31-03-2015. Borrowing outstanding of 5 banks viz. Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Punjab and West Bengal showed an increase and that of 7 states viz. Gujarat, Haryana, Pondicherry, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura and Uttar Pradesh suffered negative growth over the previous year.

4. Deposit Mobilisation

All fully functional SCARDBs except Haryana, Rajasthan and Tripura have been taking deposits during the year under report. Deposits of these banks mainly comprised of member deposits under various deposit schemes as approved by their Board of Directors. Some of the SCARDBs are also collecting fixed deposits of 1 to 3 years duration from public as permitted under NABARD's guidelines for deposit mobilization by SCARDBs issued in 1997.

Total deposits outstanding of SCARDBs as on 31-03-2016 were ₹2051.41 crore as against ₹1573.95 crore as on 31-03-2015, registering an impressive growth rate of 23.27%. Moreover all these banks except Uttar Pradesh registered growth in deposit outstanding as on 31-03-2016 compared to the position as on 31-03-2015.

5. Financial performance

The Profit/Loss position as on March 31, 2016 in respect of 13 SCARDBs (Fully functional) shows that 10 SCARDBs were in profit and remaining 3 SCARDBs (Haryana, Jammu & Kashmir and Pondicherry) incurred losses. All SCARDBs which received NABARD's

refinance except Haryana were in profit during the year. Tamil Nadu though not getting NABARD's refinance continued to maintain the growth in net profits during the year. Similarly number of profit making SCARDBs during the year increased to 10 from 9 last year.

6. Non Performing Assets

The total loan outstanding of 13 SCARDBs (Fully functional) amounted to ₹19804.91 crore as on 31-03-2016 with Gross NPAs of ₹4572.17 crore amounting to 23.09% of the total loan outstanding as against 23.32% as on 31-03-2015. Of the 13 SCARDBs, NPA of 7 SCARDBs were significantly below the average level.

7. Recovery Performance

The yearly recovery performance at Apex and Ultimate Borrowers level is reported as of 30th June every year. Hence the latest available position of DCB is 30th June 2015. The total ground level demand of 13 SCARDBs (Fully functional) at the end of 30-06-2015 were ₹10428.80 crore against which collections were ₹5510.71 crore which formed 52.84% of demand as against 54.79% as on 30th June 2014. The recovery percentage at Ultimate Borrowers level was above 60% in the case of 5 SCARDBs viz. Karnataka, Kerala, Pondicherry, Punjab and Tamil Nadu SCARDBs whereas Himachal Pradesh SCARDB was in the range of 50 to 60% and Gujarat, Jammu & Kashmir & Tripura SCARDBs were in the range of 40 to 50%. The amount of overdues as on 30-06-2015 stood at ₹4917.61 crore compared to ₹4857.26 crore as of 30-06-2014, showing an increase of ₹60.35 crore over previous year.

At Apex level as on 30-06-2015 against a total demand of ₹8529.86 crore total collections were ₹4700.43 crore, with a recovery percentage of 55.11% compared to 61.34% as on 30-06-2014.

XII. ACKNOWLEDGEMENT

The Federation continues to maintain close contacts and liaison with Central and State Govts., NABARD, RBI, NCDC, NCUI and various other agencies and institutions in its endeavour to strengthen the structure and expand the operations of member banks. The Board of Management places on record its gratitude to all these agencies and institutions for the support and cooperation extended to the Federation.

The Federation as well as its member institutions have been receiving financial and policy support from Government of India, Ministry of Agriculture. The Board of Management places on record its gratitude to the Ministry for its continued support and guidance to the Federation and to the Long Term Cooperative Credit Structure.

NABARD from its inception has been extending refinance as well as development support to SCARDBs. The Board of Management conveys its gratitude to NABARD for its continued refinance support to SCARDBs and the role it has been playing over the years to strengthen the Long Term Rural Cooperative Credit Structure.

We also extend our gratitude to NCDC, NHB, Scheduled Commercial Banks and State Cooperative Banks have been providing funding support to SCARDBs which helped them to meet the credit needs of their members better.

The NCUI has been providing active support to the Federation in its activities. The Federation places on record its appreciation and gratitude to Dr.Chandrapal Singh Yadav, President and Dr. Dinesh, Chief Executive.

The Board of Management places on record its gratitude to Hon'ble Members of Parliament especially Prof. P.J. Kurien, Deputy Chairman, Rajya Sabha who took the lead role in organizing the Meeting of Parliamentarians for taking up the issues in the Long Term Cooperative Credit Structure with Government of India.

The Federation continued to receive financial and other supports as well as active cooperation from its member banks during the year under report. We acknowledge our profound gratitude to the management and staff of all our member banks particularly to the Chairmen and Chief Executives of SCARDBs. The Board of Management also places on record the valuable contributions of Shri Sukhdarshan Singh Mrar, Chairman who with the able support of Vice Chairpersons Shri K. Sivadasan Nair, MLA, Shri Bijay Kumar Singh, Shri Dalip Singh Yadav and Shri B.H. Jadeja gave effective leadership to the Federation and the LT credit sector.

The Board appreciates the services of Shri K.K. Ravindran, Managing Director, who ably discharged the responsibilities of Chief Executive with dedication. The Management also appreciates the services of its officers and staff during the year.

On behalf of the Board of Management

Sukhdarshan Singh Mrar
Chairman

TABLE 1 - LOANS DISBURSED AND LOANS OUTSTANDING

(₹ Lakh)

Sr. No.	Name of SCARDB (Fully Functional)	Loans Disbursed During 2015-16				Loans Disbursed During 2014-15	Loans Outstanding as on 31 March 2016			Loans Outstanding as on 31 March 2015
		Farm Sector	Non Farm Sector (incl. of RHS/S.T. Loans/Others)	Total Loans Disbursed (3+4)	6		Farm Sector	Non Farm Sector (incl. of RHS/S.T. Loans/Others)	Total Loan Outstanding (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	GUJARAT	13901.92	1493.43	15395.35	17761.95	53911.59	3476.4	57285.60	57805.85	
2.	HARYANA	11997.24	5103.65	17100.89	12949.20	137082.48	70459.9	207542.38	207932.84	
3.	HIMACHAL PRADESH	5959.14	3554.69	9513.83	7007.78	22514.80	13096.26	35611.06	30427.86	
4.	JAMMU & KASHMIR	710.28	600.87	1311.15	1981.76	3552.30	1270.26	4822.56	4158.23	
5.	KARNATAKA	27433.94	996.70	28430.64	33271.17	151745.98	2189.89	153935.87	149558.91	
6.	KERALA	57031.57	148107.56	205139.13	197969.51	105098.61	435947.13	541045.74	481408.97	
7.	PONDICHERRY	0.00	1949.40	1949.40	1744.87	10.09	2130.02	2140.11	1983.25	
8.	PUNJAB	43035.47	13144.47	56179.94	51564.73	158756.59	97338.86	256095.45	237304.87	
9.	RAJASTHAN	17749.94	6619.36	24369.30	21866.87	112196.28	38294.8	150491.08	145303.97	
10.	TAMIL NADU	0.00	81298.49	81298.49	85301.18	15.09	73482.05	73497.14	79787.04	
11.	TRIPURA	126.34	173.45	299.79	229.06	529.56	1716.38	2245.94	2392.59	
12.	UTTAR PRADESH	49780.02	15790.86	65570.88	59033.91	294759.25	57749.65	352508.90	309081.35	
13.	WEST BENGAL	15722.30	3808.35	19530.65	19211.65	74873.89	31834.36	106708.25	107019.55	
	TOTAL [1 to 13]	243448.16	282641.28	526089.44	509893.64	1115046.51	828985.96	1943930.08	1814165.28	

TABLE 2 - BORROWING

(₹ Lakh)

Sr. No.	Name of SCARDB (Fully Functional)	Raised During 2015-16				Grand Total	
		NABARD	Central Govt.	State Govt.	Others (NCDC/ NHB/ SCB etc.)	2015-16 (3+4+5+6)	2014-15
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	GUJARAT	8900.00	0.00	0.00	0.00	8900.00	8000.00
2.	HARYANA	16138.93	66.88	66.88	40595.00	56867.69	57486.47
3.	HIMACHAL PRADESH	6369.81	0.00	0.00	0.00	6369.81	4501.91
4.	JAMMU & KASHMIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	KARNATAKA	24999.76	828.33	528.33	0.00	26356.42	24379.09
6.	KERALA	145009.10	0.00	0.00	0.00	145009.10	140479.07
7.	PONDICHERRY	0.00	0.00	0.00	581.76	581.76	461.82
8.	PUNJAB	51808.25	0.00	0.00	0.00	51808.25	53200.00
9.	RAJASTHAN	20000.00	132.71	132.71	213.47	20478.89	17576.66
10.	TAMIL NADU	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	15113.00
11.	TRIPURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	UTTAR PRADESH	44999.99	0.00	0.00	28.78	45028.77	45000.00
13.	WEST BENGAL	16499.99	0.00	0.00	0.00	16499.99	12998.64
	TOTAL [1 to 13]	334725.83	1027.92	727.92	41909.01	378390.68	379196.66

TABLE 3 - BORROWING OUTSTANDING

(₹ Lakh)

Sr. No.	Name of SCARDB (Fully Functional)	Borrowings Outstanding as on 31 March 2016				Grand Total	
		NABARD	Central Govt.	State Govt.	Others (NCDC/ NHB/ SCB etc.)	As on 31/03/2016 (3+4+5+6)	As on 31/03/2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	GUJARAT	13614.13	197.07	180.78	455.93	14447.91	18005.22
2.	HARYANA	125013.43	3838.66	20046.10	27380.00	176278.19	182403.14
3.	HIMACHAL PRADESH	20633.72	610.06	87.72	0.00	21331.50	19233.02
4.	JAMMU & KASHMIR	0.00	279.28	336.72	0.00	616.00	616.00
5.	KARNATAKA	144651.41	1817.49	1579.72	0.00	148048.62	144188.42
6.	KERALA	471885.63	769.11	769.11	8256.63	481680.48	389696.27
7.	PONDICHERRY	0.00	0.00	0.00	511.51	511.51	708.97
8.	PUNJAB	232817.46	327.80	65.11	0.00	233210.37	227779.20
9.	RAJASTHAN	111066.57	3011.08	3033.79	213.47	117324.91	119615.83
10.	TAMIL NADU	0.00	0.00	6389.87	10.80	6400.67	16538.55
11.	TRIPURA	1772.23	1.61	40.23	85.71	1899.78	2422.85
12.	UTTAR PRADESH	152079.38	1303.82	1305.10	166.73	154855.03	155525.83
13.	WEST BENGAL	85397.33	84.84	83.03	0.00	85565.20	83645.73
	TOTAL [1 to 13]	1358931.29	12240.82	33917.28	37080.78	1442170.17	1360379.03

TABLE 4 - DEPOSIT MOBILIZATION

(₹ Lakh)

Sr. No.	Name of SCARDB (Fully Functional)	Deposit Raised During		Deposit Outstanding as at the end of	
		2014-15	2015-16	31.03.2015	31.03.2016
1.	GUJARAT	18840.90	20996.50	24283.20	24781.87
2.	HIMACHAL PRADESH	1217.45	2538.82	6599.71	9412.57
3.	JAMMU & KASHMIR	2622.08	3903.24	5791.30	9694.54
4.	KARNATAKA	7991.94	11138.58	13506.36	17973.61
5.	KERALA	60272.69	76243.55	49912.15	80805.64
6.	PONDICHERRY	912.75	1299.86	1306.61	1740.91
7.	PUNJAB	16735.96	17928.47	16038.04	17434.77
8.	TAMIL NADU	15690.48	18400.98	17840.31	19456.63
9.	UTTAR PRADESH	2871.44	2784.66	5802.16	5732.97
10.	WEST BENGAL	799.28	898.01	16315.05	18107.89
	TOTAL [1 to 10]	127954.97	156132.67	157394.89	205141.40

TABLE 5 - PROFIT / LOSS (AT APEX BANK LEVEL)

(₹ Lakh)

Sr. No.	Name of SCARDB (Fully Functional)	As on 31-03-2015	As on 31-03-2016
1.	GUJARAT	2406.15	2087.46
2.	HARYANA	(4314.61)	(2570.78)
3.	HIMACHAL PRADESH	958.86	1386.50
4.	JAMMU & KASHMIR	(659.84)	In Loss
5.	KARNATAKA	9.67	In Profit
6.	KERALA	2341.18	2404.59
7.	PONDICHERRY	(59.27)	(24.04)
8.	PUNJAB	2493.34	3535.10
9.	RAJASTHAN	369.78	522.82
10.	TAMIL NADU	313.53	376.24
11.	TRIPURA	(24.66)	47.09
12.	UTTAR PRADESH	2000.34	1516.10
13.	WEST BENGAL	41.81	60.20

Note:- (1) Figures in brackets indicate loss.

TABLE 6 - NON-PERFORMING ASSETS (NPA)

(₹ Lakh)

Sr. No.	Name of SCARDB (Fully Functional)	As on 31 March 2015			As on 31 March 2016		
		Total Loan Outstanding	Total NPAs	NPA as % of Loans Outstanding	Total Loans Outstanding	Total NPAs	NPA as % of Loans Outstanding
1.	GUJARAT	57805.85	31022.02	53.67	57285.60	28189.98	49.21
2.	HARYANA	207932.84	131925.22	63.45	207542.38	151510.14	73.00
3.	HIMACHAL PRADESH	30427.86	8954.45	29.43	35611.06	7606.44	21.36
4.	JAMMU & KASHMIR	4158.23	545.94	13.13	4822.56	456.38	9.46
5.	KARNATAKA	149558.91	34955.16	23.37	153935.87	34204.12	22.22
6.	KERALA	481408.97	5355.03	1.11	541045.72	2481.14	0.46
7.	PONDICHERY	1983.25	108.76	5.48	2140.11	77.48	3.62
8.	PUNJAB	236050.52	944.01	0.40	254377.23	1788.77	0.70
9.	RAJASTHAN	145303.97	57878.54	39.83	150491.08	58155.70	38.64
10.	TAMIL NADU	161413.30	14309.07	8.86	154199.75	13140.77	8.52
11.	TRIPURA	2392.59	1116.18	46.65	2245.94	931.20	41.46
12.	UTTAR PRADESH	271777.15	118073.62	43.45	310085.90	131976.62	42.56
13.	WEST BENGAL	107019.55	27959.59	26.13	106708.25	26698.40	25.02
	TOTAL [1 to 13]	1857232.99	433147.59	23.32	1980491.45	457217.14	23.09

TABLE 7 - DEMAND, COLLECTION, BALANCE POSITION AS ON 30 JUNE 2015

(₹ Lakh)

Sr. No.	Name of SCARDB (Fully Functional)	At Apex Bank Level				Recovery (%) as on 30.06.2014	At Ultimate Borrowers' Level				Recovery (%) as on 30.06.2014
		Demand	Collection	Balance	Recovery (%)		Demand	Collection	Balance	Recovery (%)	
1.	GUJARAT	55942.18	23794.57	32147.61	42.53	55942.18	23794.57	32147.61	42.53	45.09	
2.	HARYANA	123509.33	34869.45	88639.88	28.23	168668.45	49393.20	119275.25	29.28	27.42	
3.	HIMACHAL PRADESH	12629.37	5850.41	6778.96	46.32	14552.80	7772.46	6780.34	53.41	50.24	
4.	JAMMU & KASHMIR #	1874.63	903.13	923.32	48.18	1874.63	903.13	923.32	48.18	40.07	
5.	KARNATAKA	90027.40	34375.98	55651.42	38.18	64177.91	39462.58	24715.33	61.49	66.80	
6.	KERALA	133060.72	131296.83	1763.89	98.67	181704.33	138604.93	43099.40	76.28	75.17	
7.	PONDICHERRY	2128.69	2015.03	113.66	94.66	2128.69	2015.03	113.66	94.66	94.18	
8.	PUNJAB	65426.24	56424.90	9001.34	86.24	133569.20	82350.77	51218.43	61.65	60.72	
9.	RAJASTHAN	83756.15	32728.87	51027.28	39.08	113896.13	37137.89	76758.24	32.61	36.51	
10.	TAMIL NADU *	88325.38	71825.45	16499.93	81.32	109269.25	93169.16	16100.09	85.27	79.55	
11.	TRIPURA	1585.00	697.66	887.34	44.02	1585.00	697.66	887.34	44.02	54.39	
12.	UTTAR PRADESH	133296.45	51835.32	81461.13	38.89	133296.45	51835.32	81461.13	38.89	60.06	
13.	WEST BENGAL	61424.89	23425.13	37999.76	38.14	62215.48	23934.31	38281.17	38.47	40.27	
	TOTAL [1 to 13]	852986.43	470042.73	382895.52	55.11	1042880.50	551071.01	491761.31	52.84	54.64	

Note:- (1) # Collection includes waiver of interest under OTAS & IRAC norms however percentage excludes waived amount.

(2) * Data reported for 31 March (Recovery Year: April-March).

TABLE 8 - GENERAL ADMINISTRATIVE DATA

(Number)

Sr. No.	Name of SCARDB (Fully Functional)	Number of Branches (Unitary / Mixed Structures)		No. of PCARDBs (Federal / Mixed Structures)		No. of Branches of PCARDBs (Federal Structure)		Total Membership (Borrowings+ Non-Borrowings)		Borrowing Members		Whether SCARDB has elected Board (Yes/No)		Number of PCARDBs having elected Boards		Staff of SCARDBs (Number)		Staff of PCARDBs (Number)	
		31.3.2015	31.3.2016	31.3.2015	31.3.2016	31.3.2015	31.3.2016	31.3.2015	31.3.2016	31.3.2015	31.3.2016	31.3.2015	31.3.2016	31.3.2015	31.3.2016	31.3.2015	31.3.2016	31.3.2015	31.3.2016
1	GUJARAT*	181	181	NA	NA	NA	NA	673384	673230	673384	673230	Yes	Yes	NA	NA	395	395	NA	NA
2	HARYANA	0	0	19	19	76	76	741287	739932	215439	204011	Yes	Yes	19	19	84	81	1046	986
3	HIMACHAL PRADESH	33	39	1	1	16	20	78719	79458	26320	26565	Yes	Yes	1	1	108	111	59	58
4	JAMMU & KASHMIR*	51	51	NA	NA	NA	NA	95239	95848	76231	76559	No	No	NA	NA	248	248	NA	NA
5	KARNATAKA *	0	0	177	177	8	8	1115943	1115943	673614	673614	Yes	Yes	175	175	297	260	775	724
6	KERALA *	14	14	63	75	189	189	1351527	1351527	836223	836223	Yes	Yes	62	72	247	247	1213	1213
7	PONDICHERRY	1	1	NA	NA	NA	NA	17379	14182	4209	4198	No	No	NA	NA	30	29	NA	NA
8	PUNJAB	0	0	89	89	0	0	839393	831910	132798	127436	Yes	Yes	73	55	289	280	850	795
9	RAJASTHAN *	0	0	36	36	133	133	1256875	1256875	697174	697174	No	No	6	6	104	96	483	441
10	TAMIL NADU	0	0	180	180	0	0	1201204	1201204	139814	139814	Yes	Yes	180	180	129	126	528	528
11	TRIPURA	5	5	NA	NA	NA	NA	22372	22372	3663	3283	Yes	Yes	NA	NA	38	38	NA	NA
12	UTTAR PRADESH	323	323	NA	NA	NA	NA	2987744	3052457	2581936	2736528	Yes	Yes	NA	NA	2434	3052	NA	NA
13	WEST BENGAL *	2	2	24	24	73	73	350125	370828	194860	215563	No	No	23	23	109	101	621	621
	TOTAL [1 to 13]	610	616	589	601	495	499	10731191	10805766	6255665	6414198	-	-	539	531	4512	5064	5575	5366

Note:- (1) NA denotes 'Not Applicable'.

(2) * Position as on 31.03.2015 is considered for review.



55th Annual General Meeting of the NCARDB Federation at Lucknow (Uttar Pradesh) on 24th August 2015.



Address of Dr. Harsh Kumar Bhanwala, Chairman, NABARD – 55th Annual General Meeting of the NCARDB Federation at Lucknow (Uttar Pradesh) on 24th August 2015. Also seen Shri Shivpal Singh Yadav, Hon'ble Chairman, Uttar Pradesh SGVB and Hon'ble Minister, Govt. of U.P., who chaired the meeting.



55th Annual General Meeting of the Federation at Lucknow (Uttar Pradesh) on 24th August 2015.
Seen on Dias (L-R) Shri Shivpal Singh Yadav, Chairman, Uttar Pradesh SGVB; Shri Sukhdarshan Singh Mrar, Chairman, NCARDB Federation; Shri K. K. Ravindran, Managing Director, Federation; Shri Alok Dixit, Managing Director, Uttar Pradesh SGVB and Shri B. H. Jadeja, Vice Chairman, Federation.



146th Board Meeting of the NCARDB Federation at Lucknow (Uttar Pradesh) on 24th August 2015.
Seen on Dias (L-R) Shri K. K. Ravindran, Managing Director, NCARDB Federation; Shri Sukhdarshan Singh Mrar, Chairman, Federation; Shri B. H. Jadeja, Vice Chairman, Federation and Shri Dalip Singh Yadav, Vice Chairman, Federation.



146th Board Meeting of the NCARDB Federation at Lucknow (Uttar Pradesh) on 24th August 2015.



147th Board Meeting of the NCARDB Federation at Mehsana (Gujarat) on 4th December 2015.

Seen on Dias (L-R) Shri G. S. Mangat, Managing Director, Punjab SCADB; Shri K. Shadakshari, Director, Karnataka SCARDB; Shri Dalip Singh Yadav, Vice Chairman, Federation; Dr. Bijender Singh, Chairman, Delhi SCB; Shri K. K. Ravindran, Managing Director, NCARDB Federation; Shri K. Sivadasan Nair, Vice Chairman, Federation; Shri Dhirenkumar B. Chaudhari, Chairman, Gujarat SCARDB; Shri B. H. Jadeja, Vice Chairman, Federation and Shri D. B. Trivedi, Managing Director, Gujarat SCARDB.



Inauguration of Awards function by Chief Guest Shri Babubhai Bokhria, Hon'ble Minister for Agriculture & Cooperation, Gujarat and Guest of Honor Shri Jayanpi Bhai Kawadia, Hon'ble Minister of State for Cooperation, Gujarat on 4th December 2015 at Mehsana (Gujarat). Also seen on Dias (L-R) Shri Dalip Singh Yadav, Vice Chairman, Federation; Shri Dhirenkumar B. Chaudhari, Chairman, Gujarat SCARDB; Shri B. H. Jadeja, Vice Chairman, NCARDB Federation; Shri K. Sivadasan Nair, Vice Chairman, Federation and Dr. Bijender Singh, Chairman, Delhi SCB.



Awards function 2014-15 – A view of the audience.

छप्पनवीं वार्षिक रिपोर्ट 2015-16



राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
महासंघ मर्यादित

७०१, ७वी मंज़िल, बीएसईएल टेक पार्क, ए - विंग,
रेल्वे स्टेशन के सामने, वाशी, नवी मुंबई - ४०० ७०३

टेलीफोन : (०२२)२७८१ ४११४, २७८१ ४४२६ फ़ैक्स : ९१-२२-२७८१ ४२२५
ई-मेल : nafcard.org@gmail.com वेबसाइट : www.nafcard.org

राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक महासंघ मर्यादित वार्षिक सामान्य निकाय बैठक

नोटिस

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वर्ष 2015-16 के लिये राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक महासंघ की वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक दिनांक 23 सितम्बर 2016 की मध्याह्न 12.30 बजे शुक्रवार को होटल सुप्रीम हैरिटेज, प्लॉट नम्बर. एल-2, सेक्टर-2, पॉम बीच रोड, निकट ए.पी.एम.सी. ट्रक टर्मिनल, वाशी, नवी मुम्बई के सम्मेलन कक्ष में निम्नांकित कार्यों के सम्पादन हेतु आयोजित होगी :-

1. 24 अगस्त 2015 को लखनऊ में सम्पन्न महासंघ की वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करने हेतु।
2. वर्ष 2015-16 के सम्प्रेक्षित खातों के लेखा विवरण पर विचार।
3. वर्ष 2015-16 के अधिशेष का निस्तारण।
4. 31.03.2016 को समाप्त हुये वर्ष में लेखा परीक्षकों के लेखा के सांविधिक प्रतिवेदन पर विचार।
5. 31.03.2016 को लेखा सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन में लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों के अनुपालन पर विचार।
6. वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार।
7. वर्ष 2016-17 के लिये सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति तथा उनके शुल्क निर्धारण पर विचार।
8. वर्ष 2017-18 के लिये वार्षिक बजट पर विचार।

बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के प्रावधानों तथा महासंघ की उपविधियों के अनुरूप, सामान्य निकाय में महासंघ के प्रत्येक सदस्य बैंक का एक प्रतिनिधि, जो या तो अध्यक्ष अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा सदस्य बैंक के संचालक मण्डल का सदस्य, जिसे प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव द्वारा नामित किया गया हो, अथवा जहां प्रबन्ध समिति का गठन न हुआ हो, के सदस्य बैंक का प्रशासक अथवा जिस किसी भी नाम से उसे पुकारा जाता हो, से मिल कर बनेगा तदनुसार सदस्य बैंक को सूचित किया जाता है कि वह महासंघ को सामान्य निकाय में भाग लेने वाले अपने प्रतिनिधि का नाम प्रबन्धक मण्डल के प्रस्ताव के साथ सामान्य निकाय की बैठक के कम से कम 10 दिन पहले सूचित करने का कष्ट करें।

प्रबन्ध समिति के आदेश के द्वारा

स्थान- नवी मुम्बई
दिनांक-24.08.2016

हस्ताक्षरित / -
(के.के.रविन्द्रन)
प्रबन्ध निदेशक



I. आर्थिक परिदृश्य

- 2015-16 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.6% की वृद्धि होने का अनुमान है तथा वो विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मध्य में सबसे तेजी से बढ़ते हुये लगातार दूसरे वर्ष चीन की वृद्धि दर से आगे है। सरकार द्वारा 2016-17 के लिए 7 एवं 7.5% की वृद्धि दर प्रस्तावित की गई है।
- विश्व बैंक के अनुसार भारत की आर्थिक नीतियों में सुधार, सरकारी सुधारों की तेज़ गति, भारतीय रिजर्व बैंक का मुद्रा प्रसार पर ध्यान तथा अनुकूल वैश्विक जिन्सों के मूल्यों के परिणामस्वरूप इसकी विकास की सम्भावनायें सुदृढ़ हुई हैं।
- अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर यह इंगित करती है कि भारत वैश्विक उत्पादन को कमज़ोर करने वाली प्रवृत्ति तथा विगत दो वर्षों की मानसून की असफलता को काफी हद तक सहन कर सकता है। देश व्यापक आर्थिक मानकों जैसे मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा तथा चालू खाता शेष में भी सुधार कर सकता है। यह भी देखा गया है कि विगत कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था की वृद्धि अधिकांशतः घरेलू मांग से संचालित थी क्योंकि भारत का निर्यात निरन्तर गिर रहा था।
- वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में भारत का हिस्सा वर्ष 2001-2007 के दौरान 4.8% के औसत से, 2008-2013 के दौरान 6.1% के औसत पर तथा उसके बाद 2014-15 के दौरान वर्तमान क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के संदर्भ में 7% के औसत से बढ़ा है।
- 2015-16 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि सामान्य से लगातार दूसरे वर्ष कम मानसून रहने के कारण पिछले दशक के औसत से निरन्तर कम ही रही। सेवा क्षेत्र में वृद्धि थोड़ी सुस्त तो हुई किन्तु अभी भी मजबूत बनी हुई है जबकि विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि की तीव्रता ने इस कमी को पूरा किया।
- सेवा क्षेत्र, अर्थव्यवस्था में आधे से अधिक की वृद्धि का कारण है। इस क्षेत्र ने 2011-12 से 2015-16 तक कुल वृद्धि में 69% का योगदान दिया है तथा अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी 49% से बढ़ाकर 53% तक की है।
- 31.03.2016 को डालर के सापेक्ष विनिमय दर ₹67.50 पर अर्थव्यवस्था का आकार सामान्य संदर्भ में 2 ट्रिलियन अमरीकी डालर था।
- प्रति व्यक्ति आय के वैश्विक औसत जो मोटे तौर पर 10,000 अमरीकी डालर के बराबर है, के सापेक्ष 2015-16 के दौरान प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद ₹1,05,746.00 था जो 1600 अमरीकी डालर के बराबर है।
- यद्यपि भारत की अर्थव्यवस्था सामान्य तौर पर विश्व में सातवीं सबसे बड़ी तथा क्रय शक्ति के संदर्भ में तीसरी सबसे बड़ी, प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में विश्व में सामान्य तौर पर 131 वीं तथा क्रय समता के संदर्भ में 121वीं अर्थव्यवस्था है।
- अभी हाल ही में महत्वपूर्ण आर्थिक विकास के बावजूद भी अर्थव्यवस्था के सम्मुख गम्भीर समस्यायें हैं जिसके कारण देश विकसित देशों से अभी काफी पीछे है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवायें, मूलभूत सुविधाओं में पिछड़ेपन के साथ इन क्षेत्रों में अपर्याप्त नये निवेश, राज्यों के मध्य गम्भीर असमानता के साथ साथ दिन पर दिन बढ़ती आय, साक्षरता दर, सम्भावित आयु तथा रहने की स्थितियों में भिन्नता आदि हमारे देश के सामने कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं।
- व्यापार घाटा अभी भी एक प्रमुख समस्या है। यद्यपि 2014-15 में 137 बिलियन अमरीकी डालर का व्यापार घाटा था जो 2015-16 में घटकर 118.5 बिलियन डालर रह गया। भारत का निर्यात मार्च 2016 में लगातार 16 वें माह तक संकुचित होता रहा। 2015-16 में भारत का निर्यात 15.9% नीचे गिर कर 261.1 बिलियन अमरीकी डालर रह गया जब कि आयात 15.3% संकुचित होकर 379.6 बिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गया।
- निवेश की दर में ठहराव तथा विनिर्माण क्षेत्र में विगत कुछ वर्षों में आयी सुस्ती निर्यात की वृद्धि को पीछे लाने के प्रमुख कारण हैं।
- प्रत्येक वर्ष रोजगार की तलाश में 8 मिलियन नव आगन्तुकों के लिये और उतने ही रोजगार पैदा करने की चुनौती का सामना भी देश को करना पड़ रहा है। 'मेक इन इण्डिया'(भारत में निर्मित) की पहल का लक्ष्य भारत को प्रमुख विनिर्माण का केन्द्र के रूप में प्रोत्साहित करना है। तथापि योजना की सफलता मानव पूँजी बढ़ाने के साथ साथ उत्पादक सामग्री और वित्त की उपलब्धता के लिये व्यापार आधारित नीतिगत कार्यवाहियों पर निर्भर है।

II. कृषि - सामान्य परिदृश्य

- सकल मूल्य संवर्धन में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का योगदान नीचे गिर रहा है। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा 2011-12 के मूल्यों पर आधारित जारी राष्ट्रीय आय की नई श्रृंखला के अनुसार सकल मूल्य संवर्धन में कृषि का योगदान 2011-12 में 18.5% से गिर कर 2014-15 में 17.4% पर नीचे आ गया है। 2011-12 में 1.5%, 2013-14 में 4.2% तथा 2014-15 में (-0.2%) और 2015-16 में सम्भवतः 1.1% कृषि की वृद्धि दर अत्यधिक अस्थिर रही है।
- पिछले 3 दशकों से सेवा एवं विनिर्माण क्षेत्रों की उच्च विकास दर के कारण सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान में उत्तरोत्तर गिरावट आ रही है। यद्यपि देश की लगभग 70% जनसंख्या अभी भी ग्रामीण भारत में निवास करती है तथा उनमें से लगभग 60% अपनी जीविका के लिए पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर करते हैं। इसलिए भारत में कृषि विकास, ग्रामीण जनसंख्या का जीवन स्तर को ऊँचा उठाने तथा बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती आय के लिये खाद्य सुरक्षा में सुधार, के लिये सबसे अहम प्रयास होगा।
- फरवरी 2016 में जारी किये गये अनुमानों के अनुसार, 2014-15 में 252.02 मिलियन टन के खाद्यान्न उत्पादन के सापेक्ष 2015-16 में उत्पादन 253.16 मिलियन टन है किन्तु अभी भी यह 2013-14 के उत्पादन 265.0 मिलियन टन से बहुत नीचे है। 2015-16 के आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेख किया गया है कि कृषि क्षेत्र को अनेक प्रकार के मुद्दे और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए निम्नांकित उपाय किये जाने का सुझाव दिया है।
 - ▶ कृषि में उत्पादकता वृद्धि के लिए 'हर बूंद से अधिक फसल' द्वारा जल सुदृढ़ सिंचाई के विस्तार के लिए निवेशों को बढ़ाने की आवश्यकता है। सिंचित क्षेत्र का कम और विषम वितरण का सुधार उचित नीतिगत उपायों से किये जाने की आवश्यकता है।
 - ▶ भारत को श्रेष्ठतम कृषि क्षमता तक पहुँचने के लिए सिंचाई के साथ अन्य निवेश सामग्री जैसे कि उर्वरक, गुणात्मक बीज तथा कीटनाशकों के प्रभावी उपयोग की भी आवश्यकता है।
 - ▶ एक सम्बद्ध क्षेत्र डेयरी की सफलता, दुग्ध संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण तथा वितरण एक समन्वित सहकारी प्रणाली का परिणाम है। मूल्य वर्धित उत्पाद के माध्यम से डेयरी उद्योग के विविधीकरण ने आपूर्ति कर्ताओं पर पड़ने वाले मौसमी प्रभावों को कम कर दिया जो एक युक्ति है जिसका अनुकरण कृषि क्षेत्र से सम्बद्ध अन्य क्षेत्रों द्वारा किये जाने की आवश्यकता है।
 - ▶ फसल कटाई के बाद उस की मूल्य श्रृंखला में अपव्यय को कम करके कृषि उत्पाद की उपलब्धता को बढ़ाने की अद्भुत क्षमता है। भण्डारण सुविधाओं में निवेश के द्वारा फसल के बाद की हानियों को कम करना तथा शुष्कीकरण सुविधायें, जनमानस की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा।
- उत्पादकता में वृद्धि तथा गरीबी उन्मूलन भारतीय कृषि की दो प्रमुख चुनौतियां हैं। भारत की कृषि उत्पादकता अर्थात् प्रति हैक्टेयर फसल उत्पादन विश्व में सबसे कम है। प्रति इकाई कृषि भूमि पर उत्पादकता में वृद्धि करना उत्पादन वृद्धि का एक मात्र उपाय है क्योंकि सभी कृषि योग्य भूमि पर पहले से ही खेती की जाती है। पैदावार में वृद्धि, उच्चतर मूल्य फसल के लिए विविधीकरण तथा विपणन लागत को कम करने के लिए कुशल आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना आदि, त्वरित कृषि विकास के कुछ उपाय हैं।
- इसके अतिरिक्त किसानों को एमएसपी की सीमित पहुंच के कारण लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाते हैं तथा बिचौलियों के प्रभुत्व वाली कृषि विपणन प्रणाली के परिणामस्वरूप कुल मूल्य का एक छोटा हिस्सा किसान को मिल पाता है।
- एक सामाजिक समावेशी नीति जो कृषि के साथ अकृषि क्षेत्र के कर्मियों से बनी है, की गरीबी उन्मूलन के लिए

आवश्यकता है। विकास का लाभ गरीबों, भूमिहीन, महिलाओं, अनुसूचित जाति तथा जनजातियों को मिलना चाहिए।

- बहुसंख्यक गरीब भारतीय, पूर्वी भारत के गंगा के मैदानी क्षेत्रों के वर्षा पोषित क्षेत्र में रहते हैं जो विकास के लिए अपेक्षित आधारभूत सुविधाओं की दृष्टि से अत्यन्त पिछड़े हैं। इन क्षेत्रों में देश के अन्य हिस्सों की तरह विकास के लिए विशेष कार्यक्रम लागू किये जाने चाहिए।
- विगत 15 वर्षों में गरीबी उन्मूलन की दर मात्र 1% प्रति वर्ष रही जो निकट भविष्य में गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से अर्थहीन है।
- 70 के दशक की हरित क्रान्ति तथा 80 के दशक में कृषि गहनता के बाद भारत में कृषि विकास की गति काफी धीमी हो गई है। 70 व 80 के दशकों में कृषि में तीव्र वृद्धि से मजदूरों की बढ़ती मांग फलस्वरूप ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि तथा खाद्यान्न मूल्यों में गिरावट के कारण गरीबी में कमी हो सकी थी। फिर भी 90 के दशक और 2000 के दशक में कृषि विकास में कमी आई जो प्रतिवर्ष 3.5% के औसत पर रही तथा अन्न उत्पादन 2000 के दशक में 1.4% प्रति वर्ष के औसत पर गिर कर पहुंच गया। भारत का वार्षिक चावल उत्पादन चीन का ठीक 1/3 तथा वियतनाम और इण्डोनेसिया का लगभग आधा है। यही स्थिति अधिकांश अन्य कृषि उत्पादों की भी है। भारतीय कृषि को एक मजबूत आधार प्रदान कराने के लिये नीतिगत कार्यवाहियों तथा लोक कार्यक्रमों की आवश्यकता है जिससे ये और अधिक उत्पादक, विविधित तथा वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक हो सके।
- भारत सरकार ने 2007 में किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति का अनुमोदन किया। राष्ट्रीय नीति में भूमि, जल, पशु, मत्स्य तथा जैविक संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में परिसम्पत्तियों के सुधार, सेवाओं तथा निवेश वस्तुएं जैसे कि अग्रणी प्रौद्योगिकी पर अमल, कृषि तथा जैविक सुरक्षा प्रणाली, अच्छी गुणवत्ता के बीजों की आपूर्ति, आपदामुक्त रोपण सामग्री, मिट्टी की उर्वरता और स्वास्थ्य में सुधार, एकीकृत कीट प्रबन्धन प्रणाली, महिलाओं के लिए सहयोग सेवायें जैसे कि बाल संरक्षण केन्द्रों, पोषण एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षण आदि, उचित ब्याज दर पर सुगम्य साख सुविधा की उपलब्धता तथा किसान अनुकूल बीमा उपकरण, कृषि में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग, कृषि विस्तार को पुनः जीवित करना, पूरे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य

को लागू करना, आधारभूत कृषि विपणन, तथा कृषि जरूरतों के लिए ग्रामीण अकृषि रोजगार के अवसर, ग्रामीण ऊर्जा के लिए समन्वित प्रणाली इत्यादि पर बल दिया गया है। तथापि किसानों के लिये राष्ट्रीय नीति के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यवाही बिन्दुओं को अभी पूरी तरह से परिचालन में लाया जाना शेष है।

- सरकार ने हाल ही में इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा आधारभूत कमियों को दूर करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। सचल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं, सिंचाई सुविधाओं में सुधार हेतु प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के शुभारम्भ, अनाज और सब्जियां – शीघ्र खराब होने वाली कृषि सामग्री के मूल्यों में उतार-चढ़ाव को कम करने के लिये मूल्य स्थिरता कोष की स्थापना, कृषि सामग्री के लिए राष्ट्रीय बाजार बनाने की दिशा में पहला कदम उठाते हुए सामान्य ई-बाजार मंच बनाने के लिए राष्ट्रीय कृषि तकनीकी आधारभूत कोष की स्थापना के साथ साथ सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य पत्र का निर्गमन आदि कुछ ये नई पहल हैं।
- कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की जानकारी के लिये राष्ट्रीय अनुकूलन कोष की स्थापना दूसरी महत्वपूर्ण पहल है। प्रोटीन क्रान्ति तथा स्वदेशी पशु नस्ल विकास एवं अन्तर्देशीय मत्स्यपालन के विकास के लिये नीली क्रान्ति के साथ तकनीक संचालित द्वितीय हरित क्रान्ति पर भी निरन्तर ध्यान दिया जा रहा है।

वर्ष 2016-17 के केन्द्रीय बजट में कृषि क्षेत्र के निम्नांकित कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है:

उत्पादन में वृद्धि

सिंचाई के लिये बजट के प्रावधानों में वृद्धि की गई है। 'हर बूंद से अधिक फसल' के लक्ष्य के लिए सरकार की नीति धान और तिलहन के साथ दूसरी फसलों के उत्पादन में वृद्धि हेतु जल संरक्षण तथा सिंचाई पर संकेन्द्रित है।

कम निवेश पर अधिक आय

बेहतर गुणवत्ता के बीजों के साथ सही मात्रा में पोषक तत्वों के उपयोग के द्वारा उच्च उत्पादकता पाने का लक्ष्य है। मृदा स्वास्थ्य पत्र योजना तथा किसानों को जानकारी के प्रसार को महत्व दिया जा रहा है।

विपणन व्यय को कम करना

राष्ट्रीय कृषि ई-बाजार के अन्तर्गत 585 कृषि मण्डलों से सम्पर्क

जोड़ने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है। इससे वस्तुतः मध्यस्तों के न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ अंतिम मूल्य निर्धारण में किसानों की हिस्सेदारी में वृद्धि की आशा है।

कृषि जोड़िम सुरक्षा

फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले उनके नुकसान की क्षतिपूर्ति यथेष्टरूप से होने की आशा की जाती है।

उत्पादन के बाद की हानियों को कम करना

विश्व में, बागवानी फसलों में, चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। सरकार बागवानी के सम्पूर्ण क्षेत्र के विकास के लिये प्रत्येक राज्य एवं क्षेत्र की जलवायु की विभिन्नता के आधार पर क्षेत्र आधारित रणनीतियों को बढ़ावा देना चाहती है।

मूल्य संवर्धन

कृषि उत्पाद के मूल्य संवर्धन में तीव्रता के लिए खाद्य उद्योग पर ज़ोर दिया जाएगा। सरकार फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा की जा रही नई पहल के माध्यम से उसके प्रसंस्करण के लिये भी कार्यक्रम बना रही है।

पूरक गतिविधियां

पशुधन, दुग्ध उत्पादन, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन, कृषि तालाब तथा मत्स्य पालन को समाहित करते हुए इन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

III. ग्रामीण साख परिदृश्य

ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्रों में साख का प्रवाह में पिछले एक दशक में साल दर साल औसत वृद्धि 20% से अधिक पायी गई जैसा कि नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है:

पर ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिससे बैंको द्वारा प्रतिवेदित कृषि हेतु वितरित ऋण के आंकड़ों की प्रामाणिकता की जांच हो सके। ये विक्षेप किसी भी वर्ष में कृषि साख में वृद्धि एवं कृषि उत्पादन के मध्य सम्बन्ध के अभाव को भी दर्शाते हैं।

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि (₹ करोड़)
2004-05	1,05,000	1,25,309
2005-06	1,41,000	1,80,486
2006-07	1,75,000	2,29,400
2007-08	2,25,000	2,54,658
2008-09	2,80,000	2,87,149
2009-10	3,25,000	3,84,514
2010-11	3,75,000	4,68,291
2011-12	4,75,000	5,10,029
2012-13	5,75,000	6,07,375
2013-14	7,00,000	7,35,000 (अनुमानित)
2014-15	8,00,000	(वास्तविक की घोषणा अभी तक नहीं की गई यद्यपि अनुमान है कि लक्ष्य प्राप्त कर लिए गये हैं)
2015-16	9,00,000	—

अनुमान है कि कृषि के लिए कुल ऋण के 75% में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा योगदान दिया गया तथा अवशेष 15% एवं 10% का अंशदान क्रमशः सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किया गया। यद्यपि साख में प्रतिवेदित वृद्धि, क्षेत्र में शायद ही परिलक्षित हुई। भारत के 1540 मिलियन कृषि आश्रित परिवारों में से लगभग आधे परिवार इस औपचारिक साख व्यवस्था के लाभ से वंचित हैं। साधारण किसान अभी भी बैंकिंग प्रणाली से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं के बड़ी संख्या में बन्द होने की प्रवृत्ति को भी देखा गया है। इन परिस्थितियों में कोई भी सही अर्थों में कृषि के लिये ऋण के प्रवाह में प्रतिवेदित आंकड़ों की सत्यता पर संदेह प्रकट कर सकता है। वास्तव में आरबीआई / नाबार्ड / डीएफएस (वित्तीय सेवा विभाग) सहित किसी भी स्तर

कृषि ऋण वितरण सांख्यिकीय में वाणिज्यिक बैंकों के वर्चस्व के बावजूद सहकारी समितियां (बैंक) अभी भी 60% ऋण ग्रहीता किसानों की साख के प्रमुख स्रोत बने हुये हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कृषि ऋण वितरण में कुल ऋण के 10% तथा कुल ऋण लाभार्थियों का लगभग 20% के आंकलन के साथ अपनी भागीदार में उल्लेखनीय वृद्धि की है। वस्तुतः सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक साथ लगभग 80% किसान परिवारों की साख व्यवस्था को आच्छादित करते हैं अवशेष मात्र 20% किसानों के ऋण वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रतिपूर्त किए जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि सीधे वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण उनके द्वारा प्रतिवेदित ऋण राशि से बहुत कम होना चाहिए। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण की अति-गणना के कारण ग्रामीण साख में सरकार की नीतियां निष्प्रभावी हुई हैं तथा इससे

ग्रामीण क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों में सहकारिता (सहकारी बैंकों) के महत्व में बहुत तीव्रता से गिरावट आई।

कृषि साख का दूसरा प्रमुख मुद्दा 90 के दशक के बाद से कुल ऋण प्रवाह में निवेश ऋण के अनुपात में तेजी से कमी के आने का है। इसने विशेष रूप से कृषि में पूँजी निर्माण की गति को अत्यन्त धीमा कर दिया है। कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश की हिस्सेदारी मात्र 25% है, इस क्षेत्र में निवेश का बहुत बड़ा हिस्सा निजी पहल के माध्यम से होता है जो अधिकांशतः बैंक ऋण के माध्यम से ही सुगम्य होता है। विगत पांच वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में सकल पूँजी निर्माण की औसत दर मात्र 15% रह गई है जो मुद्रास्फीतिक समायोजन के उपरान्त उसकी भी आधी रह जाती है। वास्तव में कृषि में पूँजी निर्माण घिसी परिसम्पत्तियों के स्थानापन्न जरूरतों को भी पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं फलस्वरूप शुद्ध पूँजी निर्माण ऋणात्मकता दर्शाता है। नकारात्मक शुद्ध पूँजी निर्माण की स्थिति से बचने के लिए सकल पूँजी निर्माण में अतिरिक्त 10% की वृद्धि किये जाने की आवश्यकता है।

यद्यपि स्थिति में सुधार की दृष्टि से सरकार की नीतियां अभी भी अत्यन्त प्रतिकूल हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना, जो कि किसानों को निवेश ऋण के लिए एकमात्र विशेषज्ञता प्राप्त एजेन्सी है, की सम्भावित भूमिका की निरन्तर उपेक्षा करती आ रही है। एलटीसीसीएस के पुनरुद्धार में बहुत अधिक विलम्ब किया जा रहा है जिससे किसानों की दीर्घकालीन ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने की इसकी क्षमता प्रभावित हुई है। सरकार को वीटीएफ द्वारा संस्तुत किये गये एलटीसीसीएस का पुनरुद्धार पैकेज बिना और किसी देरी से लागू कर देना चाहिए।

निवेश ऋण पर किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली ऊँची ब्याज दर दूसरा प्रमुख मुद्दा है जिस पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार ने फसली ऋण को वहन करने योग्य सस्ती दरों पर रखने के लिए कदम उठाए हैं। ब्याज में 3% की छूट दिये जाने के उपरान्त फसली ऋण की अधिकतम ब्याज दर 4% वार्षिक है। फसली ऋणों पर राज्य सरकारों द्वारा इसके अतिरिक्त छूट दिए जाने के बाद कुछ राज्यों में ब्याज दर शून्य है। तथापि, कृषि साख की लागत को कम करने के लिए इनमें से किसी भी उपाय को कृषि निवेश ऋण के लिये नहीं लागू किया गया है। बैंकों के निवेश ऋण पर नाबार्ड द्वारा दिये जाने वाले पुर्नवित्त सहयोग पर ब्याज दर 9% वार्षिक

है जिससे आधारभूत ऋण प्राप्तकर्ता स्तर पर ऋण की लागत 13-14% वार्षिक हो जाती है। फसली ऋण और निवेश ऋण की ब्याज दरों के मध्य भारी अन्तर है जो कृषि निवेश के लिए प्रमुख हतोत्साहक बन गया है।

सरकार ने नाबार्ड के पास कृषि ऋण वितरित करने वाले वाणिज्यिक बैंकों को घाटे से बाहर बनाये रखने हेतु वर्ष 2014-15 के लिये ₹5000 करोड़ का आवंटन करते हुये एक दीर्घकालीन ग्रामीण साख कोष की स्थापना की है। नाबार्ड इस कोष का उपयोग 7.6% वार्षिक पर 5 वर्ष की अवधि तक के लिये दिए जा रहे ऋण के सापेक्ष निवेश ऋण पुर्नवित्त प्रदान कराने हेतु कर रहा है। वर्ष 2015-16 के लिए इस कोष का परिव्यय बढ़ा कर ₹15000 करोड़ कर दिया गया है। यद्यपि, एस.सी.ए.आर.डी. बैंक को एल.टी.आर.सी.एफ. का एक छोटा हिस्सा मिला है क्योंकि उन के अधिकतर ऋण 5 वर्ष से ज़्यादा अवधि के हैं।

कृषि वित्त पोषण, विशेषरूप से वर्षा सिंचित परिस्थितियों के अन्तर्गत जिसमें खेती के अन्तर्गत कुल क्षेत्र का 63% आता है, में उच्च जोखिम शामिल है। वर्तमान में कृषि वित्त पोषण में निहित सम्पूर्ण जोखिम वित्तपोषण करने वाली संस्था द्वारा वहन किया जाता है जिससे उनके पास उच्च स्तर का एनपीए (अनर्जक परिसम्पत्तियां) हो जाता है। जबकि एआरडी बैंकों सहित सहकारी साख संरचना की बहुसंख्य संस्थाएं मुख्य रूप से लघु एवं सीमान्त कृषकों की आवश्यकताओं को ही पूरा करती हैं, फिर भी उनके एनपीए अत्यन्त असन्तोषकारक हैं।

केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा ऋण माफी योजना का कार्यान्वयन, जिससे केवल अपराधी प्रवृत्ति के ऋण प्राप्तकर्ता लाभान्वित हुए, ने आगे ऋण वसूली के वातावरण को भी दूषित किया है। किसानों को कृषि बीमा के लिए सरकार का सहयोग फसली बीमा को अलावा कृषि परिसम्पत्तियों के बीमा के लिये भी दिया जाना चाहिए। सरकार को वसूली के वातावरण को खराब करने वाली गतिविधियों से दूर रहना चाहिए तथा एआरडी बैंकों की वसूली प्रणाली में हस्तक्षेप करने में संयम बरतना चाहिए।

संस्थागत साख का अधिकांश भाग भारत के दक्षिण और उत्तर-पश्चिम क्षेत्र के केवल कुछ विकसित राज्यों को जाता है। परिणामस्वरूप कृषि विकास की विशाल सम्भावनाओं वाले पूर्वी तथा उत्तरपूर्वी राज्य पर्याप्त साख सुविधा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अनेक क्षेत्रों के मध्य, साथ-साथ प्रत्येक क्षेत्र के ग्रामीण समुदायों के मध्य ऋण के विषम वितरण की जानकारी रखना ग्रामीण वित्त पोषण के लिए एक दूसरी प्रमुख चुनौती है।

IV. दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना - विहंगावलोकन

भारत में ग्रामीण सहकारी साख प्रणाली दो अलग अलग धाराओं में विकसित हुई - अल्प कालिक एवं दीर्घ कालिक। दीर्घ कालिक साख संरचना का आरम्भ 1920 के प्रारम्भिक काल में किसानों को उनके पुराने ऋणों से मुक्त कराने हेतु, दीर्घ कालीन ऋण प्रदान कराने हेतु भूमि बंधक बैंक की स्थापना के साथ हुआ। पहला भूमि बंधक बैंक 1920 में पंजाब में स्थापित हुआ इसके बाद बड़ी संख्या में इस प्रकार के बैंक दूसरे प्रान्तों में स्थापित किये गये। मद्रास में ऋण पत्र निर्गमन को केन्द्रीकृत करने तथा प्राथमिक भूमि बंधक बैंकों से समन्वय स्थापित करने के लिये पहला केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक स्थापित किया गया। बम्बई बैंकिंग जांच समिति 1930 (बाम्बे बैंकिंग इन्क्वायरी कमेटी 1930) ने प्राथमिक ऋण समितियों के पास दीर्घ कालीन ऋण उपलब्ध कराने के संसाधनों की कमी का उल्लेख करते हुये दीर्घ कालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भूमि बंधक बैंक की संरचना का सुझाव दिया। 1930 से 40 के दशक में पूरे देश में भूमि बंधक बैंको की तीव्र वृद्धि हुई जिनके कार्य व आकार की कोई समान संरचना नहीं थी। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने राज्यस्तरीय शीर्ष निकाय के साथ भूमि बंधक बैंको के पुर्नगठन तथा तालुका स्तर के प्राथमिक भूमि बंधक बैंको को इससे सम्बद्ध किये जाने का सुझाव दिया। समिति ने भूमि बंधक बैंको की कृषि के लिये निवेश साख में क्रिया कलापों को विविधीकृत करते हुये विकासात्मक भूमिका के लिये भी निर्दिष्ट किया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक लगभग सभी राज्यों में स्थापित किये जा चुके थे जिन्हें भूमि विकास बैंक के नाम से नवाजा गया तथा 1980 में पुनः ग्रामीण अकृषि क्षेत्र में विविधीकृत करते हुये इन्हें ही राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक का नाम दिया गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय कृषि के विकास में कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है। एसएआरडी बैंकों ने 60 एवं 70 के दशक में कृषि भूमि की उत्पादकता में वृद्धि कर विशेष रूप से लघु सिंचाई संसाधनों एवं कृषि यंत्रिकरण की सुविधायें प्रदान कर एक सराहनीय योगदान दिया। 80 तथा 90 के दशक में कृषि कार्य में पूँजी निर्माण के साथ ग्रामीण अकृषि क्षेत्र की योजनाओं में बड़ी मात्रा में वित्त पोषण का कार्य इन बैंकों द्वारा आरम्भ किये जाने से ग्रामीण

परिवारों को अतिरिक्त रोजगार के अवसरों को दिये जाने के अलावा अपनी उपज के बेहतर मूल्य वृद्धि के माध्यम से अपनी आय वृद्धि का सुदृढ़ आधार मिला। यहां इस बात का उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है कि 1980-1990 तक एआरडी बैंक प्रभावीरूप से एकमात्र बैंक थे जो कृषि के लिए निवेश ऋण उपलब्ध कराने में प्रवृत्त थे। वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका कार्पोरेट क्षेत्र में वृक्षारोपण, व्यावसायिक मुर्गी पालन तथा डेयरी इकाईयों को मुख्यरूप से वित्तपोषण तक ही सीमित थी।

दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना में या तो निचले स्तर पर अपनी शाखाओं अथवा राज्य स्तरीय शीर्ष संस्था से सम्बद्ध प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंकों से संचालित 17 राज्यों के एससीएआरडी बैंक सम्मिलित हैं। एक समन्वित संरचना बनाने हेतु 1995 में आंध्र प्रदेश एससीएआरडी बैंक का विलय आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक से कर दिया गया। अक्टूबर 2014 में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का भी विलय छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के साथ कर दिया गया। 1960 के बाद बने अधिकतर राज्यों में दीर्घ कालीन साख के लिए पृथक संरचना के अभाव में, राज्य सहकारी बैंक ही कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में निवेश साख से सम्बन्धित क्रिया कलापों का भी संचालन करते हैं।

वर्तमान में संरचना में 17 एससीएआरडी बैंक हैं जिनमें बुनियादी स्तर पर एससीएआरडी बैंकों की 1,712 पीसीएआरडी बैंक/शाखाओं के नेटवर्क के साथ 13 पूर्णतया कार्यात्मक हैं। इन बैंकों की कुल सदस्य संख्या 1,08,05,766 ग्रामीण परिवार जिनमें 64,14,198 बकायेदार हैं। 31.03.2016 को इन बैंकों का बकाया ऋण तथा बकाया उधार राशियां क्रमशः ₹19,439.30 करोड़ तथा ₹1,08,05,766 करोड़ थीं। 2015-16 के दौरान पूर्णतया कार्यात्मक एससीएआरडी बैंकों ने निक्षेप जमा और ऋण वितरण में उल्लेखनीय वृद्धि अंकित की। 31.03.2015 को ₹1,573.95 करोड़ के सापेक्ष 31.03.2016 को इन बैंकों का कुल निक्षेप जमा ₹2,051.41 करोड़ था जब कि इनके द्वारा गत वर्ष के ₹5,098.94 करोड़ के सापेक्ष ₹5,260.89 करोड़ था। सकल ऋण वसूली में इन बैंको ने 30 जून 2015 को ज़मीनी स्तर पर 52.84% की वसूली अंकित की।

दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना (एलटीसीसीएस) के मुद्दे एवं चुनौतियां

एलटीसीसीएस को एक गैर स्रोत आधारित विशिष्ट अवधि के ऋण प्रदान करने वाली संस्था के रूप में आकल्पित किया गया। संरचना में राज्य एवं प्राथमिक कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक सम्मिलित हैं। इन संस्थाओं को बैंकिंग नियामक अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली बैंकों के रूप में कार्य करने का लाइसेन्स नहीं दिया गया है। फलस्वरूप इन्हें अन्य ग्रामीण वित्तीय संस्थानों (आरएफआई) की तरह आम लोगों से जमा लेने की

अनुमति प्रदान नहीं की गई है। इन्हें अपने ऋण वितरण कार्यों के लिये भारी मात्रा में उधार के कोष पर निर्भर रहना पड़ता है। स्वतंत्रता से पूर्व अपने कार्यों के संचालन हेतु सरकार का कोष इनके वित्त पोषण का प्रमुख स्रोत था। भूमि विकास बैंकों के कार्यों के दीर्घ कालीन संसाधन जुटाने हेतु वर्ष 1961 में कृषि पुनर्वित्त निगम (एआरसी) की स्थापना की गई। वर्ष 1963 में कृषि पुनर्वित्त निगम (एआरसी) को एआरडीसी के रूप में नाम दिया गया। वर्ष 1982 में नाबार्ड की स्थापना होने तक भारतीय रिज़र्व बैंक के कृषि पुनर्वित्त विकास निगम (एआरडीसी) तथा कृषि ऋण विभाग (एसीडी) दोनों दीर्घ कालीन साख संरचना

दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना के विकास की 31 मार्च को स्थिति (₹ लाख में)

क्रम संख्या	विवरण	2014-15	2015-16
1.	एससीएआरडी बैंकों की संख्या		
	i पूर्णतया क्रियाशील	13	13
	ii अन्य	4	4
2.	निर्गमस्थानों की संख्या		
	i एससीएआरडी बैंकों के शाखाओं की संख्या	610	616
	ii पीसीएआरडी बैंक एवं शाखाओं की संख्या	1,084	1100
	योग	1,694	1,716
3.	कुल सदस्य संख्या		
	i ऋणी सदस्य	62,55,665	64,14,198
	ii गैर ऋणी सदस्य	44,75,526	43,91,568
	योग	1,07,31,191	1,08,05,766
4.	ऋण अवशेष	18,14,165.28	19,43,930.08
5.	ऋण वितरण	5,09,893.64	5,26,089.44
6.	उधार राशियों का अवशेष	13,60,379.03	14,42,170.17
7.	जमा बकाया	1,57,394.89	2,05,141.40
8.	ऋण वसूली की स्थिति		
	i मांग	10,66,691.01	10,42,880.50
	ii ऋण वसूली	5,82,820.66	5,51,071.01
	iii ऋण वसूली(%)	54.64	52.84
9.	कुल लाभ	10,934.66	11,945.77
	लाभ में बैंकों की संख्या	9	10
10.	कुल हानि	5,058.38	3,254.66
	हानि में बैंकों की संख्या	4	3
11.	कर्मचारियों की स्थिति		
	i एससीएआरडी बैंक स्तर पर	4,512	5,064
	ii पीसीएआरडी बैंक स्तर पर	5,575	5,366
	योग	10,087	10,430

(एलटीसीसीएस) के कार्यों के लिये कोष की व्यवस्था करते थे। जुलाई 1982 में कृषि पुर्नवित्त विकास निगम (एआरडीसी) तथा कृषि ऋण विभाग (एसीडी) दोनों को मिलाकर नाबार्ड बनाया गया। तब से इस संरचना के ऋण वितरण कार्य संचालन हेतु नाबार्ड ही कोषों का प्रमुख स्रोत है। तथापि, वर्ष 2000 के प्रारम्भ से नाबार्ड द्वारा दिया जा रहा पुर्नवित्त सहयोग शनै-शनै घटता जा रहा है। इससे एससीएआरडी बैंकों का ऋण संचालन गम्भीर रूप से प्रतिबन्धित हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों के एससीएआरडी बैंक जो शासकीय गारण्टी न मिल पाने अथवा पुर्नवित्त के लिए पात्रता की शर्तों को पूरा कर पाने में असफल रहने के कारण नाबार्ड से पुर्नवित्त प्राप्त नहीं कर सके, उन्हें संसाधनों के अभाव में ऋण वितरण कार्यों को निलम्बित करना पड़ा।

दीर्घ कालिक ऋण लेने वालों की अल्प अवधि उत्पादन ऋण/कार्यशील पूँजी की आवश्यकता को पूरा कर पाने में असमर्थता, एआरडी बैंकों के कार्य संचालन की एक और प्रमुख कमी है। अधिनियम में प्रतिबन्ध के कारण, सामान्यतया एससीएआरडी बैंक अल्पकालीन ऋण वितरण के लिये स्वयं को विविधीकृत करने में अभी तक असमर्थ रहे हैं। हाल के वर्षों में, अधिकतर राज्यों में एआरडी बैंक सदस्यों की जमा एवं एनसीडीसी तथा बैंकिंग व्यवस्था से संयोजित निजी संसाधनों के माध्यम से दीर्घकालीन ऋण-प्राप्तकर्ताओं की अल्पकालिक ऋणों की मांग को भी पूरा कर रहे हैं। तथापि एआरडी बैंक अभी भी 7% वार्षिक पर फसली ऋण दे पाने में असमर्थ हैं क्योंकि भारत सरकार की फसली ऋण ब्याज माफी योजना को एआरडी बैंकों के लिये लागू नहीं किया गया है।

भारी बकाया तथा शासकीय प्रायोजित योजनाओं में हानियां, अपने लेन-देन तथा जोखिम लागत को पूरा करने के लिये पर्याप्त मार्जिन की अनुमति दिये बिना विनियमित ब्याज दरों की

लम्बी अवधि तथा 1990 में केन्द्र सरकार द्वारा ऋण माफी योजना का क्रियान्वयन तथा योजना के अन्तर्गत ऋणों की पूर्ण प्रतिपूर्ति किये बिना ऋणों को खारिज करने के कारण दीर्घकालीन साख संरचना की संस्थाओं की वित्तीय उपलब्धियों में 90 के दशक से गिरावट आना प्रारम्भ हो चुका था। वस्तुतः उपर्युक्त कारणों से वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा अल्पकालीन सहकारी साख संरचना (एसटीसीसीएस) को भी वित्तीय हानियां उठानी पड़ीं। जब कि वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा अल्पकालीन सहकारी साख संरचना (एसटीसीसीएस) की क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा विभिन्न सुधार प्रक्रियाओं द्वारा 1990 में प्रारम्भ कर दी गई थी, एआरडी बैंकों की हानियों का क्षति पूरण अभी तक नहीं किया गया है। यद्यपि प्रो. वैद्यनाथन के नेतृत्व में एलटीसीसीएस के लिये गठित टास्क फोर्स-2 ने 2006 में पुनरुद्धार पैकेज जिसमें एआरडी बैंकों के पुर्नपूँजीकरण हेतु एक बार की सहायता केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा दिया जाना सम्मिलित है, की संस्तुति की है, जिसे आज तक क्रियान्वित नहीं किया गया है।

पुनरुद्धार पैकेज के लागू करने में अनपेक्षित विलम्ब ने संरचना की अपने सदस्यों की ऋण आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। इन असफलताओं के बावजूद संरचना-स्वरूप प्रासंगिक बना हुआ है तथा कुल कृषि ऋण के प्रवाह में निवेश ऋण के अनुपात में तेजी से आ रही गिरावट को रोकने के लिए इसके पुर्नजीवित किये जाने की आवश्यकता है। संरचना के पुनरुद्धार के लिए एससीएआरडी बैंकों तथा पीसीएआरडी बैंकों को कृषि क्षेत्र में पूँजी निर्माण संकेन्द्रित प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश में आत्म निर्भर, सदस्य संचालित, प्रभावी रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लिए वित्तीय सेवायें देने में सक्षम संगठन के रूप में रूपान्तरित किया जाना सम्मिलित है।



V. 2015-16 के दौरान फेडरेशन

वर्ष 1960 में राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक फेडरेशन (एनसीएआरडीबीएफ) की स्थापना कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकिंग क्षेत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। अपनी स्थापना के बाद फेडरेशन ने इस क्षेत्र की संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। इसने प्रभावी समन्वय स्थापित किया है तथा सदस्य बैंकों के मध्य आपसी समझ को प्रोत्साहित किया है तथा केन्द्र तथा राज्य सरकार, नाबार्ड एवं एससीएआरडी बैंकों को पुनर्वित्त पोषण करने वाली संस्थाओं के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखा है।

फेडरेशन की अन्य गतिविधियों में – संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन, अनुसंधान अध्ययन कराना तथा अपने नियोजन अनुसंधान एवं विकास (पीआरडी) प्रकोष्ठ के माध्यम से योजना एवं कार्यक्रमों का निर्माण, सदस्य बैंकों के क्रिया कलापों सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन एवं प्रकाशन, अध्ययन दलों का प्रायोजन, ऋण पत्रों के निवेश में सहसमन्वय करना, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, प्रचार कार्य, संचालन एवं प्रशासन से सम्बन्धित मामलों में मार्गदर्शन एवं सलाह देना है। गत 54 वर्षों से फेडरेशन द्वारा प्रकाशित कराये जा रहे त्रैमासिक लैण्ड बैंक जर्नल ने विशेष ख्याति अर्जित की है। फेडरेशन अपने सदस्य बैंकों को नये उत्पाद की रूपरेखा बनाकर व्यवसाय के विकास तथा प्रसार में भी सहायता प्रदान करता है।

वर्ष के दौरान, पुनर्पूँजीकरण एवं सुधार, स्व-प्रेरित सुधारों की पहल के लिए एससीएआरडी बैंकों का मार्गदर्शन तथा संसाधनों के संग्रहण के लिये सदस्य बैंकों का मार्गदर्शन एवं सहयोग, वसूली एवं अनर्जक परिसम्पत्तियों का प्रबन्धन तथा व्यवसाय संवर्धन एवं विविधीकरण सहित पुनरुद्धार पैकेज के क्रियान्वयन के लिए सरकार से पैरवी, फेडरेशन की गतिविधियों के महत्ववाले क्षेत्र बने रहे।

पैरवी करना

एआरडी बैंकों के लिए पुनरुद्धार पैकेज

कुछ वर्षों से पुनरुद्धार पैकेज की निरन्तर मांग करते रहना फेडरेशन का केन्द्र सरकार से पैरवी का प्रमुख केन्द्र बिन्दु बना हुआ है। दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना के लिए पुनरुद्धार पैकेज दिए जाने की संस्तुति वैद्यनाथन टास्क फोर्स द्वारा 2006

में की गई थी तथा भारत सरकार ने अपने 2008-09 के बजट में इसके क्रियान्वयन की घोषणा भी की थी। तदनन्तर, केन्द्रीय बजट 2009 द्वारा पुनरुद्धार योजना का अनुमोदन भी कर दिया गया था जो उस समय ही कदाचित 2009 के लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद परिचालित नहीं किया जा सका था। चुनाव के बाद वित्त मंत्रालय ने ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन तथा 2008 की ऋण माफी योजना के परिप्रेक्ष्य में पुनरुद्धार योजना की समीक्षा करने हेतु तत्कालीन अपर सचिव (वित्त) श्री चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया। चतुर्वेदी कमेटी ने दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना के लिए पुनरुद्धार योजना के क्रियान्वयन की संस्तुति कुछ मामूली संशोधनों के साथ करते हुए अपनी आख्या फरवरी 2010 में सौंपी। तथापि, उसके बाद से उसके क्रियान्वयन हेतु अभी तक कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई है। इस कारण, योजना को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। फेडरेशन ने समय समय पर इस मामले को सरकार में प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री सहित अनेक अधिकारियों के समक्ष उठाया। इस मुद्दे पर 2012 में फेडरेशन ने माननीय सांसदों की एक बैठक भी आयोजित की। फेडरेशन ने इस वर्ष के केन्द्रीय बजट के अवसर पर कृषि क्षेत्र में पूँजी निर्माण को बढ़ावा देने तथा सदस्य किसानों द्वारा ऋण के संकट का सामना करने के लिए दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना की संस्थाओं के पुनरुद्धार की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए इस मामले में एक नया ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री को दिया है। फेडरेशन से गठित एक प्रतिनिधि मण्डल जिसमें माननीय श्री सुखदर्शनसिंह भ्रार, अध्यक्ष; उपाध्यक्ष सर्वश्री के.शिवदासन नायर; बी.एच.जडेजा तथा दलीप सिंह; श्री के.के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक; श्री एच.एस.सिद्धू, प्रबन्ध निदेशक पंजाब एससीएडीबी सहित ने पैकेज के अविलम्ब क्रियान्वयन की आवश्यकता के बारे में अवगत कराने हेतु दिनांक 8 मार्च 2016 को माननीय वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली से भेंट की। अभी हाल ही में नाबार्ड सरकार के समक्ष वर्ष में पूँजी निर्माण की दर को बढ़ाने के लिये एआरडी बैंकों के पुनरुद्धार की आवश्यकता के मामले को रखा। इसके अतिरिक्त, अधिकांश राज्य सरकारों ने भी केन्द्रीय वित्तमंत्री को इस वर्ष के बजट से पूर्व एलटीएससीसीएस के लिये पुनरुद्धार योजना के क्रियान्वयन किये जाने का अनुरोध करते हुए पत्र लिखे हैं।

पैकेज के क्रियान्वयन में विलम्ब ने एआरडी बैंकों की विकृत कमजोरियों को और अधिक वित्त कर दिया है तथा उनकी लगभग 98 लाख कृषक सदस्यों (31.03.2015 को एआरडी बैंकों के सदस्यों के बकाया ऋण) जो कुल मिलाकर किसी दूसरी संस्था से ऋण प्राप्त कर पाने में असमर्थ हैं क्योंकि उनकी कृषि योग्य भूमि एआरडी बैंकों के पास पहले से ही बन्धक है, की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को उग्ररूप से कम कर दिया है। उनके द्वारा सामना किए जा रहे ऋण के संकट के निवारण का एकमात्र उपाय प्रस्तावित पुनरुद्धार पैकेज का क्रियान्वयन है। यदि पुनरुद्धार किया गया तो वर्तमान में प्रमुख राज्यों में कार्यरत 2600 बैंक शाखाओं के संजाल की ऋण वितरण क्षमता वर्तमान ऋण क्षमता जो लगभग ₹5000 करोड़ है, कम समय में भी कम से कम 5 गुनी बढ़ायी जा सकती है।

एआरडी बैंकों का बैंको के रूप में पुनर्गठन

आरबीआई ने 2002 में एआरडी बैंकों को बैंक के रूप में कार्य करने, जो यद्यपि एआरडी बैंक को आरबीआई के निर्धारित नीतियों के अनुरूप उस समय पूर्णकालिक बैंक में परिवर्तित करने के पक्ष में नहीं था, लाइसेंस देने के लिए मानक निर्धारित करने हेतु एक कार्यदल का गठन किया। तथापि, आरबीआई ने हाल ही में निजी क्षेत्र में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण आपूर्ति के लिए, कृषि तथा देश के बैंक रहित अथवा न्यूनतम बैंक वाले क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं देने वाले छोटे वित्त बैंक स्थापित करने हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं। यद्यपि बैंकिंग रहित वित्तीय कम्पनियों तथा सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को लघु वित्त बैंकों में परिवर्तित किए जाने के लिए निर्गत दिशा निर्देशों में प्राविधान है किन्तु सहकारी इकाइयों को लघु वित्त बैंक में परिवर्तित किये जाने के लिए ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। देश में बैंकिंग के बदलते स्वरूप के परिप्रेक्ष्य में, एआरडी बैंकों को सहकारी क्षेत्र में या तो बैंक के रूप में लाइसेंस दिये जाने, अथवा उन्हें प्राथमिक सहकारी बैंकों (शहरी सहकारी बैंक) के समतुल्य मानने का एक सुदृढ़ आधार है।

इसके हितधारकों के मध्य आम सहमति बढ़ी है कि एआरडी बैंकों को उनकी गैर संसाधन आधारित ऋणदाता वाली एक ही उत्पाद के व्यवसायी वाली संरचना में कमी को दूर करने के लिए बैंकिंग नियामक अधिनियम 1949 की परिधि के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। वैधानाथन कार्यदल ने भी इन संस्थाओं को रूपान्तरित किये जाने की आवश्यकता का समर्थन किया है तथा संस्तुति की है कि नियामक इस संरचना की उन इकाइयों को बैंकिंग लाइसेंस देने पर विचार करे, जो इसके लिये निर्धारित आवश्यक

शर्तों को पूरा करती हैं। हमने भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक को एआरडी बैंकों को बैंकिंग लाइसेंस दिये जाने के लिए उचित मानदण्डों को निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव भेजा है।

फसली ऋण ब्याज अनुदान योजना

वर्तमान में भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित फसली ऋणों के लिये ब्याज अनुदान योजना उन किसानों के लिये नहीं है जो एआरडी बैंकों से फसली ऋण ले रहे हैं। फेडरेशन एससीएआरडी बैंकों को उस सूची में जिसमें फसली ऋण पर ब्याज अनुदान लागू की गई है, में सम्मिलित करने के लिये लगातार वित्त मंत्री के समक्ष इस मुद्दे पर विचार करने हेतु प्रस्तुत करता रहा है।

कृषि में निवेश ऋण की अनुदान लागत

फेडरेशन ने सरकार को फसली ऋण के अनुरूप ही कृषि में पूँजी निर्माण के हेतु दीर्घकालीन ऋणों की लागत कम करने के लिए कृषि के लिए निवेश ऋण पर ब्याज अनुदान योजना लागू करने का प्रस्ताव भेजा है।

सुधार की पहल

सुधार की पहल हेतु कोरग्रुप (सीजीआरआई)

एससीएआरडी बैंकों द्वारा गठित सुधार की पहल हेतु कोरग्रुप (सीजीआरआई) की नियमित बैठकें अधिकांश बैंकों में सम्पन्न हो रही हैं। सीजीआरआई बुनियादी स्तर पर स्व-प्रेरित सुधारों को मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है। सीजीआरआई जमा संचयन तथा नये उत्पादों को लाने, महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान तथा एससीएआरडी बैंकों की श्रेणी सुधार हेतु सुधारात्मक कार्यवाही, अनेक स्तरों पर प्राधिकार एवं जवाबदेही के साथ साथ एनपीए प्रबन्धन एवं वसूली कार्यात्मक क्षेत्रों की सुसंगत नीतियों को अच्छी तरह से प्रलेखित प्रक्रिया विकसित करने की दृष्टि से नियमावली निर्माण सहित संसाधन जुटाने के नये मार्गों के प्रभाव की भी समीक्षा कर रहा है। फेडरेशन ने निम्नांकित क्षेत्रों को आच्छादित करते हुये स्व-प्रेरित सुधारों के लिए पृथक दिशा निर्देश जारी किये हैं:-

जमा संग्रहण

- नाबार्ड के सार्वजनिक जमा स्वीकार करने हेतु 1997 के जारी दिशा निर्देशों के अतिरिक्त एससीएआरडी बैंकों के प्रबन्धन द्वारा अनुमोदित योजना के अन्तर्गत ऋणी सदस्यों द्वारा अनिवार्य बचत जमा खातों के साथ साथ सदस्यों से जमा संग्रहण।
- प्रथम दो वर्षों में निक्षेप में सन्तोषजनक वृद्धि हासिल की गई।

- यद्यपि कुछ राज्यों में विकास की गति को बनाये रखा नहीं जा सका।
- निरन्तर प्रचार और प्रोत्साहन की कमी प्रगति को प्रभावित करते हैं।

ऋण वसूली तथा एनपीए प्रबन्धन

- आईवाईसी की राष्ट्रीय संगोष्ठी की संस्तुतियों के आधार पर 2013 में दिशा निर्देश जारी किये गये थे। राष्ट्रीय कार्यशाला की संस्तुतियों के आधार पर त्वरित वसूली अभियान के प्रारम्भ किए जाने के लिए हाल ही में व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गये हैं।
- स्वैच्छिक पुर्नभुगतान की दर में वृद्धि करना तथा वसूली के वातावरण को सुधारने के लिए हठी बकायेदारों के विरुद्ध कड़े विधिक वसूली उपायों का अनुसरण करना, तथा ऋण और पुर्नभुगतान प्रणाली में सुधार लाकर वसूली में वृद्धि करना ही उद्देश्य है।
- बैंकों से यह अपेक्षा थी त्वरित वसूली अभियान तथा सघन एनपीए न्यूनीकरण अभियान चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ही शुरू कर दिये जायें। यद्यपि एससीएआरडी बैंकों की इस परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही की सूचना अभी अपेक्षित है।

लघु ऋण उत्पादों की शुरुआत

निम्नांकित अल्पकालिक उत्पादों को सदस्यों की अल्पकालीन ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति तथा व्यवहार्य व्यावसायिक स्तर को पाने के लिये लाने का सुझाव दिया गया:-

- दीर्घकालिक ऋण प्राप्तकर्ताओं के लिए नकद ऋण सीमा की स्वीकृति दिया जाना।
- आभूषणों पर ऋण।
- व्यापारी ऋण।
- नियोजित व्यक्तियों को उपभोक्ता टिकाऊ ऋण।
- इसके अलावा नकद ऋण योजना जिसमें तीन वर्ष की अवधि के लिए बकाया जमा और मूलधन के पुर्नभुगतान पर तीन वर्ष की अवधि के अन्त तक, जब तक नवीनीकृत न हो, तिमाही ब्याज भुगतान के अधीन ऋण स्वीकृत किया जा सकता है, पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।
- चूंकि नकद ऋण मध्यम अवधि सुविधा है, एससीएआरडी बैंक भी जिन्हें अल्पकालीन ऋण वितरण की अनुमति प्राप्त नहीं है, इसे लागू कर सकते हैं।
- चूंकि ऋण लाभार्थी इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए

किसी भी ऋण खाते में बकाये से बचता है, अतः नकद ऋण सीमा एआरडी बैंकों को ऋण लाभार्थियों से सम्पर्क बढ़ाने में सहायक होगा तथा मौलिकरूप से ऋण अदायगी दर सुधारता है।

ऋण प्राप्ति हेतु विविधीकृत मार्ग

- एससीएआरडी बैंकों को नाबार्ड से उच्च आंवटन प्राप्त करने के अतिरिक्त संसाधनों को ऋण वितरण के विविधीकृत उपायों से सर्वाधिकृत किए जाने की आवश्यकता है।
- बैंकों को अल्पकालीन ऋणों के वित्तपोषण के लिए एनसीडीसी, एसटीसीसीएस से सम्पर्क करने हेतु परामर्श दिया गया।
- एक मान्यताप्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी द्वारा रेटिंग के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंक भी एक सम्भावित स्रोत हैं।
- तथापि अधिकांश बैंकों में अल्पकालीन ऋण की मदों के लिए ऋण वितरण तथा स्रोतों के कोषों के विविधकरण के लिए अभी प्रयास करना प्रारम्भ किया जाना शेष है।

कम्प्यूटीकरण

- बैंकों को तकनीक अभिग्रहण के लिये समय सीमा बनानी होगी। पंजाब, हरियाणा और गुजरात ने भी सीबीएस के प्रारम्भ करने के लिए एनआईसी को अनुबन्धित किया।
- उन एससीएआरडी बैंकों, जिन्होंने अभी वेण्डर तय नहीं किए हैं, एकरूपता तथा लागत की वहननीयता की दृष्टि से सीबीएस की शुरुआत करने के लिए एनआईसी को अनुबन्धित करने की सलाह दी जाती है।

मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण

- अधिकांश बैंकों में विगत दो दशकों के दौरान भर्ती न होने के कारण सभी राज्यों में स्टाफ की भारी कमी एक आम समस्या है।
- नई प्रतिभाओं को प्रतिष्ठित करने तथा व्यवस्था में नव उत्साह के लिए भी नयी भर्ती किया जाना अनिवार्य है।
- बैंकों को उनको अनुमोदित स्टाफ पैटर्न के अनुसार रिक्त पदों को भरने में सर्वप्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए।
- जिन बैंकों के पास अपने प्रशिक्षण केन्द्र नहीं हैं उन्हें एनसीसीटी सहित अन्य उपलब्ध प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों का उपयोग करना चाहिए जब तक कि अपनी जेएलटीसी पुर्नगठित नहीं होती है।

- बैंकों को अपने कर्मियों को पड़ोसी राज्यों के जेएलटीसी पर प्रशिक्षण के लिए भेजने पर विचार करना चाहिए।

एससीएआरडी बैंकों का नीतिगत संबल बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के साथ अनुवर्तन

2012 तथा 2014 में फेडरेशन द्वारा आयोजित कराए गये सहकारिता के प्रमुख सचिवों और निबन्धक सहकारी समितियों के दो सम्मेलनों में एआरडी बैंकों की विधिक एवं नीतिगत वातावरण को सुधारने तथा अपनी सामान्य कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण संस्तुतियां की गईं। सरकार की गारण्टी दिये जाने में एससीएआरडी बैंकों को प्राथमिकता के साथ साथ प्रक्रिया को सरलीकृत किया जाना, इसके अलावा गारण्टी शुल्क में छूट अथवा छूट दिये जाने की सम्भावना न होने पर इस शुल्क को न्यूनतम रखना, नाबार्ड द्वारा प्रदत्त पुर्नवित्त की कमी को पूरा करने हेतु भारत सरकार के साथ समान योगदान के लिए पर्याप्त बजट आवंटन कराना, स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क माफ कराना—जो अभी कुछ राज्यों द्वारा किया जाना है, ऋण प्रलेख प्रणाली की शुरुआत जिसे बैंक द्वारा निष्पादित करने तथा उन्हें सीधे ही बिना शक को शामिल किये बैंक द्वारा ही सब रजिस्ट्रार को भेजना – इसे अभी कुछ राज्यों द्वारा शुरू किया जाना है, हठी बकायेदारों के परिप्रेक्ष्य में वसूली विधिक उपायों में प्रतिरोधों को दूर करना, बैंक अधिकारियों में भूमि विक्रय के अधिकार की शक्तियां निहित करना जिसका क्रियान्वयन अभी कुछ राज्यों द्वारा अभी तक नहीं किया गया है, कुछ राज्यों द्वारा जहां अभी यह लागू नहीं किया गया है, एआरडी बैंकों को निक्षेप जमा स्वीकार करने की अनुमति दिलाया जाना एआरडी बैंक/राज्य सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन करते हुए एआरडी बैंकों को अल्पकालीन ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सक्षम बनाना, अनुमोदित स्टाफ पैटर्न पर कर्मियों की भर्ती के लिए सरकार के पृथक अनुमोदन दिए जाने की प्रथा

को समाप्त कराना आदि राज्य सरकार से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण संस्तुतियां उपरोक्त सम्मेलन में की गईं।

प्रकाशन

लैण्ड बैंक जरनल

लैण्ड बैंक जरनल का प्रकाशन पीआरडी प्रकोष्ठ का एक महत्वपूर्ण कार्य है। लैण्ड बैंक जरनल के चार अंकों अर्थात मार्च 2015, जून 2015, सितम्बर 2014 तथा दिसम्बर 2015 का वर्ष के दौरान प्रकाशन एवं प्रसारण कर दिया गया तथा मार्च 2016 का अंक संकलन में है।

वार्षिक सांख्यिकीय बुलेटिन

सदस्य बैंकों के क्रिया कलापों से सम्बन्धित सांख्यिकी का संग्रहण एवं संकलन तथा वार्षिक सांख्यिकीय बुलेटिन का प्रकाशन भी पीआरडी प्रकोष्ठ द्वारा जाता है। वर्ष के दौरान वर्ष 2013–14 की सांख्यिकीय बुलेटिन का प्रकाशन किया गया। 2014–15 का बुलेटिन संकलन के अधीन है। फेडरेशन इस महत्वपूर्ण प्रकाशन को एआरडी बैंकों के क्रियाकलापों के बुनियादी स्तर के आंकड़ों से सम्बन्धित युक्तसंगत सूचना तंत्र से अद्यतन किये जाने के लिये प्रयत्नशील है।

एआरडी बैंकों का मासिक प्रगति प्रतिवेदन

फेडरेशन सदस्य बैंकों की अपने स्तर पर तथा भारत सरकार को प्रतिवेदित करने हेतु समीक्षा के लिये मुख्य क्रियाकलापों के आंकड़ों का संग्रहण एवं संकलन मासिक आधार पर करता है। ऋण वितरण, वसूली निष्पादन, उधार राशियां तथा जमा संग्रहण आदि मुख्य क्षेत्र हैं जो इस मासिक प्रगति प्रतिवेदन में अन्तर्निहित हैं। अप्रैल 2015 से जनवरी 2016 तक 10 समेकित मासिक प्रगति प्रतिवेदन 2015–16 के दौरान प्रकाशित किये गये। फरवरी 2016 का मासिक प्रगति प्रतिवेदन संकलन के अधीन है।



VI. 2015-16 के दौरान विकास - मुख्य आकर्षण

बैंकिंग कम्पनी को बढ़ावा देने का प्रस्ताव

राज्य सरकार, नाबार्ड सहित एआरडी बैंकों के विभिन्न हित धारकों के मध्य आम सहमति है कि अपने वर्तमान व्यवसायिक स्वरूप के साथ एससीएआरडी बैंकों को लम्बे समय तक बनाये रखा नहीं जा सकता तथा इसे ग्रामीण क्षेत्र में विविध वित्तीय सेवाओं को पेश करने वाली बैंकिंग संस्थान में रूपान्तरित किए जाने की आवश्यकता है। यद्यपि यह रूपान्तरण तभी सम्भव होगा जब आरबीआई, एससीएआरडी बैंकों को पूर्णकालिक बैंक में रूपान्तरित करने के लिए मानदण्ड विकसित करे और एससीएआरडी बैंक पूर्णकालिक बैंक बनने हेतु पूँजी पर्याप्तता, सम्पत्ति की गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, सुशासन तथा अन्य प्रमुख दक्षताओं की अपनी तैयारियों को बढ़ाये। इस संदर्भ में यह अनुभव किया गया कि उस असंगठित क्षेत्र में जहाँ एससीएआरडी बैंक दशकों से कार्य कर रहे हैं, वहाँ आरबीआई के दिशा निर्देश के अन्तर्गत लघु वित्त बैंक (एसएफबी) को प्राथमिक बैंकिंग गतिविधियों को प्रारम्भ करने हेतु लाइसेन्स देना, एससीएआरडी बैंकों को लाइसेन्स प्राप्ति पर सहकारिता क्षेत्र में लघु वित्त बैंक के रूप में कार्य करने को सशक्त बनाता है। एससीएआरडी बैंकों को एसएफबी लाइसेन्स पाने के लिये सक्षम करने हेतु नीतिगत सुधारों को आगे बढ़ाते हुए आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अन्तर्गत कम्पनी को बढ़ावा देने का प्रस्ताव फेडरेशन में सक्रिय रूप से विचाराधीन है। एसएफबी को बढ़ावा देने से एआरडी बैंकों के साथ साथ उनके सदस्यों को निम्नप्रकार से सहायता मिलने की उम्मीद है:-

- (i) सदस्यों को आधारभूत बैंकिंग सेवाएं देना और व्यापार संवाददाता की तरह उनकी अल्पकालिक उत्पादन एवं कार्यशील पूँजी की आवश्यकताओं को पूरा करना।
- (ii) एसएफबी, एससीएआरडी बैंकों को विशेषरूप से ऋणी बकायेदार के फसली ऋण को भारत सरकार के ब्याज अनुदान से निवेश ऋण के रास्ते से ले जाने में सहायता करेगा।
- (iii) एसएफबी की मुद्रा तथा पूँजी बाजार से सीधी पहुंच के कारण एससीएआरडी बैंकों को उनके निवेश तथा अधिशेष धन के मुनाफे के प्रबन्धन में सहायता करेगा।
- (iv) समर्थक के रूप में, एससीएआरडी बैंक को बैंक जैसी शासन व्यवस्था करने के अवसर का अनुभव मिलेगा जो आगे उनको यथासमय पूर्ण बैंक में रूपान्तरित हो जाने पर

अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करने में सहायक होगा।

ऐसा निश्चय किया गया है कि कम्पनी बनाने तथा एसएफबी के लाइसेन्स के लिये आवेदन करने हेतु, जैसे और जब आरबीआई लाइसेन्स के लिए दुबारा आवेदनपत्र प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित करे, फेडरेशन तुरन्त आवश्यक कदम उठाये।

वर्ष 2014-15 के लिए एससीएआरडी बैंकों को कार्यसम्पादन पुरस्कार

वर्ष 2013-14 के दौरान फेडरेशन ने प्रतिवेदन के अन्तर्गत सदस्य बैंकों को सशोधित मापदण्डों के अधीन उपलब्धियों के लिये पुरस्कारों को पुनर्जीवित किया। वर्ष 2014-15 की उपलब्धियों पर आधारित द्वितीय वार्षिक पुरस्कार 4 दिसम्बर 2015 को फेडरेशन की 147 वीं बोर्ड बैठक के साथ संयोजन में शंक्कु के वाटर पार्क एवं रिजोर्ट मेहसाणा (गुजरात) में प्रदान कराये गये। पुरस्कार तथा पुरस्कार विजेता बैंकों की सूची नीचे दी जा रही है।

- (1) **सर्वात्कृष्ट बहुमुखी उपलब्धियों के लिये भारत सरकार ट्राफी**
केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड
- (2) **द्वितीय सर्वात्कृष्ट बहुमुखी उपलब्धियों के लिये फेडरेशन ट्राफी**
पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लिमिटेड
- (3) **ऋण वितरण में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों के लिये मेलोथ नारयनन नाम्बियार स्मृति ट्राफी**
केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड
- (4) **ऋण वसूली में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों के लिये पंजाब मुख्यमंत्री ट्राफी**
केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड
- (5) **जमा संग्रहण में सर्वात्कृष्ट उपलब्धियों के लिये फेडरेशन ट्राफी**
केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड

- (6) **सर्वोत्कृष्ट काया पलट उपलब्धियों के लिये फेडरेशन ट्राफी**
गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड (संयुक्त विजेता)
- (7) **सर्वोत्कृष्ट काया पलट उपलब्धियों के लिये फेडरेशन ट्राफी**
कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड (संयुक्त विजेता)

त्वरित वसूली अभियान

भारी अतिदेय ऋणों के कारण वर्ष 2000 से अब तक अधिकतम 6 राज्यों में एआरडी बैंक गैर कार्यात्मक हो चुके हैं। अवशेष 13 एससीएआरडी बैंक जो वर्तमान में पूर्णरूप से कार्यात्मक हैं, ने भी वसूली में संतोषजनक स्तर पर सुधार कर पाने में सफलता नहीं पाई है। जब कि एससीएआरडी बैंकों को वसूली में सुधार किये जाने की आवश्यकता के बारे में भलीभांति जानकारी है तथा उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास भी किया है, ऐसा देखा गया है कि स्थिर नीतियों पर आधारित उचित प्रणाली तथा प्रक्रिया के अभाव में ऐसे प्रयासों से अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं। इस संदर्भ में फेडरेशन के प्रबन्धन मण्डल ने गत वर्ष के दौरान यह निश्चय किया कि एससीएआरडी बैंकों को त्वरित वसूली अभियान प्रारम्भ करना चाहिए जिसमें उनकी ऋण अदायगी के पुर्नगठन करने तथा स्वस्थ नीतियों एवं प्रथाओं पर आधारित वह वसूली प्रणाली जो सामान्यरूप से प्रभावशाली है, को सम्मिलित किया जाये। बैंकों के ऋण वसूली की सफलता के अनुभवों के आधार पर फेडरेशन ने त्वरित वसूली अभियान के प्रस्तावित कार्यक्रम के हिस्से के रूप में एआरडी बैंकों की ऋण अदायगी तथा वसूली प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए दिशा-निर्देशों का मसौदा तैयार किया है। इन दिशानिर्देशों को सदस्य बैंकों के मध्य उनके विचार जानने हेतु वितरित किया गया। फेडरेशन ने सदस्य बैंकों की प्रतिक्रिया के साथ-साथ एआरडी बैंकों में उत्कृष्ट प्रचलित परम्पराओं, का अध्ययन किया जिन्हें प्रलेखित कर नीचे सूचीबद्ध किया गया है, पर आधारित दिशा निर्देशों को अन्तिम रूप देने के लिए त्वरित वसूली अभियान पर 25 सितम्बर 2015 को मुम्बई में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया:-

- ऋण प्रार्थी द्वारा पूर्व में किसी भी स्रोत से लिये गये ऋण की अदायगी के पिछले निष्पादन रिकार्ड को सर्वाधिक महत्व के साथ स्वीकृति के समय उसकी पुर्नभुगतान क्षमता देखना।
- ऋण प्राप्तकर्ताओं के सम्मुख ऋण प्राप्ति के समय आई कठिनाइयां, जिसमें अनावश्यक विलम्ब तथा ऋण प्राप्त

करने में व्यर्थ के व्ययों को ऋण अदायगी के लिये मजबूत प्रतिकूल प्रभाव माना गया है।

- ऋण प्रार्थनापत्र का अधिकांश भाग प्रार्थी के निवास स्थल पर तैयार किया गया अथवा उसकी सुविधा के सम्पर्क स्थल पर तथा ऋण प्रसंस्करण के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा बैंक आगमन से बचने की दृष्टि से जब तक कि पूर्ण रूप से अपेक्षित न हो समस्त प्रक्रिया को परेशानी मुक्त बनाने हेतु कुछ उपाय इन इकाईयों द्वारा किये गये।
- अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि बराबर किस्त प्रणाली, समीकृत किस्त प्रणाली की तुलना में बेहतर वसूली के लिए अनुकूल है।
- इसी तरह, वार्षिक/अर्द्धवार्षिक मांग के स्थान पर ऋण प्राप्तकर्ता की सभी स्रोतों से आय पर आधारित भुगतान क्षमता के भरोसे वाली मासिक तिमाही मांग से स्वेच्छिक ऋण अदायगी में काफी सुधार हुआ है।
- सदस्यों को बचत सुविधायें विशेषरूप से बचत एवं आवर्ती जमा ने ऋणी सदस्यों की ऋण अदायगी सहित एकमुश्त उपयोग के लिये कुल नियमित बचत करने में सहायता की है।
- देय तिथि से पूर्व सघन सम्पर्क- दूरभाष से बातचीत एवं संदेश प्रेषण से सम्पर्क की निरन्तरता के कारण ऋण अदायगी में काफी हद तक वृद्धि होती है।
- ऐसे एआरडी बैंक जो हठी बकायेदारों के विरुद्ध विधिक वसूली कार्यवाही में कड़ाई तथा सुसंगत ढंग से कार्य करते हैं, वहां देय तिथि से पूर्व भारी ऋण अदायगी के योगदान के साथ एक स्वस्थ वसूली परिवेश बन जाता है।
- जो बैंक ऋण की किस्तों के अग्रिम तिथि के चेक प्राप्त कर लेते हैं वहां देय तिथि पर ऋण अदायगी की भारी मात्रा पायी जाती है।
- ऐसे बैंक जो ऋणी किसानों की अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तथा आवर्ती सुविधायें, नकद ऋण प्रदान करते हैं, वहां अदायगी की दर ऊँची होती है।
- दूसरा महत्वपूर्ण कारक जो शाखा की वसूली कार्य को प्रभावित करता है वह है बैंक में अनुसरण की जाने वाली निरीक्षण प्रणाली।
- ऋणी सदस्य के बारे में सूक्ष्म स्तरीय तथ्य, उसका पेशा, आय के साधन, आय प्रवाह की आवृत्ति इत्यादि वसूली के साथ सम्बन्धित बैंक/नियत अधिकारी के नियंत्रण का शाखा/पीसीएआरडी बैंक के वसूली निष्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव देखा गया है।

- त्वरित वसूली अभियान का लक्ष्य वसूली कार्य में ठोस वृद्धि लाना तथा एससीएआरडी बैंकों और पीसीएआरडी बैंकों के सकल एनपीए स्तर को दो वर्षों के अन्दर 10% के नीचे लाना है।
- इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निम्नांकित व्यापक रणनीतियों का अनुसरण करने का सुझाव दिया गया है:-
 - (i) ऋण प्रणाली के पुर्नअनुकूलन के द्वारा देय तिथि अथवा देय तिथि से पूर्व ऋण अदायगी की दर में वृद्धि करना, बचत उत्पादों तथा अल्पकालीन ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर ऋणी सदस्य के साथ नियमित सम्पर्क बनाये रखना तथा देय तिथि से पूर्व सम्पर्क को बढ़ाये रखना।
 - (ii) बकाये के कारणों पर ध्यान केन्द्रित आधारित कार्यवाही हेतु हठी, सम्भावित हठी तथा गैर आदतन बकायेदारों का वर्गीकरण करना।
 - (iii) विधिक वसूली कार्यवाही हेतु अपेक्षित प्रक्रिया के अन्तर्गत अनेक प्रक्रियाओं में विधिक वसूली कार्यवाही को प्रतिभूति सम्पत्ति के विक्रय किये जाने तक किसी भी स्तर पर कार्यवाही की निरन्तरता को तोड़े बिना समय पर नोटिस पूरा करते हुये हठी बकायेदारों के विरुद्ध सीधी विधिक कार्यवाही से सामान्य वसूली परिवेश को सुधारना।
- अगला कदम है खातों को एनपीए की श्रेणी में इंगित करने से बचाने के लिये वसूली अभियान प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में शुरू किया जाये। न्यूनतम अपेक्षित धनराशि की वसूली का संग्रह 31 मार्च से पूर्व कर लिया जाये जिससे खाते को एनपीए श्रेणी में जाने से बचाया जा सके।
- एनपीए कम करने वाले ऐसे उपायों से जून के अन्त के लिए निर्धारित वसूली लक्ष्य को प्राप्त करने में अन्य किसी दूसरे की तुलना में अधिक सरलता होगी।
- संघीय संरचना में भी, एससीएआरडी बैंकों के एनपीए कम करने के लिये, पीसीएआरडी बैंकों से निरन्तर सम्पर्क अनुसरण तथा पीसीएआरडी बैंकों के बकाया खातों का अनुश्रवण करते हुये जिससे कि पीसीएआरडी बैंकों से भेजे गए धन का समायोजन किस्तों में क्रमानुसार समायोजित किया जाये जो 31 मार्च को पिछला बकाया बन जायेंगी, उपायों का अनुसरण किये जाने की आवश्यकता है।
- एससीएआरडी बैंकों को यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बकाया किस्तों के सापेक्ष जो 31 मार्च को पिछला बकाया बन जायेंगी पीसीएआरडी बैंकों का सम्पूर्ण जमा शेष, उनके अग्रिम अदायगी खाते में पूरी तरह समायोजित कर दिया जाना चाहिए।
- पीसीएआरडी बैंकों को पिछली बकाया किस्तों को समाप्त करने के लिए हर साल 31 मार्च को अपने अन्य स्त्रोतों के कोषों का उपयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए।

एनपीए प्रबन्धन

- जबकि एआरडी बैंक प्रत्येक वर्ष 30 जून को बकाया को कम करने के लिये बहुत सी योजनायें बनाते हैं तथा अनेक रणनीतियां अपनाते हैं किन्तु इस प्रकार की योजनायें और ठोस प्रयास 31 मार्च को एनपीए स्तर को कम करने हेतु दिखाई नहीं पड़ते।
- एआरडीबैंकों की आम धारणा कि जब बकाया कम होगा तो उसी अनुपात में एनपीए कम हो जायेगा, ये सही नहीं है क्योंकि एनपीए आंकलन की निर्दिष्ट तिथि तथा बकाये की निर्दिष्ट तिथियों में अन्तर होता है।
- अतः बैंकों को प्रत्येक वर्ष सितम्बर/अक्टूबर से ऋण खातों पर केन्द्रित, जिन्हें वित्तीय वर्ष के अन्त में अर्थात् 31 मार्च को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने की सम्भावना है, एक पृथक वसूली अभियान प्रारम्भ करने की आवश्यकता है।
- इस संदर्भ में पहला कदम ये होगा कि उन ऋण खातों की एक सूची ली जाये जो 31 मार्च को एनपीए हो जाएंगे तथा इन खातों में प्रत्येक प्रकरण में एनपीए से बचने हेतु न्यूनतम अपेक्षित संग्रहयोग्य धनराशि को अंकित किया जाये।

एससीएआरडी बैंकों से पीसीएआरडी बैंकों/शाखाओं को इन्हीं दिशा निर्देशों पर त्वरित वसूली अभियान प्रारम्भ करने हेतु विस्तृत कार्य निर्देश जारी करने, दिशानिर्देशों को स्पष्ट करने, वसूली में सुधार तथा एनपीए में कमी के लक्ष्य के साथ त्वरित वसूली अभियान पर कार्ययोजना को अन्तिम रूप देने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों के लिए राज्यस्तरीय कार्यशालाएं आयोजित कराने का अनुरोध किया गया है।

एनसीडीसी द्वारा एससीएआरडी बैंकों को ऋण व्यवस्था

वर्ष 2005 से एनसीडीसी, एससीएआरडी बैंकों को अपने सदस्यों के लिए निवेश साख हेतु अल्पकालीन ऋण की आवश्यकताओं के वित्तपोषण हेतु साख सुविधा प्रदान कर रहा है। यद्यपि सुरक्षा आवश्यकताओं से सम्बन्धित कुछ शर्तों को पूरा कर पाने में आने वाली कठिनाइयों के कारण कुछ एससीएआरडी बैंक ही नियमित रूप से इस सुविधा का लाभ उठा पा रहे हैं। एनसीडीसी ने एससीएआरडी बैंकों के एनसीडीसी से आहरण के लिए शासकीय गारण्टी अथवा सावधि जमा को सुरक्षा के रूप में बन्धक करने को नियत किया है। चूंकि एनसीडीसी आदर्श रूप में

अल्पकालीन उत्पादों जैसे कि दीर्घ कालीन ऋण के ऋण प्राप्तकर्ताओं के लिए नकद ऋण सीमा, आभूषण ऋण, वाहन ऋण, कार्यशील पूँजी ऋण आदि के अनुकूल है, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित अधिकांश राज्यों में जहां अल्पकालीन ऋण वितरण की शुरुआत अभी तक नहीं हुई है, इस ऋण व्यवस्था का लाभ नहीं उठा सके हैं। फेडरेशन के अनुरोध पर एनसीडीसी ने हाल ही में एससीएआरडी बैंकों को बढ़े हुये विनियोजन पर एनसीडीसी द्वारा ऋण व्यवस्था के नियम और शर्तों की समीक्षा करने पर सहमति व्यक्त की है। एससीएआरडी बैंकों के मजबूत वित्तीय आधार एवं उच्च वसूली प्रतिशत के होने से अब प्राप्तियों के विरुद्ध बिना शासकीय गारण्टी अथवा आनुशंगिक बन्धक आदि के एनसीडीसी से ऋणों के पात्र हो गए हैं। एनसीडीसी ने भी स्वीकृत और वितरित किये जाने वाले ऋणों की प्रक्रिया को सरलीकृत कर दिया है। इसके अतिरिक्त ये ऋण किसी विशिष्ट उद्देश्य से सम्बद्ध नहीं हैं तथा सदस्यों की सभी प्रकार की अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिये उपयुक्त हैं। कम्प्यूटरीकरण तथा कोर बैंकिंग सोल्यूशन्स (सीबीएस) का शुभारम्भ आज बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी व्यवसाय के विकास और प्रतिस्पर्धा की मुख्य प्रेरणाशक्ति है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के बैंक में उपयोग से ग्राहक सेवा, ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं और सुविधा के अनुसार उत्पादों को उपलब्ध कराई जा रही वरीयता के कारण जहां बैंकों की गुणवत्ता एवं क्षमता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है वहीं मूलरूप में संचालन लागत में भी कमी आई है। जोखिम प्रबन्धन एक दूसरा क्षेत्र है जो आईसीटी के उपयोग के कारण अपेक्षाकृत और अधिक कुशल और विश्वसनीय हो गया है। आईसीटी के अंगीकरण से बैंक की छवि में सुधार होता है तथा ये उसे व्यापक, तेज और निपुण बाजार की ओर आगे ले जाता है। यद्यपि आईसीटी के उपयोग से सहकारी बैंकों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है किन्तु कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों ने सामान्यरूप से इस प्रौद्योगिकी के अंगीकरण में कोई बहुत प्रगति नहीं की है। केवल कुछ राज्यों जैसे केरल और पंजाब ने अपने सभी कार्यों का कम्प्यूटरीकरण किया है। कम्प्यूटरीकरण में एक प्रमुख मुद्दा जिसका सामना एआरडी बैंक कर रहे हैं वह है एकरूपता वाले सामान्य साफ्टवेयर का अभाव। स्वतंत्र रूप से उपयोग किये जाने वाले सामान्य साफ्टवेयर के अभाव में प्रत्येक एससीएआरडी बैंक को अपने उपयोग के लिये पृथक साफ्टवेयर विकसित कराना पड़ रहा है। इससे न केवल कम्प्यूटरीकरण की लागत बढ़ती है वरन विभिन्न राज्यों के एआरडी बैंकों की प्रक्रिया और प्रणाली में एकरूपता नहीं रहती है। इसी तरह, एआरडी बैंकों की आवश्यकताओं के अनुरूप आधारित सीबीएस

के अनुप्रयोग अभी विकसित किए जाने हैं। एआरडी बैंक, एक गैर बैंकिंग संस्थान होने के कारण उन्हें बैंकों द्वारा प्रारम्भ किए गये अधिकांश वैशिष्ट्य (फीचर) की आवश्यकता नहीं है। इस पृष्ठभूमि पर फेडरेशन एआरडी बैंकों में सीबीएस अनुप्रयोग प्रारम्भ करने के लिये एक सामान्य एजेन्सी को खोजने का प्रयास कर रहा है। इन अधिकांश मामलों का निदान राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) द्वारा विशेषरूप से एआरडी बैंकों के लिए विकसित किए गये सीबीएस अनुप्रयोग से कर दिया गया है। एनआईसी ने पंजाब एससीएडी बैंक में सफलतापूर्वक सीबीएस अनुप्रयोग को कार्यान्वित किया तथा उसे ही राष्ट्रीय डाटा सेण्टर में भी परिचालित किया जिसका उपयोग सुरक्षित इण्टरनेट चैनल के माध्यम से किया जा सकता है। एनआईसी द्वारा विकसित किये गये अनुप्रयोग न केवल एआरडी बैंकों की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त ही पाये गये वरन अन्य सेवा प्रदाताओं की तुलना में सर्वाधिक लागत प्रभावी भी हैं। फेडरेशन ने इन अनुप्रयोगों की संस्तुति सदस्य बैंकों के लिए की है। आशा है कि कम्प्यूटरीकरण और सीबीएस अनुप्रयोग का कार्यान्वयन सभी एससीएआरडी बैंकों में 2016-17 के अन्त तक सम्भव हो सकता है।

एआरडी बैंकों की कार्यप्रणाली के अध्ययन हेतु नाबार्ड द्वारा गठित आन्तरिक समिति

नाबार्ड के अध्यक्ष ने निम्नांकित विचारार्थ विषयों पर एआरडी बैंकों की स्थिति और उन्हें सुदृढ़ करने के उपायों के लिए सुझाव देने हेतु नाबार्ड की एक आंतरिक समिति का गठन किया है।

- 1) एआरडी बैंकों की वित्तीय स्थिति का उनके व्यवसाय ऋण वितरण, उसके उद्देश्य, अकृषि क्षेत्र में विविधीकरण आदि से आंकलन।
- 2) ऋण प्राप्ति—स्त्रोत जहाँ से एआरडी बैंक अर्जित कर रहे हैं।
- 3) संचित हानियां और लाभप्रदता के स्तर—स्थिति विश्लेषण किया जा रहा है।
- 4) फेडरेशन द्वारा प्रतिनिधित्व पर आधारित एआरडी बैंकों के लघु वित्त बैंक के रूप में पुर्नगठन से सम्बन्धित मुद्दे।
- 5) मानव संसाधन मामले— कर्मचारियों की गुणवत्ता एवं पर्याप्तता, आयु प्रोफाइल, तकनीकी, कुशल और विशेष जनशक्ति।
- 6) संरचना की परिचालन क्षमता के लिये कार्ययोजना— विभिन्न स्थानों में संरचना, प्रत्येक शाखा के लिए भौगोलिक कार्यक्षेत्र, कम्प्यूटरीकरण, लेखाप्रणाली, आंतरिक अवरोध एवं नियंत्रण व्यवस्था।

समिति के सदस्यों ने संदर्भ की शर्तों पर विस्तृत विचार विमर्श

हेतु फेडरेशन कार्यालय में दिनांक 7 जनवरी 2016 को दौरा किया। फेडरेशन ने संदर्भ की शर्तों पर सुझावों के साथ विस्तृत टिप्पणी प्रस्तुत की।

एससीएआरडी बैंकों को आयकर में छूट- केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड बनाम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स थिरुअनन्तपुरम में केरल उच्च न्यायालय का निर्णय

आयकर अधिनियम की धारा 80(पी) सहकारी समितियों को आयकर में छूट प्रदान करती है। 2008 में सरकार ने इस धारा में उपधारा 4 को जोड़ कर संशोधन कर दिया। नई उपधारा में कहा गया है कि धारा 80(पी) में दिये गये प्राविधान, एक प्राथमिक सहकारी साख समिति और एक प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के मामले में एक तालुक के अधिकार क्षेत्र से अधिक नहीं, को छोड़ कर, जैसा कि अर्थ बी.आर. अधिनियम 1949 के अन्तर्गत दिये गये हैं 'सहकारी बैंक' पर लागू नहीं होंगे। उपधारा 4 का स्पष्ट उद्देश्य सहकारी बैंकों को कर में छूट के लाभ से बाहर रखना है, जैसा कि धारा 80 (पी) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दिया गया है। यद्यपि जब यह उपधारा स्पष्ट करती है कि एक तालुक से अधिक कार्यक्षेत्र के प्राथमिक एआरडी बैंक सहकारी बैंक को छोड़ कर, तो इसका अर्थ है कि बी.आर. अधिनियम के अन्तर्गत आने वाला प्राथमिक एआरडी बैंक भी एक सहकारी बैंक हैं जो सही नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो जिन्होंने प्राविधानों के प्रारूप को तैयार किया है उन्होंने एआरडीबैंकों को राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक अथवा अर्बन कोआपरेटिव बैंक की तरह ही एक बैंक मानने की गलती की और इसलिए केवल प्राथमिक एआरडी बैंक के मामले में एक अपवाद बना दिया। ये एक क्षेत्र से संस्था को दिये गये अपवाद की त्रुटि है जो कि उस क्षेत्र से सम्बन्धित नहीं है। दूसरे शब्दों में, जब उपधारा 4 सहकारी बैंकों से सम्बन्धित है तो इस प्राविधान का अपवाद केवल उस संस्था को दिया जा सकता है जो सहकारी बैंकों का हिस्सा हो। बी.आर.अधिनियम सहकारी बैंक को या तो एक राज्य सहकारी बैंक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक अथवा प्राथमिक सहकारी बैंक (अर्बन कोआपरेटिव बैंक) के रूप में परिभाषित करता है। इसके अतिरिक्त, बी.आर. अधिनियम स्वयं सहकारी बैंक और भूमि बंधक बैंक (जो नाम बी.आर.अधिनियम बनाये जाने के समय एआरडी बैंक का था) के मध्य अंतर रखता है। बी.आर.अधिनियम की धारा 56 (सी) कहती है कि सहकारी साख समितियों में भूमि बंधक बैंक शामिल हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक भूमि बंधक बैंक चाहे वह प्राथमिक हो अथवा शीर्ष एक सहकारी साख समिति है जैसा

कि बी.आर.अधिनियम की धारा 5 (201) में परिभाषित किया गया है। यद्यपि फेडरेशन ने उपधारा 4 में आलेखन त्रुटि को सहकारी बैंकों से प्राथमिक बैंकों को अपवाद दिया जाना, जैसा कि बी.आर.अधिनियम में परिभाषित किया गया है, जो प्राथमिक एआरडी बैंक नहीं है, को बजट के तुरन्त बाद इंगित किया किन्तु सरकार द्वारा त्रुटि सुधार हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। इससे आयकर विभाग तथा पूरे देश भर के एआरडी बैंकों के बीच अनेक विवाद उत्पन्न हो गये। आयकर विभाग ने इस अवधारणा के साथ एक तालुक तक के कार्यक्षेत्र वाले प्राथमिक एआरडी बैंक, जो उपधारा 4 के अनुसार सहकारी बैंक की श्रेणी में आते हैं और जो अंतःधारा 80 (पी) के अन्तर्गत आयकर में छूट से बाहर है, को छोड़ कर सभी प्रकार के एआरडी बैंक एससीएआरडी बैंकों के पास आंकलन नोटिस भेजना प्रारम्भ कर दिया। अधिकांश राज्यों में एससीएआरडी बैंक, आयकर विभाग को बी.आर. अधिनियम में सहकारी साख समिति की दी गई परिभाषा से अपने सहकारी साख समिति की स्थिति से संतुष्ट कर सके। तथापि, केरल में आयकर विभाग अथवा ट्रिब्युनल के स्तर पर मामले का निपटारा नहीं किया जा सका और अंततः उच्च न्यायालय में मामला पहुंचा जिसने उपधारा 4 की उपयुक्तता के उद्देश्य से, अपने अन्तिम निर्णय में केरल एससीएआरडी बैंक को राज्य सहकारी बैंक के बराबर माना।

केरल उच्च न्यायालय ने केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक बनाम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स थिरुअनन्तपुरम को अपने निर्णय में निम्नानुसार निर्दिष्ट किया:-

“कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड को एक प्रमुख सहकारी समिति के रूप में राज्य में कृषि साख सुविधा के उद्देश्य के रूप में व्यवस्थित प्राविधान उपलब्ध कराता है। कृषि एवं ग्रामीण बैंक अधिनियम, जैसा कि कृषि एवं ग्रामीण बैंक अधिनियम की धारा 2 के खण्ड जी तथा एच में व्याख्यायित किया गया है, प्राथमिक बैंकों तथा प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से संचालन प्रक्रिया उपलब्ध कराता है। ये प्राविधान प्रकाशित करते हैं कि अपीलार्थी कृषि एवं ग्रामीण बैंक अधिनियम की धारा 2 के खण्ड सीसीआई की धारा 5 में पारिभाषिक शब्द सहकारी बैंक की परिधि में आता है फलस्वरूप, आयकर अधिनियम की धारा 80(पी) के लिए उद्देश्य हेतु एक सहकारी बैंक है।”

केरल उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से केरल एससीएआरडी बैंक को बैंक विनियमन अधिनियम की धारा 5 के अर्थ के अन्तर्गत कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम के प्रावधानों के आधार

पर कि एससीएआरडी बैंक, राज्य सरकार द्वारा घोषणा की अनिवार्य आवश्यकताओं पर विचार किए बिना तथा एक सहकारी समिति को राज्य सहकारी बैंक होने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस जारी किए बिना, कृषि साख सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, जो राज्य की एक प्रमुख सहकारी संस्था है, को एक राज्य सहकारी बैंक के रूप में घोषित कर दिया।

अभी केरल एससीएआरडी बैंक ने उच्चतम न्यायालय में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध एक अपील याचिका दायर की है। उच्चतम न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली तथा आयकर विभाग को बैंक से कर वसूली के लिए प्रतिरोधात्मक उपायों को रोकने के लिए अंतरिम आदेश जारी कर दिए हैं।

फेडरेशन द्वारा दिनांक 18 मार्च 2016 को आहूत की गई एससीएआरडी बैंकों की बैठक में केरल एससीएआरडी बैंक तथा आयकर आयुक्त के मध्य विवाद पर केरल उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रभावों तथा इस मामले में फेडरेशन के साथ साथ सदस्य बैंकों द्वारा की गई अग्रिम कार्यवाही पर विधिक राय लेने का निश्चय किया गया।

तदनुसार, फेडरेशन ने उच्चन्यायालय के अधिवक्ता श्री सुधीर वालिया, जिन्होंने पंजाब एससीएडी बैंक के आयकर वाद में उच्चन्यायालय में सफलतापूर्वक प्रतिवाद किया था, से विधिक परामर्श लिया। सुधीर वालिया ने उच्चतम न्यायालय में अन्य

एससीएआरडी बैंकों के केरल एससीएआरडी बैंकों की अपील याचिका पर हस्तक्षेप करने के विरुद्ध परामर्श दिया कि उच्चतम न्यायालय के प्रतिकूल निर्णय की असम्भाव्य घटना जो बिना किसी विधिक सहायता का अवसर दिए समान रूप से उन पर भी लागू होगी।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए, जैसा कि अधिवक्ता द्वारा सुझाव दिया गया है, फेडरेशन ने अन्य एससीएआरडी बैंकों की ओर से उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील याचिका में अपना प्रतिवाद प्रस्तुत किया है।

2015-16 के दौरान एससीएआरडी बैंकों को नाबार्ड द्वारा पुर्नवित्त आवंटन

नाबार्ड ने 9 एससीएआरडी बैंकों को 2015-16 के दौरान दीर्घकालीन ऋण वितरण के सापेक्ष ₹3,200 करोड़ का आवंटन पुर्नवित्त के रूप में किया है। इन बैंकों द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान लिया गया कुल पुर्नवित्त ₹2,923.95 करोड़ था। 2015-16 में किया गया आवंटन गत वर्ष किए गये आवंटन की तुलना में 11% अधिक हुआ।

2015-16 में एससीएआरडी बैंकवार किये गए पुर्नवित्त आवंटन के साथ 2013-14 तथा 2014-15 में लिए गये पुर्नवित्त का विवरण निम्नानुसार है:-

(₹ करोड़)

क्रम संख्या	एससीएआरडी बैंक का नाम (पूर्णरूप से सक्रिय)	2015-16 के दौरान पुर्नवित्त आवंटन	अवधि के दौरान लिया गया पुर्नवित्त	
			2013-14	2014-15
1.	गुजरात	150.00	89.00	80.00
2.	हरियाणा	125.00	67.97	124.81
3.	हिमांचल प्रदेश	25.00	40.00	45.00
4.	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00
5.	कर्नाटक	250.00	99.98	236.36
6.	केरल	1250.00	778.00	1154.79
7.	पॉण्डिचेरी	0.00	0.00	0.00
8.	पंजाब	625.00	430.00	532.00
9.	राजस्थान	200.00	180.00	171.00
10.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00
11.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00
12.	उत्तर प्रदेश	450.00	0.00	450.00
13.	पश्चिम बंगाल	125.00	129.99	129.99
	योग	3,200.00	1,814.94	2,923.95

केन्द्रीय बजट 2016-17

29 फरवरी 2016 को 2016-17 के लिए वित्तमंत्री ने संसद भवन में बजट प्रस्तुत किया। 2015-16 में अर्थव्यवस्था की विकास दर की 7.6% से त्वरित वृद्धि तथा प्रतिकूल वैश्विक परिस्थितियों एवं लगातार दो वर्षों से मानसून में गिरावट के बावजूद विश्व में सबसे अधिक तीव्रगति से बढ़कर चीन की विकास दर से आगे निकलते हुए उभर कर आने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि में बजट को प्रस्तुत किया गया। साथ ही देश के सम्मुख सम्भावित वैश्विक मंदी और उथल-पुथल से भी प्रभावित होने का भी खतरा है।

समिष्ट आर्थिक स्थिरता तथा विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबन्धन को सुनिश्चित करना तथा घरेलू मांग में वृद्धि व आर्थिक सुधारों की गति एवं नीतिगत पहल के लक्ष्य 2016-17 हेतु निर्धारित किये गये हैं। आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने के लिए बजट विषद रूप से कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर निर्भर करता है। बजट में स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास, शिक्षा व्यवसाय सृजन एवं बुनियादी सुविधाओं सहित सामाजिक क्षेत्र को भी महत्व दिया गया था।

यह घोषणा की गई है कि चालू वर्ष के 3.9% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है तथा सरकार आगामी वर्ष के लिए 3.5% के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। यह वेतन आयोग की रिपोर्ट पर ₹1 लाख करोड़ से अधिक तथा समान रैंक समान पेन्शन योजना के क्रियान्वयन हेतु ₹7,500 करोड़ के प्रत्याशित व्यय दबाव की पृष्ठभूमि में प्रशंसनीय है। जबकि सकल घरेलू उत्पाद अनुपात हेतु उच्च ऋण समिष्ट आर्थिक स्थिरता के लिए अच्छा नहीं माना जाता, अतः समस्या के निदान हेतु व्ययों में भारी कमी, जो इसके मांग पर प्रभाव से अनुत्पादक हो जायेगा, की अपेक्षा तीव्रतर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अधिमानित समाधान है। भारतीय संदर्भ में ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात जो 2003-04 में 83.3% से 2013-14 में 67.1% नीचे आ गया, के साथ यह प्रासंगिक है।

कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र व बैंकिंग से सम्बन्धित निम्नांकित प्रस्तावों का मुख्य आकर्षण है:-

- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत 28.5 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में वृद्धि कर तथा 2016-17 के दौरान 89 मध्यम तथा बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करते हुए 80.6 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करते हुए सिंचाई पर विशेष बल।

- सिंचाई विकास में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, नाबार्ड द्वारा ₹20000 करोड़ की राशि के साथ दीर्घ कालीन सिंचाई कोष की स्थापना।
- बजट में 2016-17 के दौरान मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अन्तर्गत समस्त 14 करोड़ कृषि जोतों को आक्षादित करने का लक्ष्य निर्धारित है।
- राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन प्रणाली को एकीकृत करने के लिये बजट में थोक विक्रेताओं के लिए एक सामान्य ई-प्लेटफार्म बनाये जाने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- प्रधानमंत्री की फसल बीमा योजना में ₹5,500 करोड़ के विनियोजन से और अधिक कृषकों एवं फसलों के लिये इस योजना के क्षेत्र विस्तार की सम्भावना।
- फसल ऋण ब्याज माफी योजना को ₹15,000 करोड़ के विनियोजन के साथ 2016-17 के दौरान भी जारी रखे जाने की घोषणा की गई है।
- परम्परागत कृषि विकास योजना तथा जैविक मूल्य श्रृंखला के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक खेती को प्रोत्साहन।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के विनियोजन में ₹19,000 करोड़ की वृद्धि कर 2019 तक 65,000 बस्तियों को जोड़ने की उम्मीद।
- ग्रामीण क्षेत्र में विनियोजन धनराशि ₹87,765 करोड़ बढ़ाई गई। इसके अतिरिक्त, 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर 2016-17 के दौरान पंचायत एवं नगरपालिकाओं को ₹2.87 लाख को सहायता अनुदान मिलेगा।
- सूखे एवं ग्रामीण आपदा से प्रभावित प्रत्येक खण्ड को दीन दयाल अन्त्योदय मिशन के अन्तर्गत विशेष सहयोग दिया जाएगा।
- ₹38,000 करोड़ के विनियोजन के साथ ग्रामीण रोजगार योजना-मनरेगा पूर्ववत जारी रहेंगी।
- बजट में ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को 1 मई 2018 तक प्राप्त कर लिये जाने के प्रस्ताव हैं।
- नामित केन्द्रीय क्षेत्र एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन के लिये जनपद के सबसे वरिष्ठ सांसद की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।
- खुले स्थान में शौच से मुक्त होने के लिये गांवों को वित्तीय प्रोत्साहन।

- 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को सम्मिलित करने के लिए आगामी तीन वर्षों के अन्दर डिजिटल लाइब्रेरी मिशन योजना का आरम्भ।
- राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम आदि का सुधार।
- कृषि हेतु बैंक ऋण वितरण के लक्ष्य ₹9 लाख करोड़ बढ़ाये गये।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूँजीकरण के लिए ₹25,000 करोड़ विनियोजित।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों की नियुक्ति में सरकार की सहायता तथा बैंकिंग सुधारों में सुझाव देने के लिए बैंकिंग बोर्ड ब्यूरो की स्थापना की जाएगी।



VII. सम्बद्धीकरण

राष्ट्रीय स्तर पर

राष्ट्रीय स्तर पर फेडरेशन निम्नांकित संगठनों से सम्बद्ध है:-

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एन. सी. यू. आई.)

फेडरेशन एन. सी. यू. आई. का सदस्य है तथा इसके कार्यक्रमों से सक्रिय रूप से जुड़ा है। फेडरेशन के उपाध्यक्ष श्री के. शिवदासन नायर, एन. सी. यू. आई. के भी उपाध्यक्ष हैं।

फेडरेशन राष्ट्रीय स्तर के निम्नांकित संगठनों/समूहों से भी सम्बद्ध है।

कोआपरेटिव बैंक ऑफ इण्डिया (सी. ओ. बी. आई.)

फेडरेशन सी. ओ. बी. आई. का संस्थापक सदस्य है। फेडरेशन के अध्यक्ष सी. ओ. बी. आई. के निदेशक मण्डल में भी निदेशक हैं। वर्ष के दौरान हनोई, वियतनाम में 12-15 सितम्बर 2015 आयोजित भारत के बैंकिंग क्षेत्र की नई प्रवृत्तियां पर विचारगोष्ठी में फेडरेशन के श्री के. के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक तथा सदस्य बैंकों के प्रतिनिधि जिनमें श्री सोलोमन एलेक्स, अध्यक्ष तथा श्रीमती अपर्णा प्रताप, महा प्रबन्धक (प्रभारी) केरल एससीएआरडी बैंक सम्मिलित हुए।

नेशनल फिल्म एण्ड फाइन आर्ट्स कोआपरेटिव्स लि.

फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक साधारण सभा एवं निदेशक मण्डल के सदस्य हैं।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन. सी. डी. सी.)

फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक श्री के. के. रविन्द्रन को भारत सरकार द्वारा एन. सी. डी. सी. अधिनियम 1962 की धारा 3(4)(XVII) के अन्तर्गत एन. सी. डी. सी. की सामान्य सभा का सदस्य नामित किया गया है।

फेडरेशन निम्नांकित संगठनों से सह सदस्यता बनाये हुये हैं।

- 1) इण्डियन मर्चेण्ट चेम्बर (आई.एम.सी.)
- 2) इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन (आई.बी.ए.)
- 3) इण्डियन सोसाइटी फॉर स्टडीज़ इन कोआपरेशन
- 4) इण्डियन टूरिज़्म कोआपरेटिव लिमिटेड (आई.टी.सी.)

कृषिगत बैंकिंग में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सी. आई.सी.टी.ए.बी.)

फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक इसकी साधारण सभा के सदस्य हैं। फेडरेशन सदस्य बैंकों के शासकीय अधिकारियों एवं गैर सरकारी पदाधिकारियों को नियमित रूप से सिक्टैब के कार्यक्रमों के लिए नामित करता है।

अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर

इण्टरनेशनल कोआपरेटिव एलाएन्स (आई. सी. ए.)

फेडरेशन आई. सी. ए. वैश्विक के साथ साथ आई. सी. ए. एशिया-पैसिफिक क्षेत्र का भी सदस्य है। फेडरेशन आई. सी. ए. की अनेक समितियों से भी सम्बद्ध है।

श्री के. शिवदासन नायर, फेडरेशन के प्रतिनिधि के रूप में आई. सी. ए.-ए. पी. के अन्तर्गत रीजनल कोआपरेटिव बैंकिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में लगातार कार्य कर रहे हैं। वर्ष के दौरान फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने आई. सी. ए. के निम्नांकित कार्यक्रमों में भाग लिया।

- दिनांक 12-14 जुलाई 2015 मिलान, इटली में आयोजित 'सहकारितायें - सतत विकास तथा भुखमरी मुक्ति के लिये लोक सशक्तीकरण' पर वैश्विक सम्मेलन जिसमें श्री के. शिवदासन नायर उपाध्यक्ष, श्री अरुणजीत सिंह मिगलानी, आरसीएस पंजाब, श्री जी एस मंगत, भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक पंजाब एससीएडीबी, श्री सोलोमन एलेक्स, अध्यक्ष केरल एससीएआरडी बैंक तथा फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक श्री के. के. रविन्द्रन ने भाग लिया।

एशिया पैसिफिक रीजनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन (एप्राका)

फेडरेशन एप्राका का संस्थापक सदस्य है। श्री के. के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक, फेडरेशन 1996 से इसकी सामान्य सभा के सदस्य हैं। फेडरेशन के प्रतिनिधि ने वर्ष के दौरान एप्राका के निम्नांकित कार्यक्रम/बैठक में भाग लिया:-

- बैंकॉक, थाइलैण्ड में 15-18 फरवरी 2016 को आयोजित अन्तरराष्ट्रीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, एफएओ-एप्राका में श्री डी बी त्रिवेदी, प्रबन्ध निदेशक, गुजरात राज्य

सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, अहमदाबाद ने भाग लिया।

इण्टरनेशनल रैफिसन यूनियन (आईआरयू)

फेडरेशन आईआरयू का सदस्य है। आईआरयू की सामान्य सभा में फेडरेशन का प्रतिनिधित्व श्री सुखदर्शन सिंह म्रार, अध्यक्ष द्वारा किया जा रहा है। फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने वर्ष

के दौरान आईआरयू की निम्नांकित कार्यक्रम/बैठक में भाग लिया:-

- ज्यूरिख, स्विटजरलैण्ड में दिनांक 11-12 नवम्बर 2015 को आयोजित प्रथम आईआरयू विपणन कार्यशाला में श्री सुखदर्शन सिंह म्रार अध्यक्ष, श्री दलीप सिंह यादव उपाध्यक्ष तथा श्री के. के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक, एनसीएआरडीबीएफ ने भाग लिया।

VIII. फेडरेशन का प्रबन्धन

सामान्य निकाय

सामान्य निकाय में फेडरेशन के सदस्य होते हैं जिसमें प्रतिनिधि बैंकों के निदेशक मण्डल द्वारा नामित प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व होता है।

फेडरेशन के सदस्यों की सूची निम्नवत है:-

1. आन्ध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, हैदराबाद।
2. असम राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, गुवाहटी।
3. बहु-राज्यीय सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड (बिहार-झारखण्ड), पटना।
4. गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद।
5. हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, पंचकुला।
6. हिमांचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, शिमला।
7. जम्मू-कश्मीर राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, श्रीनगर।
8. कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, बैंगलोर।
9. केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, थिरुवनन्तपुरम।
10. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, भोपाल।
11. उड़ीसा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, भुवनेश्वर।
12. पॉण्डिचेरी केन्द्रीय भूमि विकास बैंक लिमिटेड, पॉण्डिचेरी।
13. पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लिमिटेड, चण्डीगढ़।
14. राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, जयपुर।
15. तमिलनाडु सहकारी राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, चेन्नई।
16. त्रिपुरा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, अगरतला।

17. उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड, लखनऊ।
18. पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, कोलकता।
19. दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली।
20. गोवा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, पणजी।
21. मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड, शिलॉंग।
22. तेलंगाना राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड, हैदराबाद।

निदेशक मण्डल

उपविधि संख्या 20(iii) के अनुसार फेडरेशन के प्रबन्धन मण्डल में सामान्य निकाय से निर्वाचित 20 निदेशक, केन्द्र सरकार द्वारा नामित 1 निदेशक, प्रबन्ध निदेशक जो फेडरेशन का पदेन सदस्य है, के अतिरिक्त निदेशक मण्डल द्वारा सहयोजित 2 निदेशक होते हैं।

31.03.2016 को प्रबन्धन मण्डल में निम्नांकित सदस्य हैं:-

कार्यकारणी समिति

उपविधि संख्या 26(ए) के अनुसार, कार्यकारणी समिति में अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक तथा संचालक मण्डल द्वारा निर्वाचित 5 बोर्ड के सदस्य होंगे।

- (1) श्री सुखदर्शन सिंह प्रार, अध्यक्ष
(पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लिमिटेड)
- (2) श्री के. शिवदासन नायर, एमएलए, उपाध्यक्ष
(केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड)
- (3) श्री बिजय कुमार सिंह, उपाध्यक्ष
(बहुराज्यीय सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, (बिहार - झारखण्ड))
- (4) श्री दलीप सिंह यादव, उपाध्यक्ष
(हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड)
- (5) श्री बी. एच. जडेजा उपाध्यक्ष
(गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड)
- (6) श्री पी. वेन्कटेश्वर राव
(आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड)

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	प्रतिनिधि सदस्य बैंक
1.	श्री सुखदर्शन सिंह प्रार अध्यक्ष	पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लिमिटेड
2.	श्री के. शिवदासन नायर, एमएलए उपाध्यक्ष	केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड
3.	श्री दलीप सिंह यादव उपाध्यक्ष	हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड
4.	श्री बिजय कुमार सिंह उपाध्यक्ष	बहुराज्यीय सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड (बिहार-झारखण्ड)
5.	श्री बी. एच. जडेजा उपाध्यक्ष	गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड
6.	श्री पी. वेन्कटेश्वर राव	आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
7.	श्री आर. एस. दहिया	दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
8.	श्री उल्हास बी. फल देसाई	गोवा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
9.	श्री के. शदाक्षरी, एमएलए	कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड
10.	श्री एम. सियेम	मेघालय राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड
11.	श्री बी. शाहुल अमीद	तमिलनाडु सहकारी राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड
12.	पं. शिव लाल	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड
13.	श्री राश बिहारी दत्ता	त्रिपुरा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड
14.	श्री कोण्डुरु रवीन्द्र राव	तेलंगाना राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड
15.	श्री आलोक दीक्षित	उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड
16.	श्री वाई. सी. नन्दा	सहयोजित सदस्य
17.	श्री जी. एस. मंगत	सहयोजित सदस्य
18.	श्री के. के. रविन्द्रन	पदेन

ध्यान दें : 31.03.2016 को संचालक मण्डल में 18 सदस्य थे जिसमें सामान्य निकाय से निर्वाचित होने वाले 20 निदेशकों के सापेक्ष 15 निर्वाचित निदेशक, 2 सहयोजित निदेशक तथा प्रबन्ध निदेशक थे।

- (7) श्री के. शदाक्षरी, एमएलए
(कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड)
- (8) श्री बी. शाहुल अमीद
(तमिलनाडु सहकारी राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड)
- (9) श्री एम. सियेम
(मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड)
- (10) श्री के.के.रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक, एनसीएआरडीबीएफ
(31.03.2016 को एक स्थान रिक्त रहा)

प्रशासनिक समिति

उपविधि संख्या 27 (ए) के अनुसार, प्रशासनिक समिति में अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, तथा प्रबन्ध निदेशक होंगे। 31.03.2016 को प्रशासनिक समिति में निम्नांकित सदस्य हैं :-

1. श्री सुखदर्शन सिंह प्रार, अध्यक्ष
2. श्री के. शिवदासन नायर, एमएलए, उपाध्यक्ष
3. श्री बिजय कुमार सिंह, उपाध्यक्ष
4. श्री दलीप सिंह यादव उपाध्यक्ष
5. श्री बी. एच. जडेजा उपाध्यक्ष
6. श्री के. के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान सामान्य निकाय, संचालक मण्डल तथा कार्यकारिणी समिति की बैठक

सामान्य निकाय की बैठक, प्रबन्ध एवं कार्यकारिणी समिति की सम्पन्न बैठकों का विवरण तिथि एवं स्थान सहित नीचे सूचीबद्ध है:-

बैठकें	स्थान	तिथि
(ए) वार्षिक सामान्य निकाय (55वीं)	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	24 अगस्त 2015
(बी) प्रबन्धक मण्डल		
145वां बोर्ड	थिरुवनन्थपुरम (केरल)	30 अप्रैल 2015
146वां बोर्ड	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	24 अगस्त 2015
147वां बोर्ड	मेहसाणा (गुजरात)	04 दिसम्बर 2015
148वां बोर्ड	कोचीन (केरल)	12 फरवरी 2016
(सी) कार्यकारिणी समिति	श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर)	10 अक्टूबर 2015

महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर बोर्ड की बैठकों में विचार विमर्श हुआ

बोर्ड की बैठकें सदस्य बैंकों के क्रियाकलापों की समीक्षा के अलावा नीतिगत एवं ग्रामीण साख से सम्बन्धित परिचालन के मुद्दों पर विचार विमर्श के लिये अभी भी प्रमुख वाक्पीठ है। वर्ष के दौरान प्रतिवेदन के अन्तर्गत बोर्ड ने सदस्य बैंकों के व्यावसायिक क्रिया कलापों तथा नाबार्ड से पुनर्वित्त के अन्तर्गत ऋण वितरण वसूली इत्यादि की आवधिक समीक्षा से सम्बन्धित नियमित विषयों पर विचार विमर्श के अतिरिक्त निम्नांकित विषयों पर भी चर्चा की:-

1. एससीएआरडी बैंकों द्वारा बैंकिंग कम्पनी को बढ़ावा दिया जाना।
2. एआरडी बैंकों का पुनर्गठन-राबो इण्टरनेशनल एडवाइजरी सर्विसेज़ तथा नाबार्ड के साथ विचार विमर्श।
3. त्वरित वसूली अभियान।
4. बहु सेवा केन्द्रों के रूप में नाबार्ड द्वारा पीसीएआरडी बैंकों को वित्तपोषण हेतु दिशा निर्देश।
5. केन्द्रीय बजट 2015-16।
6. 20 नवम्बर 2014 को थिरुवनन्थपुरम में सम्पन्न प्रमुख सचिवों एवं निबन्धक सहकारी समितियों के दूसरे सम्मेलन की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही।
7. 2015-16 के दौरान फेडरेशन की गतिविधियों के कार्यक्रम।
8. प्रमुख परिचालन क्षेत्रों में एससीएआरडी बैंकों का अप्रैल

9. एलटीसीसीएस में सुधार-प्रगति की समीक्षा।
10. 2015-16 के लिए नाबार्ड द्वारा एससीएआरडी बैंकों के लिये पुनर्वित्त विनियोजन।
11. एनसीडीसी द्वारा एआरडी बैंकों के लिए ऋण व्यवस्था।

12. सितम्बर 2015 से मार्च 2016 की अवधि के लिए तिथिवार कार्यक्रमों का विवरण।
13. त्वरित ऋण वसूली अभियान को आरम्भ करने हेतु दिशा निर्देश।
14. वर्ष 2014-15 के लिये एससीएआरडी बैंकों को कार्य निष्पादन पुरस्कार।
15. जेएलटीसी का पुनर्निर्माण।
16. एनसीडीसी के साथ नई दिल्ली में 29 अक्टूबर 2015 को बैठक।
17. अपने सदस्यों को उनके निक्षेप पर सहकारी बैंकों द्वारा दिये गये ब्याज पर - स्रोत पर कर की कटौती के नये प्रावधान।
18. एआरडी बैंकों की कार्यप्रणाली के अध्ययन के लिये नाबार्ड द्वारा आंतरिक समिति का गठन।
19. 2015-16 के लिए नीति- सहकारी साख संस्थाओं को अंशपूँजी में योगदान के लिये नाबार्ड के अधिनियम 1981 की धारा 27 के अन्तर्गत राज्य सरकारों को मियादी ऋण की स्वीकृति।
20. एलटीसीसीएस के लिए पुनरुद्धार पैकेज।
21. पुनरुद्धार समर्थन तथा अनुकूल नीतिगत निर्णयों के लिए पैरवी।
22. एससीएआरडी बैंकों द्वारा आंतरिक सुधारों की पहल।
23. एलटीसीसीएस पर नाबार्ड की आंतरिक समिति के सदस्यों के साथ बैठक।



IX. वित्त एवं लेखा

2015-16 की आस्तियां एवं दायित्व तथा आय और व्यय खाते नीचे दिये गये हैं:

आस्तियां एवं दायित्व

(₹ लाख)

क्रम संख्या	देयतायें	जैसा कि इस तिथि को था		क्रम संख्या	अस्तियां	जैसा कि इस तिथि को था	
		31-3-16	31-3-15			31-3-16	31-3-15
1.	निधियां एवं अन्य कोष	1,967.97	1,868.25	1.	नगद एवं बैंक अवशेष	0.63	15.83
2.	प्रतिभूत ऋण	2.76	30.40	2.	निवेश	1673.97	1573.97
3.	अन्य दायित्व एवं प्रावधान	44.68	30.83	3.	अचल सम्पत्तियां	248.19	260.38
4.	आय एवं व्यय खाते से स्थानान्तरित अधिशेष	10.47	9.41	4.	विविध देनदार और प्राप्तियां	90.67	77.69
				5.	ऋण एवं अग्रिम	6.80	6.08
				6.	विविध जमा एवं पूर्वदत्त व्यय	5.38	4.94
				7.	टीडीएस प्राप्तियां	0.24	0.00
	योग	2,025.88	1,938.89		योग	2,025.88	1,938.89

आय एवं व्यय

(₹ लाख)

क्रम संख्या	विवरण	धनराशि	
		2015-16	2014-15
	आय		
1.	एएमएस तथा सदस्य बैंकों से अतिरिक्त योगदान	86.50	86.75
2.	ब्याज आय	83.35	80.45
3.	अनुदान प्राप्त (भारत सरकार तथा एनसीयूआई)	0.00	8.00
4.	विविध आय/लाभांश/अतिथिगृह सेवा प्रभार	0.26	0.35
5.	बीडीआरआर से वसूली	9.80	27.27
	योग (1 से 5)	179.91	202.82
	व्यय		
1.	प्रबन्धन लागत	84.45	83.67
2.	अन्य कार्यालय व्यय	23.03	21.47
3.	बैठक/संगोष्ठी/सम्मेलन व्यय	5.04	12.20
4.	परिसर रखरखाव व्यय	9.10	9.88
5.	प्रावधान/निधियां	47.82	66.25
	योग (1 से 5)	169.44	193.47
	अधिशेष	10.47	9.41



X. सदस्य बैंको का संक्षिप्त विवरण

पूर्ण रूप से क्रियाशील एस.सी.आर.डी. बैंक

गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड			
489, आश्रम रोड, नेहरू ब्रिज के पास, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380 009			
ईमेल-gscardb@gmail.com		दूरभाष-079-26585365 / 70 / 71	
अध्यक्ष श्री धीरेन कुमार बी. चौधरी		प्रबन्ध निदेशक श्री डी. बी. त्रिवेदी	
कर्मचारियों की स्थिति एससीएआरडी बैंक स्तर पर (प्रधान कार्यालय एवं शाखाएं) : 395		ब्याज की दर ऋण पर ब्याज की दर-11.00% से 13.50% जमा संग्रहण पर ब्याज की दर - 8.00% से 8.50%	
प्रमुख वित्तीय मानदण्ड (₹ लाख)			
विवरण	2012-13	2013-14	2014-15
ऋण बकाया	57,989.36	58,247.75	57,805.85
वितरित ऋण	19,008.81	17,750.83	17,762.15
कुल प्रदत्त पूँजी	4,448.47	4,543.13	4,562.10
निर्बाध आरक्षित निधियां	46,745.57	49,746.65	51,290.16
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	44.93	44.80	45.86
अदत्त जमा	20,558.79	22,019.30	24,283.20
उधार बकाया	27,491.14	35,276.65	42,288.42
शुद्ध लाभ	3,751.60	2,349.97	2,406.15

हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड

हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड			
सहकारिता भवन, बे संख्या 31-34, सेक्टर 2, पंचकुला-134 112			
ईमेल-contact@haryanacardbank.com		दूरभाष-0172-2587040	
अध्यक्ष श्रीमती रजनी सेखरी सिब्ल, आई ए एस		प्रबन्ध निदेशक श्री सतबीर शर्मा	
कर्मचारियों की स्थिति एससीएआरडी बैंक स्तर पर - 84 पीसीएआरडी बैंक स्तर पर - 1046		ब्याज की दर अंतिम ऋण लाभार्थी स्तर पर - 13.25% एससीएआरडी बैंक से पीसीएआरडी बैंक को - 10.75%	
प्रमुख वित्तीय मानदण्ड (₹ लाख)			
विवरण	2012-13	2013-14	2014-15
ऋण बकाया	2,19,363.61	2,09,570.65	2,07,538.19
वितरित ऋण	16,887.53	6,606.20	13,081.54
कुल प्रदत्त पूँजी	4,174.30	4,384.30	4,539.36
निर्बाध आरक्षित निधियां	21,245.77	32,031.09	40,721.19
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात(%)	9.42	11.50	15.37
उधार बकाया	2,16,357.52	1,93,852.59	1,82,403.14
शुद्ध हानि	(698.82)	(3,613.37)	(4,314.60)

हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड

ब्लाक नम्बर डी-3, एसडीए काम्प्लेक्स, कसुमपटी, शिमला-171 009

ईमेल—md@hpardb.org

दूरभाष—0177-2621437

अध्यक्ष

पंडित शिव लाल

प्रबन्ध निदेशक

श्री रवीन्द्र नाथ शर्मा

कर्मचारियों की स्थिति

एससीएआरडी बैंक स्तर पर (प्रधान कार्यालय एवं शाखाएं) : 108
पीसीएआरडी बैंक पर : 59

ब्याज की दर

अंतिम ऋण लाभार्थी स्तर पर — 11.00% से 14.50%
एससीएआरडी बैंक से पीसीएआरडी बैंक को — 7.70% से 10.30%
जमा संग्रहण पर ब्याज दर — 5.00% से 9.00%

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड (₹ लाख)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15
ऋण बकाया	29,720.24	28,693.70	30,427.85
वितरित ऋण	2,713.95	2,577.42	7,007.68
कुल प्रदत्त पूँजी	1,625.95	1,585.16	1,685.88
निर्बाध आरक्षित निधियां	17.21	17.21	17.21
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात(%)	4.78	4.42	4.43
अदत्त जमा	3,533.34	5,429.18	5,852.23
उधार बकाया	18,440.84	18,292.70	19,255.02
शुद्ध लाभ	1.05	240.93	958.86

जम्मू एवं कश्मीर राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड

भवन संख्या 12, पोस्ट आफिस लेन हैदरपुरा, मुबारक अस्पताल के पास, श्रीनगर-190 014

ईमेल—scardjk@rediffmail.com

दूरभाष—0194-2431892

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री मोहम्मद असलम भट्ट

कर्मचारियों की स्थिति

एससीएआरडी बैंक स्तर पर (प्रधान कार्यालय एवं शाखाएं) : 248

ब्याज की दर

ऋणों पर ब्याज की दर — 11.00% से 14.50%
जमा संग्रहण पर ब्याज की दर — 9.00% से 9.50%

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड (₹ लाख)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15
ऋण बकाया	1,995.23	2,799.72	4,047.26
वितरित ऋण	679.69	1,051.39	1741.90
कुल प्रदत्त पूँजी	798.19	1,847.58	2,910.92
निर्बाध आरक्षित निधियां	5.09	9.70	13.43
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात(%)	60.52	79.26	79.99
अदत्त जमा	2,163.45	3,586.78	6,020.73
उधार बकाया	616.00	616.00	616.00
शुद्ध हानि	(383.16)	(478.00)	(525.51)

कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड			
टीपू सुल्तान पैलेस रोड, चमराजपेट, पी.ओ.बॉक्स नम्बर 1811, फोर्ट बेंगलोर-560 018			
ईमेल—kscardbank@yahoo.com		दूरभाष—080-26702024	
अध्यक्ष श्री के. शदाक्षरी	प्रबन्ध निदेशक श्री एच. बालशेखर		
कर्मचारियों की स्थिति एससीएआरडी बैंक स्तर पर : 297 पीसीएआरडी बैंक स्तर पर : 775	ब्याज की दर अंतिम ऋण लाभार्थी स्तर पर - 13.50% से 14.00% एससीएआरडी बैंक से पीसीएआरडी बैंक को - 11.75% से 12.00% जमा संग्रहण पर ब्याज दर - 7.00% से 10.75%		
प्रमुख वित्तीय मानदण्ड (₹ लाख)			
विवरण	2012-13	2013-14	2014-15
ऋण बकाया	1,36,080.90	1,39,251.67	1,49,558.91
वितरित ऋण	21,771.76	22,564.45	33,270.99
कुल प्रदत्त पूँजी	5,517.87	5,800.02	5,996.33
निर्बाध आरक्षित निधियां	9,758.87	10,129.85	10,176.46
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात(%)	6.12	6.20	5.89
अदत्त जमा	9,254.83	12,383.12	13,506.36
उधार बकाया	1,46,635.70	1,39,741.80	1,44,188.42
शुद्ध लाभ	4.73	5.78	9.67

केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड			
पी.बी.नम्बर 56, स्टेचू जंक्शन, थिरुवनन्थपुरम-695 001			
ईमेल—ho.cardbank@gmail.com		दूरभाष—0471-2460595	
अध्यक्ष श्री सोलोमन एलेक्स	महा प्रबन्धक (प्रभारी) श्रीमती अपर्णा प्रताप		
कर्मचारियों की स्थिति एससीएआरडी बैंक स्तर पर : 261 पीसीएआरडी बैंक स्तर पर : 1166	ब्याज की दर अंतिम ऋण लाभार्थी स्तर पर - 11.00% से 16.50% एससीएआरडी बैंक से पीसीएआरडी बैंक को - 9.35% से 13.00% जमा संग्रहण पर ब्याज दर - 6.50% से 9.25%		
प्रमुख वित्तीय मानदण्ड (₹ लाख)			
विवरण	2012-13	2013-14	2014-15
ऋण बकाया	3,26,474.36	4,13,342.12	4,81,409.00
वितरित ऋण	1,62,109.95	2,01,407.73	2,04,756.56
कुल प्रदत्त पूँजी	9,987.84	12,178.83	14,212.05
निर्बाध आरक्षित निधियां	30,082.17	33,722.05	35,079.39
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	9.19	9.16	9.77
अदत्त जमा	10,421.09	16,590.10	50,862.72
उधार बकाया	2,83,867.69	3,17,102.15	3,89,696.27
शुद्ध लाभ	2,065.32	2,110.66	2,341.18

पॉण्डचेरी सहकारी केन्द्रीय भूमि विकास बैंक लिमिटेड			
पी.106, नम्बर 24 कोलासनगर, उप्पलम, पुडुचेरी-605 001			
ईमेल—pccldb@dataone.in		दूरभाष—0413—2357985, 2358827	
अध्यक्ष थीरू. जी. मधुरे			
कर्मचारियों की स्थिति एससीएआरडी बैंक स्तर पर (प्रधान कार्यालय एवं शाखाएं) : 31		ब्याज की दर ऋण पर ब्याज की दर : 13.00% से 15.00% जमा संग्रहण पर ब्याज दर : 9.25% से 10.00%	
प्रमुख वित्तीय मानदण्ड (₹ लाख)			
विवरण	2012-13	2013-14	2014-15
ऋण बकाया	1931.72	1,906.11	1,962.43
वितरित ऋण	1,658.86	1,642.40	1,744.87
कुल प्रदत्त पूँजी	366.69	390.90	414.75
निर्बाध आरक्षित निधियां	30.66	33.28	32.21
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात(%)	18.98	20.51	21.14
अदत्त जमा	1,096.72	1,138.85	1,306.61
उधार बकाया	791.98	757.77	708.98
शुद्ध हानि	(21.06)	(74.55)	(59.27)

पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लिमिटेड			
एससीओ नम्बर 51-54, बैंक स्क्वायर, सेक्टर 17-बी, चण्डीगढ़-160 017			
ईमेल—sadbmd@gmail.com		दूरभाष—0172—2727253 / 5011708	
अध्यक्ष श्री सुखदर्शन सिंह म्रार		प्रबन्ध निदेशक श्री हरिन्दर सिंह सिद्धू	
कर्मचारियों की स्थिति एससीएआरडीबैंक स्तर पर : 289 पीसीएआरडी बैंक स्तर पर : 850		ब्याज की दर अंतिम ऋण लाभार्थी स्तर पर - 11.80% से 12.80% एससीएआरडीबैंक से पीसीएआरडी बैंक को - 9.80% से 10.30% जमा संग्रहण पर ब्याज दर - 8.00% से 8.50%	
प्रमुख वित्तीय मानदण्ड (₹ लाख)			
विवरण	2012-13	2013-14	2014-15
ऋण बकाया	2,14,633.44	2,39,135.44	2,47,084.38
वितरित ऋण	46,554.90	55,347.39	58,958.24
कुल प्रदत्त पूँजी	7,173.95	7,295.65	7,452.15
निर्बाध आरक्षित निधियां	26,039.62	27,254.85	28,549.59
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात(%)	17.41	16.72	16.56
अदत्त जमा	13,471.61	15,866.71	16,038.00
उधार बकाया	2,12,306.44	2,16,314.83	2,27,779.20
शुद्ध लाभ	2,877.85	2,566.95	2,493.34

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड

नेहरू सहकार भवन, वेस्टर्न ब्लॉक 22, गोदाम सर्किल, बी.एस.रोड, जयपुर-302 005

ईमेल-rajstlbdjaipur@yahoo.co.in

दूरभाष-0141-2740440 / 2740335

प्रशासक

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़

प्रबन्ध निदेशक

श्री विजय कुमार शर्मा

कर्मचारियों की स्थिति

एससीएआरडी बैंक स्तर पर : 102
पीसीएआरडी बैंक स्तर पर : 483

ब्याज की दर

अंतिम ऋण लाभार्थी स्तर पर -12.60%
एससीएआरडी बैंक से पीसीएआरडी बैंक को - 10.10%

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड (₹ लाख)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15
ऋण बकाया	1,28,230.20	1,27,876.82	1,25,726.10
वितरित ऋण	23,765.42	26,425.16	24,661.92
कुल प्रदत्त पूँजी	3,678.81	3,729.85	3,810.79
निर्बाध आरक्षित निधियां	24,089.32	17,935.83	21,696.73
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात(%)	14.25	14.44	12.47
उधार बकाया	1,25,936.64	1,23,625.60	1,19,676.14
शुद्ध लाभ	306.84	215.30	369.78

तमिलनाडु सहकारी राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड

नम्बर 181-183, लुज़ चर्च रोड, माइलापुर, चेन्नई- 600 004

ईमेल-sldbchn@yahoo.co.in

दूरभाष-044.24993854

अध्यक्ष

श्री. बी. शाहुल अमीद

प्रबन्ध निदेशक

श्री. एम. सेंथामिलसेलवन

कर्मचारियों की स्थिति

एससीएआरडी बैंक स्तर पर : 129
पीसीएआरडी बैंक स्तर पर : 497

ब्याज की दर

अंतिम ऋण लाभार्थी स्तर पर - 12.00% से 14.00%
एससीएआरडी बैंक से पीसीएआरडी बैंक को - 11.00%
जमा संग्रहण पर ब्याज की दर - 9.25% से 11.00%

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड (₹ लाख)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15
ऋण बकाया	69,546.33	78,692.10	77,483.84
वितरित ऋण	87,366.62	95,974.90	95,202.90
कुल प्रदत्त पूँजी	4,037.11	4,037.11	4,037.11
निर्बाध आरक्षित निधियां	5,261.75	5,489.80	6,198.07
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात(%)	2.10	1.90	1.90
अदत्त जमा	17,712.77	29,177.95	17,840.31
उधार बकाया	16,101.65	14,031.57	16,538.55
शुद्ध लाभ	229.20	267.00	313.53

त्रिपुरा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड

ऑफिस लेन, अगरतला- 799 001

ईमेल—tcardbltd.2012@gmail.com

दूरभाष— 0381-2323972

अध्यक्ष

श्री राश बिहारी दत्ता

महा प्रबन्धक

श्री दीपक रंजन दास

कर्मचारियों की स्थिति

एससीएआरडी बैंक स्तर पर (प्रधान कार्यालय एवं शाखायें) : 39

ब्याज की दर

ऋण पर ब्याज की दर — 14.25% से 16.25%
एससीएआरडी बैंक से पीसीएआरडी बैंक को — 10.10%

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड (₹ लाख)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15
ऋण बकाया	3,034.79	2,579.41	2,392.59
वितरित ऋण	641.70	107.88	229.06
कुल प्रदत्त पूँजी	859.13	846.53	938.31
निर्बाध आरक्षित निधियां	—	—	—
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात(%)	—	—	—
उधार बकाया	3,344.97	2,986.98	2,422.85
शुद्ध हानि	(87.05)	(16.67)	(24.65)

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड

10 माल एवेन्यू, लखनऊ -226 001

ईमेल—upsgvb@yahoo.in

दूरभाष— 0522-3056350 / 460

अध्यक्ष

श्री शिवपाल सिंह यादव

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री आलोक दीक्षित

कर्मचारियों की स्थिति

एससीएआरडी बैंक (प्रधान कार्यालय एवं शाखाएं) : 2434

ब्याज की दर

ऋण पर ब्याज की दर — 14.00% से 14.50%
जमा संग्रहण पर ब्याज की दर — 5.50% से 7.75%

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड (₹ लाख)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15
ऋण बकाया	3,05,710.00	2,81,493.00	3,09,082.00
वितरित ऋण	5,581.26	40,653.06	59,033.91
कुल प्रदत्त पूँजी	28,380.21	29,295.47	30,773.06
निर्बाध आरक्षित निधियां	20,959.41	23,477.21	23,476.97
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात(%)	16.21	31.16	30.61
अदत्त जमा	5,487.08	5,568.07	5,802.25
उधार बकाया	2,03,390.65	1,55,313.24	1,55,687.87
शुद्ध लाभ	8,179.34	1,811.47	2,000.34

पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड			
25-डी, शेक्सपियर सराय, कोलकता- 700 017			
ईमेल-wbcardb@gmail.com		दूरभाष - 033-22871786 / 22871787	
कार्यालय प्रभारी श्री आशीस कुमार मण्डल			
कर्मचारियों की स्थिति एससीएआरडी बैंक स्तर पर (प्रधान कार्यालय एवं शाखाएं) : 112 पीसीएआरडी बैंक स्तर पर : 555		ब्याज की दर अंतिम ऋण लाभार्थी स्तर पर - 11.95% से 12.30% एससीएआरडी बैंक से पीसीएआरडी बैंक को - 10.20% से 10.70% जमा संग्रहण पर ब्याज की दर - प्रतिवेदित नहीं	
प्रमुख वित्तीय मानदण्ड (₹ लाख)			
विवरण	2012-13	2013-14	2014-15
ऋण बकाया	1,06,045.79	1,02,511.17	1,07,019.55
वितरित ऋण	16,053.18	5,277.53	19,211.65
कुल प्रदत्त पूँजी	3,755.60	3,798.81	3,862.43
निर्बाध आरक्षित निधियां	2,484.23	1,470.23	1,586.24
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात(%)	3.15	3.13	3.08
अदत्त जमा	12,686.91	14,386.43	15,458.59
उधार बकाया	85,289.88	84,624.27	83,645.73
शुद्ध लाभ / हानि #	5.86	(2,420.75)	41.81

कोष्ठक में आंकड़े हानि संकेत करते हैं।

अन्य एस.सी.ए.आर.डी. बैंक

असम राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड			
आश्रम रोड, उलुबाड़ी, गुवाहाटी- 781 007			
ई-मेल : bdas2nbd@gmail.com		दूरभाष- 0361 - 2522201	
अध्यक्ष श्री ए. बी. दास		मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जे. शर्मा	
कर्मचारियों की स्थिति एससीएआरडी बैंक के स्तर पर (प्रधान कार्यालय एवं शाखाएं) : 210		ब्याज की दर ऋणों पर देय ब्याज : 12.00% से 15.00% जमा संग्रहण पर ब्याज : 6.00% से 8.50%	
प्रमुख वित्तीय मानदण्ड (₹ लाख)			
विवरण	2012-13	2013-14	2014-15
ऋण बकाया	842.12	865.46	845.67
वितरित ऋण	18.67	81.62	35.68
कुल प्रदत्त पूँजी	618.32	620.95	620.48
निर्बाध आरक्षित निधियां	961.39	1,011.39	-
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	25.01	23.39	23.30
अदत्त जमा	18.70	73.49	95.33
उधार बकाया	2,952.17	2,952.17	2,952.17
शुद्ध हानि	(281.95)	(533.05)	(16.34)

बहुराज्यीय सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड			
बुद्ध मार्ग, पटना- 800 001			
ईमेल-ldbpat@gmail.com		दूरभाष- 0612 - 2226222	
अध्यक्ष श्री बिजय कुमार सिंह		प्रबन्ध निदेशक श्री बिनोद प्रसाद सिंह	
कर्मचारियों की स्थिति एससीएआरडी बैंक के स्तर पर (प्रधान कार्यालय एवं शाखाएं) : 428			
प्रमुख वित्तीय मानदण्ड (₹ लाख)			
विवरण	2012-13	2013-14	2014-15
ऋण बकाया	5,700.14	5,344.80	5,013.05
वितरित ऋण	4.05	54.85	35.80
कुल प्रदत्त पूँजी	2,930.92	2,903.33	2,878.60
निर्बाध आरक्षित निधियां	2,475.74	2,531.87	2,370.87
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	—	—	—
उधार बकाया	1,653.32	1,498.75	1,316.27
शुद्ध लाभ/हानि #	154.45	(2,207.86)	(1,793.84)

कोष्ठक में दिये गए आंकड़े हानि इंगित करते हैं।

मध्य प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड			
8, एरिया हिल्स, ओल्ड जेल रोड, भोपाल- 462 004			
ईमेल-mpvikasbank@rediffmail.com		दूरभाष- 0755-2550280	
पशासक श्री अजीत केसरी, आई.ए.एस.		प्रबन्ध निदेशक श्री पी. एस. नरगेश	
कर्मचारियों की स्थिति एससीएआरडी बैंक के स्तर पर : 221 पीसीएआरडी बैंक के स्तर पर : 1229		विगत 3-4 वर्षों से मध्यप्रदेश में अंतिम ऋण लाभार्थी स्तर पर ऋण वितरण कार्य नहीं किया जा रहा है।	
प्रमुख वित्तीय मानदण्ड (₹ लाख)			
विवरण	2012-13	2013-14	2014-15
ऋण बकाया	1,08,178.61	1,05,351.70	1,03,269.89
वितरित ऋण	41.73	0.00	0.00
कुल प्रदत्त पूँजी	3,732.55	3,559.39	3,495.98
निर्बाध आरक्षित निधियां	4,281.42	4,279.57	4,282.68
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	—	—	—
अदत्त जमा	6,396.46	4,659.25	3,617.47
उधार बकाया	1,25,575.53	1,24,411.43	1,20,610.02
शुद्ध हानि	(13,987.82)	(19,763.56)	(13,154.60)

उड़ीसा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड

ए/34, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पोस्टबॉक्स नम्बर 56, यूनिट-3, भुवनेश्वर- 751 001

ईमेल—oscardbank6@gmail.com

दूरभाष—0674-2390947 / 2390142

प्रबन्धन (प्रभारी)
श्री ब्रम्हानन्द भुए

प्रबन्ध निदेशक
श्री नित्यानन्द राउत

कर्मचारियों की स्थिति

एससीएआरडी बैंक के स्तर पर : 59
पीसीएआरडी बैंक के स्तर पर : 75

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड (₹ लाख)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15
गठरण बकाया	2,174.24	2,163.03	प्र.न.
वितरित ऋण	0.00	0.00	0.00
कुल प्रदत्त पूँजी	862.84	862.84	प्र.न.
निर्बाध आरक्षित निधियां	45.54	45.54	प्र.न.
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	—	—	—
अदत्त जमा	116.63	122.48	प्र.न.
उधार बकाया	6,590.23	6,590.23	6,590.23
शुद्ध हानि	(1,120.60)	(1,124.79)	प्र.न.

ध्यान दें —प्र.न. अर्थात् प्रतिवेदित नहीं

राज्य सहकारी बैंक

आन्ध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड

3-4-447 / 448, सहकार भवन, वाईएमसीए के सामने, बरकतपुरा, हैदराबाद-500 027

ईमेल—mdoffice@apcob.org

दूरभाष— 040-27687480 / 85

अध्यक्ष
श्री पी. वेन्कटेश्वर राव

प्रबन्ध निदेशक
श्रीमती के. एस. एम. लक्ष्मी

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड (₹ लाख)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15
ऋण बकाया	8,32,020.00	9,52,676.00	9,06,500.00
वितरित ऋण	32,417.50	55,978.10	34,922.00
कुल प्रदत्त पूँजी	27,435.00	31,596.00	31,789.00
निर्बाध आरक्षित निधियां	1,45,541.00	1,50,516.00	1,55,516.00
अदत्त जमा	4,05,983.00	4,63,078.00	5,20,844.00
उधार बकाया	6,01,501.00	6,98,080.00	6,16,917.00
शुद्ध लाभ	6,948.00	5,443.24	5,984.98

स्त्रोत — एपकोब का वार्षिक प्रतिवेदन।

दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड			
31,नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली-110 002			
इमेल-dscb.bkg@gmail.com		दूरभाष- 011-23270375	
अध्यक्ष डा. बिजेन्द्र सिंह, एमएलए		प्रबन्ध निदेशक श्री आर.एस.दहिया	
प्रमुख वित्तीय मानदण्ड (₹ लाख)			
विवरण	2012-13	2013-14	2014-15
ऋण बकाया	45,047.35	44,872.79	51,511.15
वितरित ऋण	35,065.46	32,655.59	39,912.92
कुल प्रदत्त पूँजी	730.14	744.61	773.38
निर्बाध आरक्षित निधियां	12,547.41	14,439.25	15,312.27
अदत्त जमा	83,279.74	88,150.40	94,167.93
उधार बकाया	2,432.50	2,650.50	3,112.50
शुद्ध लाभ	1,975.69	804.50	784.21

गोवा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड			
सहकार संकुल, ईडीसी काम्प्लेक्स, पट्टो प्लाज़ा, पी.ओ. बॉक्स नम्बर 183, पणजी-403 001			
इमेल-gscbpln@gscbgoa.com		दूरभाष- 0832- 2437641	
अध्यक्ष श्री उल्हास बी. फलदेसाई		मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सुरेश वी. लोटलीकर	
कर्मचारियों की स्थिति एससीएआरडी बैंक स्तर पर : 114 पीसीएआरडी बैंक स्तर पर : 553		ब्याज की दर ऋणों पर ब्याज दर - 5.00% से 15.00% जमा संग्रहण पर ब्याज दर - 5.50% से 8.25%	
प्रमुख वित्तीय मानदण्ड (₹ लाख)			
विवरण	2012-13	2013-14	2014-15
ऋण बकाया	63,636.47	82,983.15	1,11,352.42
वितरित ऋण	42,575.69	57,887.58	64,248.57
कुल प्रदत्त पूँजी	2,268.43	3,411.30	4,325.05
निर्बाध आरक्षित निधियां	0.00	0.00	0.00
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	1.62	2.13	2.38
अदत्त जमा	1,24,975.16	1,43,312.25	1,62,596.73
शुद्ध लाभ/हानि *	4,243.12	(1,135.75)	(812.86)
2014-15 में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र में ऋण वितरण ₹4000.14 लाख।			


*कोषक में दिये गए आंकड़े हानि इंगित करते हैं।

मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड			
एम.जी.रोड, शिलांग- 793 001			
ईमेल—apexbank@sancharnet.in		दूरभाष- 0364-2224160 / 66	
अध्यक्ष श्री एम.एस. सियेम		प्रबन्ध निदेशक श्री ओ. ई. जे. नांगब्री	
प्रमुख वित्तीय मानदण्ड (₹ लाख)			
विवरण	2012-13	2013-14	2014-15
ऋण बकाया	55,320.00	69,491.00	प्र.न.
वितरित ऋण	4,686.00	13,655.00	प्र.न.
कुल प्रदत्त पूँजी	600.00	699.00	प्र.न.
निर्बाध आरक्षित निधियां	5,706.00	9,930.00	प्र.न.
अदत्त जमा	1,33,496.00	1,48,241.00	प्र.न.
उधार बकाया	1,763.00	3,869.00	प्र.न.
शुद्ध लाभ	1,452.00	1,934.00	प्र.न.

स्रोत - नेफ्सकॉब वेबसाइट
ध्यान दें - प्र.न. अर्थात् प्रतिवेदित नहीं

तेलंगाना राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड	
डा0वाई.एस.राजशेखर रेड्डी सहकार भवन, 4-1-441, प्रधान कार्यालय ट्रुप बाज़ार, हैदराबाद-500 001	
ईमेल—mdoffice@tscab.org	दूरभाष- 040-23443818 / 21 / 90 / 98
अध्यक्ष श्री कोन्डुरु रविन्दर राव	प्रबन्ध निदेशक डा. नेथि मुरलीधर
ब्याज की दर जमा संग्रहण पर ब्याज दर : 5.00% से 7.80%	
प्रमुख वित्तीय मानदण्ड (₹ लाख)	
विवरण	2014-15
ऋण बकाया	प्र.न.
वितरित ऋण(दीर्घकालीन)	3,43,543.00
कुल प्रदत्तपूँजी	10,198.00
निर्बाध आरक्षित निधियां	45,404.00
निक्षेप जमा	2,87,157.00
लिया गया ऋण (उधार)	2,90,910.00

स्रोत : नेफ्सकॉब वेबसाइट
ध्यान दें - प्र.न. अर्थात् प्रतिवेदित नहीं



XI. 2015-16 के दौरान सदस्य बैंकों के कार्यों पर प्रतिवेदन

1. सामान्य सूचना

दीर्घ कालीन साख संरचना में 31.03.2015 को 17 एससीएआरडी बैंक तथा 4 एससी बैंकों के सापेक्ष 31.03.2016 को 17 एससीएआरडी बैंक तथा 5 एससी बैंक सम्मिलित हैं। इन 17 एससीएआरडी बैंकों में 8 बैंकों का स्वरूप संघीय है जो अपने सम्बद्ध पीसीएआरडी बैंकों के माध्यम से कार्य करते हैं तथा 7 बैंक एकात्मक प्रणाली के हैं जो अपनी शाखाओं के माध्यम से कार्य करते हैं अवशेष एससीएआरडी बैंकों का मिश्रित स्वरूप है जो कुछ क्षेत्रों में अपने पीसीएआरडी बैंकों के माध्यम से तथा राज्य के कुछ क्षेत्रों में अपनी शाखाओं के माध्यम से कार्य निष्पादित करते हैं। प्रतिवेदन को अंतिम रूप देते समय उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर वर्ष 2015-16 के लिए 13 पूर्णरूप से कार्यशील एससीएआरडी बैंकों के सामान्य प्रशासनिक आंकड़े संकलित किये गये हैं। 31.03.2016 की स्थिति समीक्षा के लिए विचारणीय है। एकात्मक/मिश्रित स्वरूप के पूर्ण रूप से कार्यशील एससीएआरडी बैंक अपनी 616 शाखाओं के माध्यम से कार्य कर रहे थे। संघीय ढांचे में 601 पीसीएआरडी बैंक थे परिणामस्वरूप इनकी 491 शाखाएं थीं। 31.03.2016 को पूर्णरूप से कार्यशील 13 एससीएआरडी बैंकों की सदस्य संख्या 108.06 लाख थी जिसमें ऋण लाभार्थी सदस्यों की संख्या 64.14 लाख थी। पूर्णरूप से कार्यशील एससीएआरडी बैंकों में से राज्य स्तर पर 9 बैंकों के निर्वाचित प्रबन्धन मण्डल हैं तथा 601 पीसीएआरडी बैंकों में से 531 के भी निर्वाचित प्रबन्धन मण्डल हैं।

संरचना, सदस्यता कर्मचारी तथा निर्वाचित बोर्ड से सम्बन्धित समस्त सूचनायें नीचे दी गई हैं।

2 वितरित ऋण

13 एससीएआरडी बैंकों (पूर्ण रूप से कार्यशील) द्वारा 2014-15 में ₹5,098.94 करोड़ के कुल ऋण वितरण के सापेक्ष, गत वर्ष की तुलना में 3.18% की वृद्धि दर्शाते हुए 2015-16 के दौरान ₹5,260.89 करोड़ का ऋण वितरित किया गया। गुजरात, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, को छोड़ कर पूर्ण रूप से कार्यशील एससीएआरडी बैंकों ने ऋण वितरण में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि अंकित कराई। शीर्ष बैंक स्तर पर इन बैंकों का कुल ऋण बकाया गत वर्ष के ₹18,141.65 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2015-16 में ₹19,439.30 करोड़ रहा।

3 उधार राशियां

13 एससीएआरडी बैंकों (पूर्णरूप से कार्यशील) की ऋण राशियां 2014-15 में दिये गये ऋण ₹3,791.97 करोड़ से घटकर 2015-16 में ₹3,783.91 करोड़ पर पहुंच गई। वर्ष के दौरान बैंकों को ₹3,347.26 करोड़ के पुनर्वित्त सहयोग के साथ जो बैंकों द्वारा दिये गये कुल ऋण का 88.46% था, नाबार्ड ऋण का प्रमुख स्रोत बना रहा। इन एससीएआरडी बैंकों द्वारा अवशेष 11.54% ऋणों का स्रोत सरकार, एनसीडीसी, एनएचबी तथा अनेक एससीबी रहे। एससीएआरडी बैंक-वार ऋण वितरण में वर्ष के दौरान हरियाणा, पंजाब तथा तमिलनाडु में गिरावट आई।

क्रम संख्या	विवरण	31.03.2015 को	31.03.2016 को
1)	एससीएआरडी बैंको की संख्या (संघीय)	8	8
2)	एससीएआरडी बैंको की संख्या (एकात्मक)	7	7
3)	मिश्रित प्रणाली वाले एससीएआरडी बैंको की संख्या	2	2
4)	एससीएआरडी बैंको की शाखाओं की संख्या (एकात्मक)	610	616
5)	पीसीएआरडी बैंको की संख्या (संघीय)	589	601
6)	पीसीएआरडी बैंको की शाखाओं की संख्या (संघीय)	495	499
7)	कुल सदस्य संख्या (लाखों में)	107.31	108.06
8)	मद संख्या 7 में से ऋण लाभार्थियों की संख्या (लाखों में)	62.56	64.14
9)	निर्वाचित प्रबन्ध समिति वाले एससीएआरडी बैंकों की संख्या	9	9
10)	निर्वाचित प्रबन्ध समिति वाली पीसीएआरडी बैंकों की संख्या	539	531
11)	एससीएआरडी बैंकों में कार्मिकों की संख्या	4512	5064
12)	पीसीएआरडी बैंकों में कार्मिकों की संख्या	5575	5366

31.03.2015 को ₹13,603.79 करोड़ के विरुद्ध 31.03.2016 को 13 एससीएआरडी बैंकों (पूर्ण रूप से कार्यशील) का ऋण बकाया ₹14,421.70 करोड़ रहा। 5 बैंकों का ऋण, अर्थात् हिमांचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल के ऋण बकाये में वृद्धि परिलक्षित हुई और उनमें से 7 राज्यों अर्थात् गुजरात, हरियाणा, पाण्डिचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश के बकाये में गत वर्ष की तुलना में गिरावट हुई।

4 जमा संग्रहण

हरियाणा, राजस्थान और त्रिपुरा को छोड़ कर शेष सभी पूर्ण कार्यशील एससीएआरडी बैंक प्रतिवेदित वर्ष में दौरान निक्षेप जमा ले रहे थे। इन बैंकों के जमा में मुख्य रूप से निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित अनेक जमा योजनाओं में सदस्यों के जमा सम्मिलित हैं। कुछ एससीएआरडी बैंक नाबार्ड द्वारा 1997 में जारी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत एससीएआरडी बैंकों द्वारा जमा संग्रहण के लिए दी गई अनुमति के आधार पर 1 से 3 वर्ष की अवधि के सावधि जमा का संग्रहण भी कर रहे हैं।

31.03.2015 को ₹1,573.93 करोड़ के सापेक्ष 31.03.2016 को एससीएआरडी बैंकों का कुल बकाया जमा ₹2,051.41 करोड़ करते हुए 23.27% की एक प्रभावशाली वृद्धि अंकित की। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश को छोड़ कर इन सभी बैंकों ने 31.03.15 की तुलना में 31.03.2016 को बकाया जमा में वृद्धि अंकित की।

5 वित्तीय कार्यशीलता

13 एससीएआरडी बैंकों (पूर्णतया कार्यशील) की 31 मार्च 2016 को लाभ/हानि की स्थिति दर्शाती है कि 10 एससीएआरडी बैंक लाभ में थे तथा अवशेष 3 एससीएआरडी बैंक—हरियाणा, जम्मू व कश्मीर तथा पाण्डिचेरी को हानि हुई। हरियाणा को छोड़ कर सभी एससीएआरडी बैंकों ने वर्ष के दौरान नाबार्ड से पुनर्वित्त प्राप्त किया था, और लाभ पर थे। तमिलनाडु यद्यपि नाबार्ड से पुनर्वित्त नहीं ले रहा है, ने वर्ष के दौरान अपने शुद्ध लाभ में वृद्धि को बनाये रखा। इसी तरह लाभ अर्जित करने वाली एससीएआरडी बैंकों की संख्या जो गतवर्ष 9 थी वर्ष के दौरान

बढ़ कर 10 हो गई।

6 अनर्जक परिसम्पत्तियां

31.03.2016 को 13 एससीएआरडी बैंकों (पूर्णतया कार्यशील) का कुल बकाया ऋण ₹19,804.91 करोड़ था जिसमें कुल एनपीए ₹4,572.17 करोड़ था जो 31.03.2015 को कुल बकाया ऋण के 23.32% एनपीए के सापेक्ष कुल बकाये का 23.09% था। 13 एससीएआरडी बैंकों में से 7 एससीएआरडी बैंकों का एनपीए उल्लेखनीय रूप से औसत स्तर से नीचे था।

7 वसूली कार्य—निष्पादन

शीर्षस्थ एवं अंतिम ऋण लाभार्थी स्तर पर वार्षिक वसूली प्रगति का आंकलन प्रत्येक वर्ष 30 जून को किया जाता है। तथापि मांग वसूली और अवशेष की नवीनतम स्थिति 30 जून 2015 तक की उपलब्ध है। 30 जून 2015 के अंत में 13 एससीएआरडी बैंकों (पूर्णतया कार्यशील) की बुनियादी स्तर की कुल मांग ₹10,428.80 करोड़ थी जिसके विरुद्ध ₹5,510.71 करोड़ की ऋण वसूली हुई जो कुल मांग का 52.84% था जबकि 30.06.2014 को ऋण वसूली 54.79% थी। 5 एससीएआरडी बैंकों का, अर्थात् कर्नाटक, केरल, पाण्डिचेरी, पंजाब एवं तमिलनाडु का अंतिम ऋण लाभार्थी स्तर पर वसूली प्रतिशत 60% से अधिक था जबकि हिमांचल प्रदेश एससीएआरडी बैंक का 50% से 60% की सीमा में था तथा गुजरात, जम्मू व कश्मीर तथा त्रिपुरा एससीएआरडी बैंक 40% से 50% की सीमा में थे। 30.06.2014 को ₹4,857.26 करोड़ की तुलना में 30.06.2015 को अतिदेयों की धनराशि ₹4,917.61 करोड़ थी जो गत वर्ष की तुलना में ₹60.35 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है।

शीर्ष स्तर पर 30.06.2015 को ₹8,529.86 करोड़ की मांग के विरुद्ध कुल वसूली ₹4,700.43 करोड़ थी जो कुल मांग का 55.11% है। जबकि 30.06.2014 को वसूली प्रतिशत 61.34% था।

XII. आभार

अपनी संरचना को सुदृढ़ बनाने और सदस्य बैंकों के कार्य व्यवसाय में वृद्धि के अपने प्रयासों के अन्तर्गत, फेडरेशन केन्द्र और राज्य सरकारों, नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, एन.सी.डी.सी., एन.सी.यू.आई. तथा अन्य अभिकरणों एवं संस्थाओं के साथ निरन्तर सम्बन्ध और सम्पर्क बनाये हुये है। प्रबन्धन मण्डल इन सभी अभिकरणों और संस्थाओं द्वारा फेडरेशन को दिये गये उनकी आलम्बन एवं सहयोग के लिये कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

फेडरेशन तथा इसकी सदस्य संस्थायें कृषि मंत्रालय, भारत सरकार से वित्तीय एवं नीतिगत सहयोग प्राप्त करते रहे हैं। प्रबन्धन मण्डल मंत्रालय को फेडरेशन एवं दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना को उसके द्वारा निरन्तर दिये जा रहे समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिये आभार प्रदर्शन करता है।

आरम्भ से ही नाबार्ड एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को पुर्नवित्त सहयोग प्रदान करता रहा है साथ ही दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिये नेतृत्व प्रदान करता रहा है। प्रबन्धन मण्डल नाबार्ड को एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को उसके सतत पुर्नवित्त सहयोग तथा दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिये इनके द्वारा निर्वहन की जा रही महत्वपूर्ण भूमिका के लिये कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

हम, एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को वित्तीय सहयोग प्रदान कर रहे एन.सी.डी.सी., एनएचबी, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा राज्य सहकारी बैंकों के प्रति अपना आभार ज्ञापित करते हैं जिससे उन्हें अपने सदस्यों को उनकी ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को अपेक्षाकृत अच्छे ढंग से पूरा करने में मदद मिली है।

एन.सी.यू.आई. अपना सक्रिय सहयोग फेडरेशन के क्रियाकलापों में करता रहा है। फेडरेशन इस उदारता की सराहना करते हुये श्री चन्द्र पाल सिंह अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी डा. दिनेश के प्रति अपना आभार प्रदर्शित करता है।

प्रबन्धन मण्डल, माननीय सांसदों विशेष रूप से श्री पी. जे. कुरियन, उपाध्यक्ष राज्य सभा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है जिन्होंने दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना के मुद्दों को आगे बढ़ा कर भारत सरकार के साथ सांसदों की बैठक आयोजन कराने में अहम भूमिका निर्वहन की।

प्रतिवेदित वर्ष में फेडरेशन को अपने सदस्य बैंकों से निरन्तर वित्तीय एवं अन्य दूसरे सहयोग के साथ समर्थन मिलता रहा है। हम अपने सदस्य बैंकों के प्रबन्धन, कर्मियों विशेष रूप से एससीएआरडी बैंकों के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के प्रति गहन आभार व्यक्त करते हैं। प्रबन्धन मण्डल माननीय अध्यक्ष श्री सुखदर्शन सिंह म्रार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है, जिन्होंने श्री के. शिवदासन नायर, एम. एल.ए. उपाध्यक्ष, श्री बिजय कुमार सिंह, उपाध्यक्ष, श्री दलीप सिंह यादव, उपाध्यक्ष तथा श्री बी.एच. जडेजा, उपाध्यक्ष के कुशल सहयोग के साथ फेडरेशन तथा दीर्घ कालीन साख संरचना के चुनौतीपूर्ण समय में इस क्षेत्र को प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान करते हुये अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

प्रबन्धन मण्डल श्री के. के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक की सेवाओं की सराहना करता है जिन्होंने पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ मुख्य कार्यकारी के दायित्वों का निर्वहन किया। प्रबन्धन अपने सभी अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा प्रतिवेदित वर्ष में की गई सेवा एवं सहयोग की सराहना करता है।

प्रबन्धन मण्डल की ओर से,

सुखदर्शन सिंह म्रार
अध्यक्ष

तालिका 1 – ऋण वितरण एवं ऋण अवशेष

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	एससीएआरडी बैंक का नाम (पूर्णतया क्रियाशील)	2015-16 में वितरित ऋण				2014-15 में वितरित ऋण	31 मार्च 2016 को बकाया ऋण			31 मार्च 2015 को बकाया ऋण
		कृषि क्षेत्र	अकृषि क्षेत्र (आरएच एस/एस.टी /अन्य. ऋण सहित)	कुल वितरित ऋण (3+4)	कृषि क्षेत्र		अकृषि क्षेत्र (आरएच एस/एस.टी/ अन्य ऋण सहित)	कुल बकाया ऋण (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	गुजरात	13901.92	1493.43	15395.35	17761.95	53911.59	3476.40	57285.60	57805.85	
2.	हरियाणा	11997.24	5103.65	17100.89	12949.20	137082.48	70459.90	207542.38	207932.84	
3.	हिमांचल प्रदेश	5959.14	3554.69	9513.83	7007.78	22514.80	13096.26	35611.06	30427.86	
4.	जम्मू व कश्मीर	710.28	600.87	1311.15	1981.76	3552.30	1270.26	4822.56	4158.23	
5.	कर्नाटक	27433.94	996.70	28430.64	33271.17	151745.98	2189.89	153935.87	149558.91	
6.	केरल	57031.57	148107.56	205139.13	197969.51	105098.61	435947.13	541045.74	481408.97	
7.	पाण्डिचेरी	0.00	1949.40	1949.40	1744.87	10.09	2130.02	2140.11	1983.25	
8.	पंजाब	43035.47	13144.47	56179.94	51564.73	158756.59	97338.86	256095.45	237304.87	
9.	राजस्थान	17749.94	6619.36	24369.30	21866.87	112196.28	38294.80	150491.08	145303.97	
10.	तमिलनाडु	.00	81298.49	81298.49	85301.18	15.09	73482.05	73497.14	79787.04	
11.	त्रिपुरा	126.34	173.45	299.79	229.06	529.56	1716.38	2245.94	2392.59	
12.	उत्तर प्रदेश	49780.02	15790.86	65570.88	59033.91	294759.25	57749.65	352508.90	309081.35	
13.	पश्चिम बंगाल	15722.30	3808.35	19530.65	19211.65	74873.89	31834.36	106708.25	107019.55	
	योग (1 से 13)	243448.16	282641.28	526089.44	509893.64	1115046.51	828985.96	1943930.08	1814165.28	

तालिका 2 – उधार राशियां

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	एससीएआरडी बैंक का नाम (पूर्णतया क्रियाशील)	वर्ष 2015-16 के दौरान एकत्रित				कुल योग	
		नाबार्ड	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य (एनसीडीसी/ एनएचबी/एससीबी आदि)	2015-16 (3+4+5+6)	(2014-15)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गुजरात	8900.00	0.00	0.00	0.00	8900.00	8000.00
2.	हरियाणा	16138.93	66.88	66.88	40595.00	56867.69	57486.47
3.	हिमांचल प्रदेश	6369.81	0.00	0.00	0.00	6369.81	4501.91
4.	जम्मू व कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	कर्नाटक	24999.76	828.33	528.33	0.00	26356.42	24379.09
6.	केरल	145009.10	0.00	0.00	0.00	145009.10	140479.07
7.	पाण्डिचेरी	0.00	0.00	0.00	581.76	581.76	461.82
8.	पंजाब	51808.25	0.00	0.00	0.00	51808.25	53200.00
9.	राजस्थान	20000.00	132.71	132.71	213.47	20478.89	17576.66
10.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	15113.00
11.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	उत्तर प्रदेश	44999.99	0.00	0.00	28.78	45028.77	45000.00
13.	पश्चिम बंगाल	16499.99	0.00	0.00	0.00	16499.99	12998.64
	योग (1 से 13)	334725.83	1027.92	727.92	41909.01	378390.68	379196.66

तालिका 3 – उधार राशियों का अवशेष

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	एससीएआरडी बैंक का नाम (पूर्णतया क्रियाशील)	31 मार्च 2016 को उधार राशियों का बकाया				कुल योग	
		नाबार्ड से	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार	अन्य (एनसीडीसी/ एनएचबी/एससीबी आदि)	31.03.2016 की स्थिति (3+4+5+6)	31.03.2015 की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गुजरात	13614.13	197.07	180.78	455.93	14447.91	18005.22
2.	हरियाणा	125013.43	3838.66	20046.10	27380.00	176278.19	182403.14
3.	हिमांचल प्रदेश	20633.72	610.06	87.72	0.00	21331.50	19233.02
4.	जम्मू व कश्मीर	0.00	279.28	336.72	0.00	616.00	616.00
5.	कर्नाटक	144651.41	1817.49	1579.72	0.00	148048.62	144188.42
6.	केरल	471885.63	769.11	769.11	8256.63	481680.48	389696.27
7.	पाण्डिचेरी	0.00	0.00	0.00	511.51	511.51	708.97
8.	पंजाब	232817.46	327.80	65.11	0.00	233210.37	227779.20
9.	राजस्थान	111066.57	3011.08	3033.79	213.47	117324.91	119615.83
10.	तमिलनाडु	0.00	0.00	6389.87	10.80	6400.67	16538.55
11.	त्रिपुरा	1772.23	1.61	40.23	85.71	1899.78	2422.85
12.	उत्तर प्रदेश	152079.38	1303.82	1305.10	166.73	154855.03	155525.83
13.	पश्चिम बंगाल	85397.33	84.84	83.03	0.00	85565.20	83645.73
	योग (1 से 13)	1358931.29	12240.82	33917.28	37080.78	1442170.17	1360379.03

तालिका 4 - जमा संग्रहण

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	एससीएआरडी बैंक का नाम (पूर्णतया क्रियाशील)	निक्षेप जमा में वृद्धि की स्थिति		जमा बकाया की स्थिति	
		2014-15	2015-16	31-03-2015	31-03-2016
1.	गुजरात	18840.90	20996.50	24283.20	24781.87
2.	हिमांचल प्रदेश	1217.45	2538.82	6599.71	9412.57
3.	जम्मू व कश्मीर	2622.08	3903.24	5791.30	9694.54
4.	कर्नाटक	7991.94	11138.58	13506.36	17973.61
5.	केरल	60272.69	76243.55	49912.15	80805.64
6.	पाण्डिचेरी	912.75	1299.86	1306.61	1740.91
7.	पंजाब	16735.96	17928.47	16038.04	17434.77
8.	तमिलनाडु	15690.48	18400.98	17840.31	19456.63
9.	उत्तर प्रदेश	2871.44	2784.66	5802.16	5732.97
10.	पश्चिम बंगाल	799.28	898.01	16315.05	18107.89
	योग (1 से 10)	127954.97	156132.67	157394.89	205141.40

तालिका 5 - लाभ/हानि (शीर्षस्थ बैंक स्तर पर)

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	एससीएआरडी बैंक का नाम (पूर्णतया क्रियाशील)	31.03.2015 की स्थिति	31.03.2016 की स्थिति
1.	गुजरात	2406.15	2087.46
2.	हरियाणा	(4314.61)	(2570.78)
3.	हिमांचल प्रदेश	958.86	1386.50
4.	जम्मू व कश्मीर	(659.84)	हानि में
5.	कर्नाटक	9.67	लाभ में
6.	केरल	2341.18	2404.59
7.	पाण्डिचेरी	(59.27)	(24.04)
8.	पंजाब	2493.34	3535.10
9.	राजस्थान	369.78	522.82
10.	तमिलनाडु	313.53	376.24
11.	त्रिपुरा	(24.66)	47.09
12.	उत्तर प्रदेश	2000.34	1516.10
13.	पश्चिम बंगाल	41.81	60.20

ध्यान दें :- (1) कोष्ठक में अंकित आंकड़े हानि दिखाते हैं

तालिका 6 - गैर निष्पादित आस्तियां (एन. पी. ए.)

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	एससीएआरडी बैंक का नाम (पूर्णतया क्रियाशील)	31 मार्च 2015 की स्थिति			31 मार्च 2016 की स्थिति		
		कुल ऋण बकाया	कुल एनपीए	कुल बकाया ऋण में एन.पी.ए. का %	कुल ऋण बकाया	कुल एनपीए	कुल बकाया ऋण में एन.पी.ए. का %
1.	गुजरात	57805.85	31022.02	53.67	57285.60	28189.98	49.21
2.	हरियाणा	207932.84	131925.22	63.45	207542.38	151510.14	73.00
3.	हिमांचल प्रदेश	30427.86	8954.45	29.43	35611.06	7606.44	21.36
4.	जम्मू व कश्मीर	4158.23	545.94	13.13	4822.56	456.38	9.46
5.	कर्नाटक	149558.91	34955.16	23.37	153935.87	34204.12	22.22
6.	केरल	481408.97	5355.03	1.11	541045.72	2481.14	0.46
7.	पाण्डिचेरी	1983.25	108.76	5.48	2140.11	77.48	3.62
8.	पंजाब	236050.52	944.01	0.40	254377.23	1788.77	0.70
9.	राजस्थान	145303.97	57878.54	39.83	150491.08	58155.70	38.64
10.	तमिलनाडु	61413.30	14309.07	8.86	154199.75	13140.77	8.52
11.	त्रिपुरा	2392.59	1116.18	46.65	2245.94	931.20	41.46
12.	उत्तर प्रदेश	271777.15	118073.62	43.45	310085.90	131976.62	42.56
13.	पश्चिम बंगाल	107019.55	27959.59	26.13	106708.25	26698.40	25.02
	योग (1 से 13)	1857232.99	433147.59	23.32	1980491.45	457217.14	23.09

तालिका 7 - मांग, संग्रहण, अवशेष की 30 जून 2015 पर स्थिति

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	एससीएआरडी बैंक का नाम (पूर्णतया क्रियाशील)	शीर्षस्थ बैंक स्तर पर				30.06.2014 को वसूली प्रतिशत (%)	अंतिम ऋण प्राप्तकर्ता स्तर पर				30.06.2014 को वसूली प्रतिशत (%)
		मांग	ऋण वसूली	अवशेष	वसूली प्रतिशत (%)		मांग	ऋण वसूली	अवशेष	वसूली प्रतिशत (%)	
1.	गुजरात	55942.18	23794.57	32147.61	42.53	45.09	23794.57	32147.61	42.53	45.09	
2.	हरियाणा	123509.33	34869.45	88639.88	28.23	32.10	49393.20	119275.25	29.28	27.42	
3.	हिमाचल प्रदेश	12629.37	5850.41	6778.96	46.32	43.51	7772.46	6780.34	53.41	50.24	
4.	जम्मू व कश्मीर #	1874.63	903.13	923.32	48.18	40.07	903.13	923.32	48.18	40.07	
5.	कर्नाटक	90027.40	34375.98	55651.42	38.18	42.14	39462.58	24715.33	61.49	66.80	
6.	केरल	133060.72	131296.83	1763.89	98.67	97.93	138604.93	43099.40	76.28	75.17	
7.	पच्छिम बंगाल	2128.69	2015.03	113.66	94.66	94.18	2015.03	113.66	94.66	94.18	
8.	पंजाब	65426.24	56424.90	9001.34	86.24	84.23	82350.77	51218.43	61.65	60.72	
9.	राजस्थान	83756.15	32728.87	51027.28	39.08	57.59	37137.89	76758.24	32.61	36.51	
10.	तमिलनाडु *	88325.38	71825.45	16499.93	81.32	89.40	93169.16	16100.09	85.27	79.55	
11.	त्रिपुरा	1585.00	697.66	887.34	44.02	54.39	697.66	887.34	44.02	54.39	
12.	उत्तर प्रदेश	133296.45	51835.32	81461.13	38.89	60.06	51835.32	81461.13	38.89	60.06	
13.	पश्चिम बंगाल	61424.89	23425.13	37999.76	38.14	28.09	23934.31	38281.17	38.47	40.27	
	योग (1 से 13)	852986.43	470042.73	382895.52	55.11	61.75	551071.01	491761.31	52.84	54.64	

ध्यान दें:- (1) # वसूली में ओटीएस तथा आईआरएस प्रावधानों के अन्तर्गत ब्याज की माफी सम्मिलित है यद्यपि प्रतिशत में माफ की गई धनराशि को छोड़ दिया गया है।
(2) * प्रतिवेदित आंकड़े 31 मार्च के हैं।

तालिका 8 – सामान्य प्रशासनिक आंकड़े

क्रम संख्या	एससीएआरडी बैंक का नाम (पूर्णतया क्रियाशील)	शाखाओं की संख्या (एकात्मक/ मिश्रित स्वरूप)		(संघीय/मिश्रित ढांचा) के पीसीएआरडी बैंकों की संख्या		पीसीएआरडी बैंको की संख्या (फेडरल स्ट्रक्चर)		कुल सदस्य संख्या (ऋणी एवं गैर ऋणी)	
		31.3.2015	31.3.2016	31.3.2015	31.3.2016	31.3.2015	31.3.2016	31.3.2015	31.3.2016
1.	गुजरात	181	181	एनए	एनए	एनए	एनए	673384	673230
2.	हरियाणा	0	0	19	19	76	76	741287	739932
3.	हिमाचल प्रदेश	33	39	1	1	16	20	78719	79458
4.	जम्मू व कश्मीर	51	51	एनए	एनए	एनए	एनए	95239	95848
5.	कर्नाटक *	0	0	177	177	8	8	1115943	1115943
6.	केरल *	14	14	63	75	189	189	1351527	1351527
7.	पाण्डिचेरी	1	1	एनए	एनए	एनए	एनए	17379	14182
8.	पंजाब	0	0	89	89	0	0	839393	831910
9.	राजस्थान *	0	0	36	36	133	133	1256875	1256875
10.	तमिलनाडु		0	180	180	0	0	1201204	1201204
11.	त्रिपुरा	5	5	एनए	एनए	एनए	एनए	22372	22372
12.	उत्तरप्रदेश	323	323	एनए	एनए	एनए	एनए	2987744	3052457
13.	पश्चिम बंगाल *	2	2	24	24	73	73	350125	370828
	योग (1 से 13)	610	616	589	601	495	499	10731191	10805766

ध्यान दें:- (1) एनए का तात्पर्य लागू नहीं
(2) * 31.03.2015 की स्थिति समीक्षा के लिए विचारणीय है।



५६ वीं
वार्षिक रिपोर्ट
२०१५ - १६

तालिका 8 – सामान्य प्रशासनिक आंकड़े

क्रम संख्या	एससीएआरडी बैंक का नाम (पूर्णतया क्रियाशील)	ऋणी सदस्य		क्या एससीएआरडी बैंक का निर्वाचित प्रबन्धन मण्डल है? (हां/नहीं)		पीसीएआरडी बैंकों की संख्या जहां निर्वाचित बोर्ड है		एससीएआरडी बैंकों के कर्मचारियों की संख्या		पीसीएआरडी बैंकों के कर्मचारियों की संख्या	
		31.3.2015	31.3.2016	31.3.2015	31.3.2016	31.3.2015	31.3.2016	31.3.2015	31.3.2016	31.3.2015	31.3.2016
1.	गुजरात *	673384	673230	हां	हां	नए	एनए	395	395	एनए	एनए
2.	हरियाणा	215439	204011	हां	हां	9	19	84	81	1046	986
3.	हिमाचल प्रदेश	26320	26565	हां	हां	1	1	108	111	59	58
4.	जम्मू व कश्मीर *	76231	76559	नहीं	हीं	नए	एनए	248	248	एनए	एनए
5.	कर्नाटक *	673614	673614	हां	हां	75	175	297	260	775	724
6.	केरल *	836223	836223	हां	हां	2	72	247	247	1213	1213
7.	पाण्डिचेरी	4209	4198	नहीं	हीं	नए	एनए	30	29	एनए	एनए
8.	पंजाब	132798	127436	हां	हां	3	55	289	280	850	795
9.	राजस्थान *	697174	697174	नहीं	हीं	6	6	104	96	483	441
10.	तमिलनाडु	39814	139814	हां	हां	80	180	129	126	528	528
11.	त्रिपुरा	3663	3283	हां	हां	नए	एनए	38	38	एनए	एनए
12.	उत्तरप्रदेश	2581936	2736528	हां	हां	नए	एनए	2434	3052	एनए	एनए
13.	पश्चिम बंगाल *	194860	215563	नहीं	हीं	3	23	109	101	621	621
	योग (1 से 13)	6255665	6414198	—	—	539	531	4512	5064	5575	5366

ध्यान दें— (1) एनए का तात्पर्य लागू नहीं

(2) * 31.03.2015 की स्थिति समीक्षा के लिए विचारणीय है।

LIST OF MEMBERS

1. Andhra Pradesh State Co-operative Bank Ltd., Hyderabad.
2. Assam State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Guwahati.
3. Multi State Co-operative Land Development Bank Ltd. (Bihar-Jharkhand), Patna.
4. Gujarat State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Ahmedabad.
5. Haryana State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Panchkula.
6. Himachal Pradesh State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Shimla.
7. Jammu & Kashmir State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Srinagar.
8. Karnataka State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Bangalore.
9. Kerala State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Thiruvananthapuram.
10. Madhya Pradesh Rajya Sahakari Krishi Aur Gramin Vikas Bank Ltd., Bhopal.
11. Orissa State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Bhubaneswar.
12. Pondicherry Co-operative Central Land Development Bank Ltd., Pondicherry.
13. Punjab State Co-operative Agricultural Development Bank Ltd., Chandigarh.
14. Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd., Jaipur.
15. Tamil Nadu Co-operative State Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Chennai.
16. Tripura Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Agartala.
17. Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd., Lucknow.
18. West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Kolkata.
19. Delhi State Cooperative Bank Ltd., New Delhi.
20. Goa State Co-operative Bank Ltd., Panaji.
21. Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd., Shillong.
22. Telangana State Cooperative Apex Bank Ltd., Hyderabad.

सदस्यों की सूची

1. आन्ध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, हैदराबाद।
2. असम राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, गुवाहटी।
3. बहु-राज्यीय सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड (बिहार-झारखण्ड), पटना।
4. गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद।
5. हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, पंचकुला।
6. हिमांचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, शिमला।
7. जम्मू-कश्मीर राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, श्रीनगर।
8. कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, बेंगलोर।
9. केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, थिरुवनन्तपुरम।
10. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, भोपाल।
11. उड़ीसा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, भुवनेश्वर।
12. पाण्डिचेरी केन्द्रीय भूमि विकास बैंक लिमिटेड, पाण्डिचेरी।
13. पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लिमिटेड, चण्डीगढ़।
14. राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, जयपुर।
15. तमिलनाडु सहकारी राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, चेन्नई।
16. त्रिपुरा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, अगरतला।
17. उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड, लखनऊ।
18. पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, कोलकता।
19. दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली।
20. गोवा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, पणजी।
21. मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड, शिलॉंग।
22. तेलंगाना राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड, हैदराबाद।



**NATIONAL COOPERATIVE AGRICULTURE & RURAL
DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LTD.**

**राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
महासंघ मर्यादित**

७०१, ७वी मंज़िल, ए - विंग, बीएसईएल टेक पार्क,
रेलवे स्टेशन के सामने, वाशी, नवी मुंबई - ४०० ७०३
टेलीफोन (कार्यालय) : ०२२-२७८१ ४२२४ / ४२६ / २२६
(एम.डी) : २७८१ ४११४
फैक्स : ९१-२२-२७८१ ४२२५
ई-मेल : nafcard.org@gmail.com
वेबसाईट : www.nafcard.org

701, 7th Floor, BSELTech Park, A Wing,
Opp. Railway Station, Vashi, Navi Mumbai-400703
Telephone (Office): 022-27814114 / 426 / 226
(M.D.): 022 - 27814224
Fax: 91-22-27814225
E-mail: nafcard.org@gmail.com
Website: www.nafcard.org